खण्ड-327, अंक-3
बुधवार, 30 भाद्रपद, शक संवत् 1899
(21 सितम्बर, 1977 ई0)

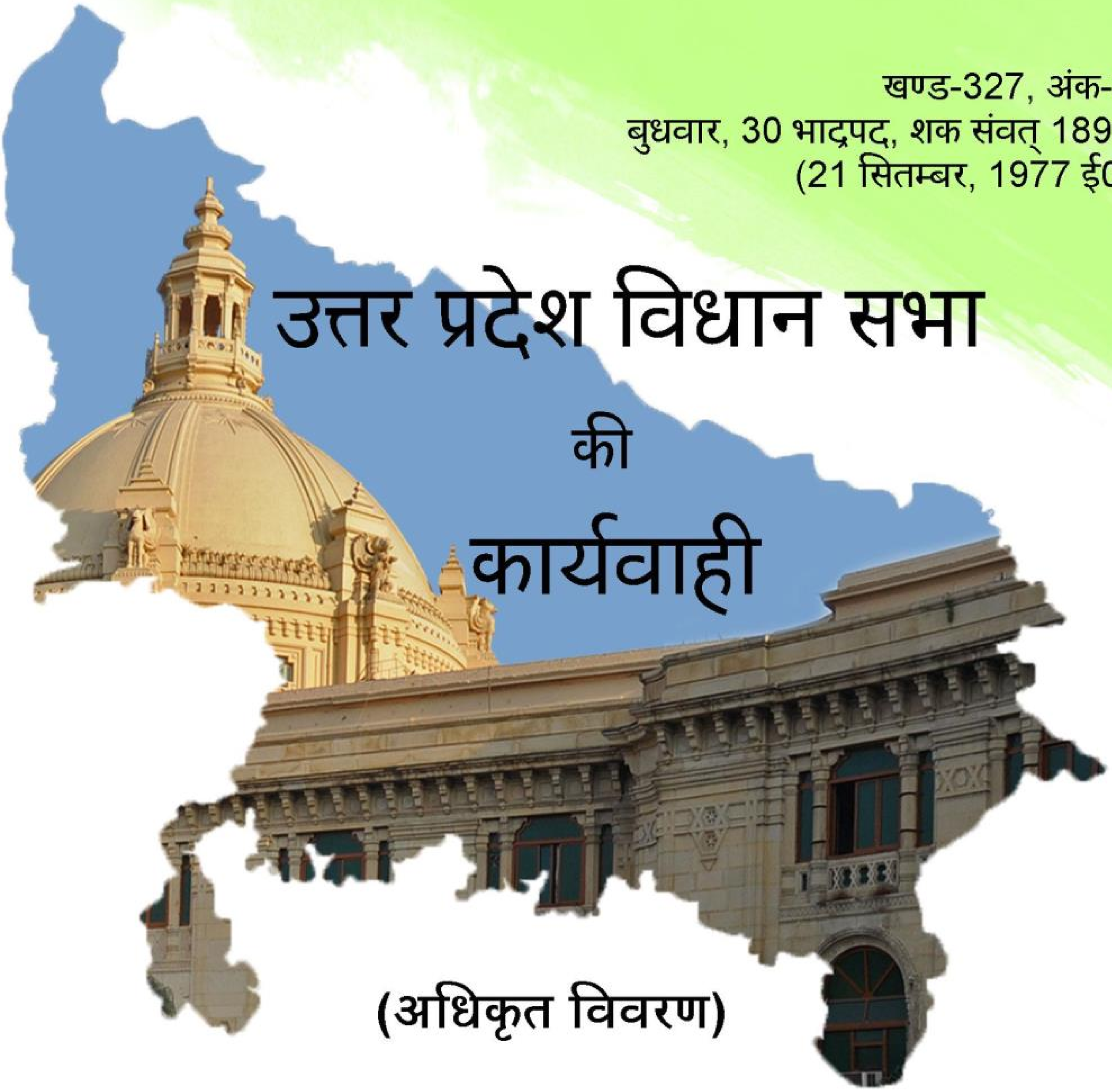

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 327 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	283-287
प्रश्नोत्तर	287-321
प्रश्नों के उत्तर समुचित ढंग से न दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	322
भूतपूर्व सदस्य, श्री राम स्वरूप के निधन पर शोकोद्गार ..	323-324
विशेषाधिकार के प्रश्न उठाये जाने की प्रक्रिया के संबंध में व्यवस्था ..	324-325
ग्राम सांधन, अछनेरा, जिला आगरा में दस महिलाओं की मलेरिया से मृत्यु और महिला प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की उपेक्षा के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	325
बुलन्दशहर के कस्बा जेबर में डकैती तथा पलिस की निष्क्रियता के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	325-326
ग्राम सुबेहा, जिला बाराबंकी में हैजे के प्रकोप के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	326
जे0 के0 औद्योगिक संस्थान, कानपुर की तीन मिलों में तालाबन्दी से बेरोजगारी के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	327
प्रदेश के स्वायत्त शासन कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के लिए क्रमिक अनशन के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	327
सदस्य, श्री श्याम नारायण तिवारी द्वारा एक सूचना सदन के संज्ञान में लाने का प्रयास (जारी)	328
बाबा राम अधार यादव, सदस्य विधान सभा को मारने की धमकी भरा पत्र	329-332
सदस्य, श्री श्याम नारायण तिवारी द्वारा एक सूचना सदन के संज्ञान में लाने का प्रयास	333
ए0जी0एम0 के कार्यालय में फोरमैन, श्री इफ्तखार अहमद द्वारा सदस्य, श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किये जाने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	334
सदन की कार्यवाही गलत प्रसारित करने के संबंध में आल इंडिया रेडियो के विरूद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	334
1977-78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या 23-लेखन सामग्री और मुद्रण, अनुदान संख्या 56-उद्योग, अनुदान संख्या 57-ग्राम्य एवं लघु उद्योग, अनुदान संख्या 58-खानें एवं खनिज, अनुदान संख्या 77-विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 93-ऋण और अग्रिम उद्योग---(जारी) ..	334-378
सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव---(स्वीकृत) ..	379

विषय	पृष्ठ संख्या
1977–78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 23–लेखन सामग्री और मुद्रण, अनुदान संख्या 56–उद्योग, अनुदान संख्या 57–ग्राम्य एवं लघु उद्योग, अनुदान संख्या 58–खानें एवं खनिज, अनुदान संख्या 77–विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 93–ऋण और अग्रिम उद्योग—(जारी) . .	379–388
श्री भगवती प्रसाद सिंह का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव—(स्वीकृत)	388–391
1977–78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 23–लेखन सामग्री और मुद्रण, अनुदान संख्या 56–उद्योग, अनुदान संख्या 57–ग्राम्य एवं लघु उद्योग, अनुदान संख्या 58–खानें एवं खनिज, अनुदान संख्या 77–विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 93–ऋण और अग्रिम–उद्योग—(स्वीकृत) . .	391–399
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	399–400
बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, झांसी के सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों में हड़ताल के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	400–406
नत्थियां	407–414

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 21 सितम्बर, 1977

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसीदास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—363

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज खां, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश नारायण, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणि बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री
(उर्फ राम मिलन सिंह)
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्रा, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री

कृष्ण वीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरुप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गगा सहाय यादव, श्री
गंजो प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुलाब सहरा, श्री
गेंदालाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर (भय्या) श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटेलाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जय राम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तज भान सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्गविजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
धरम राम, श्री
धर्म गज सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)

प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसीदास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुवांठा 'अरविन्द', श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बल वीर सिंह, श्री (जिला मनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फर नगर)
बालकृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचूराम श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मोतीराम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री

रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बृज राज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
रामदुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
रामरतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
रमा सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भू नाथ, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह 'निर्भय', श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम न रायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संगम लाल, श्री
सखावत हुसन, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द्र गोयल, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
हबीब अहमद, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरि केवल प्रसाद, श्री
हरि चरन यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम चन्द्र तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट —मुख्य मन्त्री श्री रामनरेश यादव तथा मन्त्री विकास मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 21 सितम्बर, 1977

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

श्री काशीराज महाविद्यालय इन्टर कालेज, औराई, वाराणसी का बन्द किया जाना

****1—श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद) तथा श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री काशीराज महाविद्यालय इंटर कालेज, औराई जनपद वाराणसी, दिनांक 27 अगस्त, 1977 से बन्द कर दिया गया है, जिससे 120 छात्रों की पढ़ाई का नुक्सान हो रहा है? यदि हां, तो किसके आदेश से कालेज बन्द किया गया और क्यों?

शिक्षा उप मंत्री (श्रीमती मालती शर्मा)—

जी हां। प्रबंधक ने विभाग को बिना कोई सूचना दिये हुये 26 अगस्त, 1977 से अनधिकृत रूप से बन्द कर दिया जिसके सबध म विभाग न कारण सहित स्पष्टीकरण प्रबन्धक से मांगा है। प्राप्त सूचना क अनुसार संस्था 7-9-77 से खुल गयी है और शिक्षण कार्य ठीक से चल रहा है।

श्री रमाशंकर कौशिक--

क्या शिक्षा मंत्री जी, बताने की कृपा करेंगी कि उक्त प्रबंधक को, जिसका मंत्री जी ने अनधिकृत रूप से स्कूल बंद करने के लिये स्पष्टीकरण मांगा है, हटा दिया गया है और अगर हटा दिया गया है, तो फिर स्पष्टीकरण मांगने का क्या औचित्य है ?

श्रीमती मालती शर्मा---

जुलाई, 1977 को विद्यालय, अध्यापकों के अनुरोध पर इसलिये बंद किया गया था कि 4 दिन की छुट्टियां थीं....

श्री अध्यक्ष---

मंत्री जी, ऐसा नहीं उनका प्रश्न है कि प्रबंधक जिसने अनियमितता की उसका जवाब तलब किया गया है जब कि उनको हटा दिया गया है, इसका उत्तर दीजिये ?

श्रीमती मालती शर्मा---

श्रीमन्, हटाया नहीं गया है। यह शिक्षण संस्था कुछ दिनों के लिये बंद कर दी थी, अध्यापकों के अनुरोध पर कि बीच में तीन चार दिन की छुट्टियां आ गईं। अब पुनः चल रहा है, उनको हटाया नहीं गया।

श्री अध्यक्ष--

सिर्फ आप इतना उत्तर दीजिये कि प्रबंधक को हटाया गया या नहीं और क्या उसका जवाब तलब किया है?

श्रीमती मालती शर्मा---

उनसे जवाब तलब किया गया है।

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, मेरी जानकारी के मुताबिक मई, 1975 से इस स्कूल की प्रबंध समिति की कोई बैठक नहीं हुई। मामला अदालत में चल रहा था और अदालत के फैसले के मुताबिक इस प्रबंधक को हटा दिया गया। इस स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं, उनको 30 जून, 1977 को अवकाश ग्रहण करना था। शासन के आदेश 27 जून, 15 अगस्त और 3 सितम्बर, 1977 को हुये कि प्रधानाचार्य को वहां से हटा दिया जाय। लेकिन पुराने प्रबंधक ने जिसको हटा दिया गया है, उस प्रधानाचार्य को नहीं हटाया जिसकी वजह से स्कूल बंद किया गया और 28 तारीख को औरैया बाजार को लूटा गया ...

श्री अध्यक्ष---

आप इतना लम्बा बयान नहीं, आप अनुपूरक प्रश्न करें।

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरी जानकारी को सही मानकर इस संबंध में कुछ आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती मालती शर्मा---

मान्यवर, माननीय सदस्य को इस प्रकार की कोई जानकारी है, तो वह इसकी रिपोर्ट दे सकते हैं इसकी जांच करा ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने सदन के समक्ष अपनी जानकारी दी है आप कृपया इसको नोट कर लें और इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर।

श्रीमती मालती शर्मा---

कृपया इसके लिये समय दे दिया जाय ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि इस विद्यालय के औराई इंटर कालेज के इस प्रबंधक को हटाया गया ? साथ ही साथ क्या यह बात सही है कि जो वर्तमान प्रिंसिपल उन्होंने रिटायरमेंट के समय यानी जून के पहले एक दावा कर दिया था कि हमारी तीन वर्ष उम्र कम कर दिया है और उस दावे पर इस प्रबंधक ने कम्प्रोमाइज स्यूट दाखिल करके कह दिया कि तीन वर्ष तक और रहें? इस कारण से विवाद हुआ और कालेज बन्द करना पड़ा ? पूरा मैनेजमेंट इनके खिलाफ है ?

श्रीमती मालती शर्मा---

प्रसंगत अध्यापक की नियुक्ति रसौली, जनपद गोरखपुर में थी (व्यवधान) अब ये निलम्बित हैं. . . .

श्री श्यामधर मिश्र---

अरे यह इसका उत्तर कहां है ?

श्री अध्यक्ष---

आपने यह क्या जवाब दिया ? प्रश्न यह है कि उस प्रिंसिपल ने कोर्ट में यह दावा किया है कि 3 साल उनकी उम्र कम है और उसक साथ फ्राड किया गया है । इस पर वह कोर्ट म चला गया कि उनको हटाया जाय, तो उनको हटाया गया या नहीं ? गोरखपुर से इसका क्या ताल्लुक है ?

श्रीमती मालती शर्मा---

मुझे इस विषय में कोई जानकारी नही है । यह मैंने पहले भी निवेदन किया है, मुझे समय दे दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

इस प्रश्न को मैं स्थगित करता हूं ।

देवरिया जिले में टापबोरर एवं शल्यकीट से प्रभावित गन्ने की फसल

**2—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार को जानकारी है कि देवरिया जनपद में एक लाख पच्चीस हजार एकड़ क्षेत्रफल में गन्ने को फसल टापबोकर एवं शल्यकीट से पूर्णरूप से नष्ट हो गई है तथा सर्वाधिक क्षति पडरौना तहसील के पडरौना एवं विशुनपुरा विकास खंड में है जो प्रदेश का सर्वाधिक सघन गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है ? यदि हां, तो विभाग ने क्या प्रभावी कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं की ?

गन्ना विकास मंत्री (श्रीमती चन्द्रावती)---

जी नहीं, अपितु जनपद देवरिया के कुल क्षेत्रफल लगभग एक लाख सत्तर हजार एकड़ में से 1500 एकड़ गन्ने का क्षेत्रफल टापबोरर एवं शल्यकीट से आंशिक रूप से प्रभावित है । प्रभावित क्षेत्रफल में से लगभग 425 एकड़ क्षेत्रफल नियंत्रित किया जा सका है अवशेष के नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं ।

चीनी मिलवार एकत्रित सूचना के अनुसार पडरौना चीनी मिल क्षेत्रफल में प्रश्नगत ब्लाक सम्मिलित है जिसका प्रभावित क्षेत्रफल 113 एकड़ है, जो उपरोक्त 1500 एकड़ के इंगित प्रभावित क्षेत्रफल में है और अब तक इस 113 एकड़ प्रभावित क्षेत्रफल म से 44 एकड़ क्षेत्रफल नियंत्रित किया जा चुका है ।

एक हजार रुपये से अधिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नकदीकरण की सुविधा प्रदान किये जाने की मांग

**3---श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) श्री किशन लाल (जिला पीलीभीत) तथा श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

क्या यह सही है कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को जिनका वेतन-क्रम 1,000 रु0 तक है, को ही अवकाश के नकदीकरण की सुविधा लभ्य है ? यदि हां,तो क्या सरकार इस सुविधा को उपरोक्त से अधिक वेतन-क्रम पाने वाले कर्मचारियों को देने के प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

जी हां । शासन द्वारा अवकाश के नकदीकरण की सुविधा को रु0 1000 से अधिक के अधिकतम वेतन-क्रम पाने वाले कर्मचारियों को पुनः स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया गया है । चूंकि इस सुविधा के प्रसार करने में अतिरिक्त वित्तीय भार निहित है, अतः इस सुविधा को वर्तमान विषम आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये इस समय प्रदान किया जाना संभव नहीं हो सका है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब उसकी 60 दिन की छट्टी रहती है, तो एक महीना कम करके वह पैसा लेता है, दो महीने रहेगा तो ज्यादा होगा, तो इसका तो वित्तीय भार आप पर नहीं पड़ता है, मैं समझता हूं कि इससे कोई हानि नहीं है, न लाभ है, इसलिये मैं समझता हूं....

श्री अध्यक्ष--

आप तो इस पर बहस कर रहे है । उत्तर यह दिया है कि विचार कर रहे हैं । आप अनुपूरक प्रश्न पूछिये, दलील नहीं दीजिये ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

वह विचार नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि सम्भव नहीं है । तो क्या आप बतायेंगे, कि जो एक महीने का आप पैसा देते हैं, दूसरा आदमी उसके स्थान पर रखेंगे तो उसको उससे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा या नहीं ? तो आर्थिक कठिनाई कहां से है, इसमें ?

श्री मधुकर दिघे--

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इसमें जो अनुभव है वह यह बताता है कि लगभग 60 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जो नगदीकरण का फायदा उठाते हैं । उनका अनुमान लगाकर वित्त विभाग देखता है कि कितना रूपया इसमें लगेगा । लेकिन इसमें दो प्रश्न निहित हैं । एक तो यह, समाजवादी होने के नाते विचार करना पड़ रहा है, क्या एक आदमी जिसको छुट्टी दी जाती है, उसको अपनी इनर्जी को रिकूप करने के लिये क्या उस स्थिति को बदला जा सकता है ? दूसरा प्रश्न यह है कि जब यह सुविधा एक हजार तक दे दी गयी है,तो आगे किस हद तक बढ़ाया जा सकता है, और बढ़ाये जाने में क्या-

क्या कठिनाइयां उपस्थिति होंगी, वित्तीय और दूसरी। इन सब चीजों को देखकर जवाब दिया, बावजूद इन सारी चीजों के विचार कर रहा हूं और अभी विचार पूरा नहीं हुआ है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि 500 से 1000 वेतनक्रम पाने वाले अधिकारियों को सुविधा मिलती है, वहीं अगर 501 रुपया हो जाय, 550 से 1200 तक, या 1300 तक वेतनक्रम है, वह इस सुविधा से वंचित किये जाते हैं, जिनकी तादाद बहुत कम है, तीन चार परसेंट होगी, क्या मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि कम से कम डेढ़ हजार तक सीमा बांध कर, उनको यह सुविधा दी जाय ?

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, जैसा मैंने कहा, मैं माननीय ऊदल जी से थोड़ा बहुत इत्तफाक करता हूं। इस प्रश्न को मैं देख रहा हूं। जैसा मेने निवेदन किया पहले उत्तर देते हुये, कितनी हद तक इसको बढ़ाया जा सकता है, सुविधानुसार उसको मैं देखूंगा।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, क्या मननीय मंत्री जी बतायेंगे, उन्होंने चर्चा किया आर्थिक विषम परिस्थिति की, उसमें सहानुभूति होती है पूरे सदन को, मैं जानना चाहता हूं कि अभी नकदीकरण का भार कितना है और एक हजार की सीमा 15 सौ पर हो जाय, तो कितना भार हो जायगा, जिसको वहन कर सकते हैं या नहीं ?

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, लगभग 6 लाख 25 हजार कर्मचारियों का विचार करना पड़ेगा अगर सबको दे दिया जाय तो 6.75 करोड़ रुपया का सम्पूर्ण खर्चा पड़ता है। 1973 में जब यह स्कीम लागू की गयी तो यह सुविधा सब को दी गयी थी। 1974 में इसको समाप्त कर दिया गया। फिर अक्तूबर, 1974 में पुनः लागू कर दी गयी। लागू करते समय पुरानी सरकार ने इसकी सीमा एक हजार बांध दी। अब अगर उसको पुनः लागू कर दिया जाय, तो लगभग 1 करोड़, 91-92 लाख रुपया का अतिरिक्त खर्चा प्रति वर्ष बढ़ेगा। 5. कुछ करोड़ रुपया इस वक्त पड़ रहा है। जैसा माननीय ऊदल जी ने नया प्रस्ताव रखा है, एक सलाह दी है, अच्छी सलाह है, मैंने जैसा निवेदन किया, मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो अभी माननीय सदस्य, ऊदल जी ने प्रस्ताव रखा है, उसके सम्बन्ध में आप कब तक निर्णय ले लेंगे, कि 15 सौ तक वेतन पाने वालों को सुविधा दे दी जाय ?

श्री अध्यक्ष--

यह पुनरावृत्ति है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

यह चार छः वर्ष तक टाल सकते हैं। कोई सम्भावना व्यक्त कर सकते हैं, दो महीने चार महीने में, कब तक निर्णय ले लेंगे ?

श्री मधुकर दिघे--

मैं टाइम बाउंड प्रोग्राम में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। मुझ पर विश्वास रखना चाहिए। बहुत समय नहीं लगेगा।

बाराबंकी जिले की तहसील राम सनेही घाट के अन्तर्गत सर्रा रोग से पशुओं की मृत्यु

**4 श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी) -

क्या पशुपालन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इस समय बाराबंकी जनपद की फतेहपुर व रामसनही घाट तहसील के गांवों में भयंकर रूप से जानवरों की बीमारी फली हुई है। यदि हां, तो प्रतिदिन हजारों पशुओं की मौत को रोकन क सम्बन्ध में सरकार तत्काल क्या कार्यवाही कर रही है ?

सहकारिता एवं पशुधन मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

फतेहपुर तहसील में बीमारी की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

राम सनेही घाट तहसील के दो ग्रामों (चन्द्रामऊ व तालगांव) में सर्रा रोग से 17 पशुओं की मृत्यु हुई है। उक्त ग्रामों में उपचार की व्यवस्था कर दी गयी है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, जो सूचना प्राप्त हुई है, हजारों पशु मर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसको रोकने के लिये के विभाग कोई ठोस कदम उठाने जा रहा है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

यह केवल 2 गांवों में 17 जानवरों की मृत्यु हुई है। उसकी रोकथाम के लिये अस्पताल की व्यवस्था कर दी गयी है और एक टीम कार्यालय से गयी थी और वहां पर उसने उसकी जांच की और वहां पर रोकथाम हो गयी है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

यह जो दो गांवों की सूचना मिली है यह अपर्याप्त है। यह बीमारी पूरे जिले में है यह बीमारी हर साल फलती है। मेरी निजी जानकारी है कि रोजाना दर्जनों पशु मरते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह वर्तमान सरकार इस ओर ठोस कार्यवाही करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो उत्तर दे चुके हैं। अस्थायी रूप से व्यवस्था की है। आपने जो सूचना दी है आपका कथन है कि हजारों मवेशी मर रहे हैं, तो आप जांच करेंगे, इसकी सूचना दे देंगे ? और व्यवस्था करायेंगे ?

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

जिस बीमारी का जिक्र किया गया है वह बीमारी क्या है और उसके प्रिवेन्टिव मेजर्स क्या किये गये ?

श्री अध्यक्ष--

इसमें लिखा है सर्रा रोग।

श्री राम दत्त जोशी--

उसको रोकने के लिये क्या उपाय किये गये ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बता रहे हैं, यह बीमारी भी अस्थायी है और अचानक हुआ करती है। जब पानी बरसा या बाढ़ आयी, तो यह बीमारी हो जाती है इसीलिये

अस्थायी व्यवस्था कर दी गयी है । गलाघोट की बीमारी अवश्य है, उसकी भी व्यवस्था कर दी गयी है ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, मै माननीय मंत्री जी यह जानना चाहता हूं कि यह बीमारी कभी-कभी आ जाती है, तो इस बीमारी के आने के क्या कारण हैं,क्या मानानीय मंत्री जी इसकी जांच करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जैसा मैंने बताया कि यह बीमारी कभी-कभी हो जाती है । पहले यह बीमारी तराई में हुआ करती थी, जो घास बाढ़ में डूब जाती थी,उसमें एक प्रकार के कीटाणु आ जाते थे और जब जानवर उसको खाते हैं, तो यह बीमारी फैल जाती है । जब यह एक जानवर को हो जाती है, तो दूसर जानवरों को बड़ी तेजी से पकड़ती है, यह भयंकर रूप ले लेती है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

पंचायत इण्टर कालेज, परतावल (गोरखपुर) का बन्द किया जाना

*1--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पंचायत इन्टर कालेज, परतावल (गोरखपुर) के प्रधानाचार्य न विद्यालय को विगत 22 अगस्त, 1977 से अनिश्चित काल के लिये बन्द कर दिया है जिससे छात्रों एवं अभिभावकों में घोर असन्तोष व्याप्त है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती मालती शर्मा--

जी हां, छात्रों न अपनी कतिपय मांगों को तत्काल पूर्ति हेतु प्रधानाचार्य का घेराव किया । स्थिति गम्भीर होने पर प्रधानाचार्य ने विद्यालय को दिनांक 22-[illegible]-77 से बन्द कर दिया ।

विद्यालय दिनांक 7-9-77 से खुल गया है और ठीक प्रकार से चल रहा है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि उन्होंने बताया कि लड़कों ने घेराव किया , जैसा कि वह कहती हैं, तो उसकी सूचना मुकामी पुलिस को है ? क्या प्रधानाचार्य को यह अधिकार है कि वह स्कूल को बन्द कर दें?

श्रीमती मालती शर्मा--

पुलिस को इसकी जानकारी है या नहीं, इसके विषय में, हमें कोई जानकारी नहीं है । जब विद्यार्थियों ने घेराव किया, तो प्रबंधक ने विद्यालय बंद कर दिया ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, यह उत्तर सत्यता से उतनी ही दूर है, जितनी दूर मंत्री जी हम से हैं । (हंसी) मुकामी पुलिस वहां पर मौजूद रही है । घेराव की कोई घटना नहीं हुई । सुना है कि छात्रों ने कोई अपना प्रत्यावेदन दिया, लेकिन प्रधानाचार्य ने विद्यालय को बंद कर दिया और प्रबंधक से बाद में अनुमति ली । क्या इस पूरी घटना की जांच माननीया मंत्री कराने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती मालती शर्मा--

इसमें जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विद्यालय 7-9-77 से भली-भांति चल रहा है ।

श्री राजन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)--

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छात्रों की मांगे क्या-क्या थीं तथा शासन द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती मालती शर्मा--

अध्यक्ष महोदय, यहां पर मांग पत्र है, यदि अध्यक्ष महोदय की आज्ञा हो तो मैं उसे पढ़ कर सुनाये देती हूं। मान्यवर, यह मांग-पत्र बहुत लम्बा है। इसमें छात्रों द्वारा यूनियन बनाने की मांग और इसी प्रकार की मांगे हैं। यदि आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष --

मुख्य मांग क्या है ?

श्रीमती मालती शर्मा--

मुख्य मांग, तो विद्यार्थियों की यूनियन बनाने की है 10 पैसे के स्थान पर विभिन्न फार्मों के लिये, जो 3 रुपये जमा हैं, उन्हें तुरन्त वापिस कर दिया जाये। हाई स्कूल के विद्यार्थियों को (व्यवधान) मान्यवर, बहुत ही गलत छपा हुआ है। फार्म बिल्कुल पढ़ा ही नहीं जा रहा है। आप स्वयं मांग कर देख सकते हैं।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष --

माननीय सदस्य कृपया शांत रहें।

श्रीमती मालती शर्मा--

सुनिये। हाई स्कूल विद्यार्थियों को प्रत्येक• • • आप स्वयं देख सकते हैं। जब प्रिंट ही नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूं ?

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह कालेज कब तक के लिये बंद किया गया है और उसको खुलवाने के लिये तथा छात्रों की मांगों को पूरा करने लिये कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष--

आप शायद सुन नहीं पाये। कालेज बंद नहीं है वह 9 सितम्बर से चल रहा है इसलिये कोई प्रश्न नहीं पैदा होता है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब उस स्कूल के छात्रों न अपनी मांगों और दूसरी बातों को लेकर झगड़ा खड़ा कर दिया, तो क्या प्रधानाचार्य ने शिक्षा एवं ला एण्ड आर्डर से संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दी ? यदि दी, तो उन लोगों ने इस सिलसिले में क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती मालती शर्मा--

जिला के अधिकारियों को सूचना मिली और उसके मिलते ही उन्होंने जाकर विद्यालय को खुलवाने का प्रयत्न किया और उनके आदेशानुसार विद्यालय खोल दिया गया था। फिर छात्रों ने मांग की, कि अध्यापकगण कक्षा में 15 मिनट बाद में जायगे और 15 मिनट पहले आया करेंगे। इस पर अध्यापक लोगों ने आपत्ति की कि जब-तक हमारा सम्मान नहीं होगा, हमारी सुरक्षा नहीं होती तब-तक हम नहीं जायेंगे। इसलिए पुनः कुछ दिन के लिए विद्यालय बन्द रहा, लेकिन 7 सितम्बर, 1977 से ठीक ढंग से चल रहा है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। जो भी प्रश्न मैंने और अन्य माननीय सदस्यों ने सप्लीमेंट्री पूछे, उनके संतोषजनक उत्तर नहीं दिए गये। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय ताकि सही उत्तर आ सके।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने उत्तर दिया है कि स्कूल अब खुल गया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, यह सूचना बिल्कुल गलत है। वहां पर अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है, विद्यालय नहीं खुला है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का कथन है कि स्कूल बन्द है।

श्रीमती मालती शर्मा--

जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से 7 सितम्बर, 1977 से स्कूल चल रहा है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य का कथन है कि स्कूल बन्द है। कृपया आप पुनः रिपोर्ट मंगाकर इसकी सूचना सदन को दे दें।

श्री श्याम धर मिश्र--

माननीय मंत्री जी ने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा है कि प्रधानाचार्य ने इस विद्यालय को बंद कर दिया और बाद में मौखिक रूप से जो उत्तर दिया, उसमें कहा है कि उसे प्रबन्धक ने बंद कर दिया है। जहां तक मुझे जानकारी है, प्रधानाचार्य एक दिन के लिए तो बन्द कर सकता है लेकिन अगर 10-15 दिन के लिए विद्यालय को बन्द करना हो तो प्रबन्धक की स्वीकृति के बिना बन्द नहीं कर सकता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी का कौन सा उत्तर सही है?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप तर्क कर रहे हैं?

श्रीमती मालती शर्मा--

प्रधानाचार्य ने स्कूल बन्द किया था और डी० आई० ओ० .....

(श्री श्यामधर मिश्र के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मिश्र जी, आप तो तर्क कर रहे हैं। प्रबन्धक के आदेश से हो तो प्रधानाचार्य स्कूल को बन्द करेगा।

काल्विन इण्टर कालेज, महमूदाबाद, जिला सीतापुर के अध्यापकों के वेतन का भुगतान

*2--श्री बेनी प्रसाद वर्मा (अनुपस्थित) तथा श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि काल्विन इन्टर कालेज, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर के अध्यापकों को विगत दो माह से वेतन नहीं प्राप्त हो रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार तत्काल अध्यापकों को वेतन दिलाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी?

शिक्षा मन्त्री (श्री काली चरन)--

विगत दो मास का वेतन समय से वितरित किया जा चुका है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

आगरा नहर के रजबहा टर्मिनल और इरादतनगर से पानी की आपूर्ति में कमी

*1--श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)--

क्या सरकार को पता है कि आगरा नहर का रजबहा टर्मिनल और इरादत नगर सन् 1976 में पानी न मिलने के कारण बहुत कम चला फलस्वरूप इन दोनों माइनरों की फसल सूख गई? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई जांच कराएगी और किसानों को हर्जाना देगी ?

सिंचाई उप मंत्री (श्री शारदा प्रसाद रावत)--

इन रजबहों में पिछले 3 वर्षों की तुलना में 1976 में पानी कम नहीं दिया गया, परन्तु रजबहा टर्मिनल में इरादत नगर रजबहे के उद्गम के नीचे खरीफ़ की फसल के दौरान अपेक्षाकृत पानी औसत से कुछ कम मिला ।

फसल सूखने के बारे में कोई शिकायत/सूचना प्राप्त नहीं हुई, अतः जांच कराने व हर्जाना देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हुक्म सिंह परिहार--

उत्तर में कहा गया है कि अपक्षाकृत पानी कम मिला । क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अपेक्षाकृत कितना पानी मिला और पानी की नाप जो होती है, उसका कितना कम पानी मिला? खरीफ की फसल के सूखने का मामला था और रबी की भी फसल खराब हो गई थी । मेरे सब खेत सूख गये थे । जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, उसमें सफेद झूठ है । मैंने खुद शिकायत की थी, ज्ञापन भी दिया था और वहां के किसानों ने प्रदर्शन भी किया था, बावजूद इसके कि उस समय एमर्जेंसी लगी हुई थी । तो क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मान्यवर, माननीय सदस्य जो सूचना देंगे उसके आधार पर जांच करायेंगे, लेकिन इस इरादत नगर रजबहे की औसत खरीफ की जो सिंचाई होती है, वह 1,622 एकड़ है, जिसकी अपेक्षा इसकी सिंचाई वर्ष 1976-77 में 13,337 एकड़ हुई है । इस समय जो सूचना मिली है, उसके अनुसार उस क्षेत्र में 1976-77 में 416 मिली मीटर बारिश हुई, जबकि पिछले 10 वर्षों का औसत 232.2 मि0 मी0 है ।

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)--

जैसा कि एकरेज में ब्योरा दिया, तो मैं जानना चाहता हूं कि उस रजबहे में कितने क्यूजेक पानी की कैपेसिटी है और कितने क्यूजेक पानी चला ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मान्यवर, यह रजबहा आगरा नहर के सौ मील आगे जाकर के इसके तीन चैनल बन जाते हैं, जिसमें से एक टरमिनल है और दूसरा आगरा रजबहा और तीसरा सेकेंडरी है । टरमिनल की क्षमता 238 क्यूजेक्स है । टरमिनल के 15 मील, 6 फरलांग पर चलकर इरादत नगर रजबहा निकलता है और वह 69 क्यूजेक्स पानी का है ।

श्री यशपाल सिंह---

क्षमता बतला दी, लेकिन मेरा प्रश्न था कि कितने क्यूजेक्स पर चला ? वह बतलाया जाय ?

श्री शारदा प्रसाद रावत---

यह नहर जो है, इसकी क्षमता अलग-अलग महीनों में अलग-अलग है । हफ्ते बंधे हुए हैं और पानी चूंकि अप्रैल, मई में कम हो जाता है । तो वैसे 24 सौ क्यूजेक्स मिलता है, लेकिन अप्रैल-मई में 900 क्यूजेक्स रह जाता है और उस हिसाब से हमारा उसका प्रोसेस बना हुआ है, रजबहों को बन्द करते रहते हैं और चलाते रहते हैं ।

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

मान्यवर, मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि पानी औसत से कम रजबहे में है, तो खेत निश्चित रूप से सूख गये । तो क्या किसानों को मुआवजा देंगे ?

श्री शारदा प्रसाद रावत---

मान्यवर, मुआवजे के सम्बन्ध में कोई प्राविधान नहीं है, छूट देने का सवाल है । इसके सम्बन्ध में उस वर्ष जो प्रार्थना-पत्र मिले थे, उसमें रोग से ग्रसित फसल को साढ़े 10 एकड़ की छूट है, जिसमें 10 एकड़ धान है और आधा एकड़ गन्ने की पेड़ी है ।

(प्रश्न संख्या 2 पुकारे जाने पर)

श्री हुक्म सिंह परिहार---

मेरी बात सुनिये । हर प्रश्नकर्त्ता को दो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जाइये ।

श्री हुक्म सिंह परिहार---

आप मेरी बात सुनिये . . . . . मेरी बात सुन तो लीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

आप स्थान ग्रहण करें । मैं फिर माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्नों के समय जितने अनुपूरकों की मैं इजाजत देता हूं उसके बाद में आग्रह न करें इससे सदन का समय नष्ट होता है ।

महात्मा गांधी पूर्व माध्यमिक विद्यालय, कानपुर के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन के भुगतान की मांग

*2---श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

क्या शिक्षा मन्त्री को विदित है कि महात्मा गांधी पूर्व माध्यमिक विद्यालय, कैलाशपुरी, कानपुर, जो सन् 1952 से मान्यता प्राप्त है, को प्रबन्ध समिति ने बन्द कर दिया है और 1-7-77 से वहां के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी हैं ? क्या यह भी सही है कि इन कर्मचारियों को पिछले 6 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्रीमती मालती शर्मा---

दैनिक जागरण, कानपुर दिनांक 29-6-77 में प्रबन्धक ने यह सूचना प्रकाशित कराई थी कि आर्थिक कठिनाई के कारण विद्यालय 1-7-77 से बन्द करना पड़ रहा है, लेकिन अध्यापक

वर्ग विद्यालय को पूर्ववत चला रहे हैं। मुंसिफ़ सिटी, कानपुर ने दिनांक 13-8-77 को अध्यापकों की सेवाओं को समाप्त करने के विषय में स्थगन आदेश निर्गत किये हैं। अध्यापकों एवं कर्मचारियों का पिछले 6 माह से वेतन भुगतान नहीं किया गया है। विद्यालय का अनुदान निलम्बित कर दिया गया है। अध्यापकों के वेतन की व्यवस्था जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर द्वारा की जा रही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

छः महीने से अध्यापकों को वेतन नहीं मिला। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि इस दौरान इस विद्यालय को कोई अनुदान मिला? यदि मिला और तनख्वाहें नहीं बंटी, तो उस अनुदान का जो दुरुपयोग हुआ है, उसके बारे में, मैनेजमेंट के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ?

श्रीमती मालती शर्मा---

इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। यदि इस बीच में आपको कोई जानकारी हो, तो बता दीजिये।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी इसकी जानकारी प्राप्त कर लें, इस प्रश्न को आप स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मन्त्री जी, यदि आप को उत्तर देना था, तो आपको फाइल तैयारी करके आना चाहिये था। इस प्रश्न को मैं फिर स्थगित करता हूं।

इलाहाबाद जिले की तहसील हंडिया के अन्तर्गत फर्जी जूनियर हाई स्कूल एवं हाई स्कूल

*3---श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में हंडिया तहसील तथा जिले में ऐसे फर्जी जुनियर हाई स्कूल एवं हाई स्कूल चल रहे हैं जिनको मान्यता प्राप्त है परन्तु मौके पर कोई स्कूल नहीं है ? यदि हां, तो कितने और सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्रीमती मालती शर्मा---

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अठई राम---

क्या माननीय मन्त्री जी को यह जानकारी है कि पिछली सरकार में ग्राम मेसकी, महुवाडीह, चान्दोपारा आदि स्कूल खोले गये थे जिसमें कि लाखों रुपये गबन किये गये और वह स्कूल पुनः बन्द कर दिये गये ?

श्रीमती मालती शर्मा---

इस समय कोई विद्यालय नहीं चल रहे हैं।

श्री अठई राम---

जो मामले पकड़े गये थे, उसमें लाखों रुपये का घोटाला है, इसकी शासन को कोई जानकारी है और क्या जनता की तरफ से कोई रिपोर्ट लिखायी गयी है ?

श्री अध्यक्ष---

उत्तर में यह लिखा है कि कोई फर्जी स्कूल नहीं चल रहे हैं । यह माननीय मंत्री जी का उत्तर है । अगर आपका कथन यह हो कि फर्जी स्कूल चल रहे हैं, तो उसका उत्तर वह देंगी ।

श्री अठई राम---

मेरी जानकारी के आधार पर क्या आप जांच करायेंगी कि मेसकी, महुवाडीह, चांदोपारा आदि में इस तरह से फर्जी स्कूल चला कर लाखों रुपये का गबन किया गया है ?

श्रीमती मालती शर्मा---

माननीय सदस्य को यदि किसी स्पेसिफिक केस का पता हो, तो वह बतादें उसके बारे में जांच करा ली जायगी ।

श्री गोबिन्द सिंह नेगी---

क्या फर्जी स्कूल चलाने की बाबत किसी का कोई शिकायती-पत्र उनको मिला था? यदि हां, तो उस पर किस अधिकारी ने जांच की?

श्रीमती मालती शर्मा---

इस प्रकार की कोई जानकारी मुझे नहीं है । यदि माननीय सदस्य को कोई जानकारी हो, तो वह इस समय बता दें ।

श्री रियासत हुसैन---

प्रश्न क्या करें । माननीय मन्त्री जी भी कहती हैं कि इसकी जानकारी नहीं है । या तो इस प्रश्न को हटा दिया जाय या कहा जाय कि वह तैयार हो कर आयें ।

श्री अध्यक्ष---

आप प्रश्न कीजिये ।

श्री रियासत हुसैन---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगी कि हंडिया तहसील में कुल कितने स्कूल चल रहे हैं, जिनको रेकगनीशन मिला हुआ है?

श्रीमती मालती शर्मा---

मान्यवर, जो प्रश्न पूछा गया है, उससे इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है । आपके प्रश्न में है कि कितने फर्जी स्कूल चल रहे हैं । उसके विषय में मैंने बतलाया है कि कोई फर्जी स्कूल नहीं चल रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---

आप लोग शान्त रहें । यह आपका उत्तर सही नहीं है । जो मैंने अनुपूरक प्रश्न की अनुमति दे दी, तो आप को यह अधिकार नहीं है यह कहने का कि इससे उत्पन्न नहीं होता । आपके पास यदि सूचना पत्रावली में नहीं है कि हंडिया तहसील में कितने मान्यता-प्राप्त स्कूल हैं, तो आप का उत्तर होना चाहिये कि मुझे इसके लिये सूचना चाहिये । जब यह आपको प्रश्न दिया गया कि वहां कितने फर्जी स्कूल हैं, तो यह सवाल पैदा होता है कि कितने स्कूल मान्यता प्राप्त हैं । तो कृपया इसकी सूचना आप इकट्ठा करके दें कि कितने मान्यता प्राप्त स्कूल हैं ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, मेरे विचार से शिक्षा मंत्री महोदया तैयार नहीं हैं, जो आगे के सारे प्रश्न हैं उन्हें स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, नहीं । ऐसा नहीं ।

फर्रुखाबाद जिले के स्वामी एकरसानन्द इण्टरमीडिएट कालेज में पाई गयी वित्तीय अनियमिततायें

*4--श्री झामलाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत स्वामी एकरसानन्द इन्टरमीडिएट कालेज, तेरा जाकेट में माह अप्रैल, 1977 को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अभिलेख ग्रहण निरीक्षण करने में अनियमिततायें पाई गयीं? यदि हां, तो वे क्या हैं और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती मालती शर्मा--

जी हां, वित्तीय अनियमिततायें पाई गई । मंडलीय आडिट इकाई इलाहाबाद द्वारा विद्यालय का विशेष आडिट कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री झामलाल अहेरवार--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि जो अनियमिततायें पाई गई, वह क्या-क्या थीं ?

श्रीमती मालती शर्मा--

पुनरीक्षित वेतनमान के स्वीकृत धनराशि को संबंधित कर्मचारियों को पूर्ण रूप से भुगतान नहीं किया गया है । 2--अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत की गयी कटौतियों की राशि को न जमा करना । 3--छात्र निधियों से अनियमित रूपसे व्यय करना तथा अनावश्यक धनराशि का निकालना । 4--हरिजन तथा अन्य छात्रवृत्तियों की भुगतान संबंधी अनियमिततायें । 5--हरिजन छात्रों की क्षतिपूर्ति अनुदान को समय से जमा न करना ।

श्री झाम लाल अहेरवार--

मान्यवर, यह जो अनियमिततायें पाई गई, जो प्रश्नों में कहा गया है, आडिट कराने के लिये प्रबन्ध किया गया है, तो यह कब तक आडिट कराया जायगा ?

श्रीमती मालती शर्मा--

यह विभाग के पास चल रहा है और इसको शीघ्र ही किया जा रहा है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि जो अनियमिततायें पाई गयीं, क्या विभाग ने उसके संबंध में कोई मुकदमा पुलिस में दर्ज कराया है ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)--

मान्यवर, जो अनियमिततायें पाई गई, उनमें कौन व्यक्ति दोषी है और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी कि नहीं ?

श्रीमती मालती शर्मा--

मान्यवर, स्वामी एकरसानन्द इंटर कालेज, तैराजाकट, फर्रुखाबाद के कर्मचारियों तथा माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा विद्यालय के प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य के विरुद्ध जो शिकायतें प्राप्त हुई थीं, उसकी जांच चल रही है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीया मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में । मान्यवर, जो जांच हुई है, उसमें कुछ अनियमितता की शिकायत मिली है, प्रावीडेंट फण्ड जमा नहीं हुआ । तो प्राइमाफेसी केस तो बन रहा है 409 का, गबन का, तो फिर विभाग को पुलिस केस दर्ज कराने में क्या आपत्ति है, क्या कठिनाई है ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो उत्तर दे दिया । आडिट कराया जा रहा है । आडिट के बाद ही तो कार्यवाही हो सकती है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, प्राइमाफेसी केस बन गया । प्रावीडेंट फण्ड अध्यापकों का काटा गया और खजाने में जमा नहीं किया, तो यह अनियमितता तो हो गई ।

श्री अध्यक्ष--

आखिर कोई रिपोर्ट होगी कि किसी ने प्रावीडेंट फण्ड का गबन किया है या नहीं । क्या अनियमिततायें हैं यह तो आडिट होने के बाद ही पता चलेगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, आडिट तो 3 साल के बाद होता है । आपने अभी कहा है कि प्रावीडेंट फण्ड काटा गया और वह जमा नहीं है । तो साफ है कि इसमें 409 का केस बन गया । आडिट तो जितने संदिग्ध मामले हैं, वहां कराया जाता है । इसमें साफ है कि प्रावीडेंट फण्ड काटा गया, लेकिन जमा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी, आप उत्तर दीजिये । प्रोवीडेंट फण्ड की कोई कमी है, तो आपने जिला विद्यालय निरीक्षक से पूछा कि इस पर केस क्यों नहीं दर्ज किया गया । कोई रिपोर्ट है ?

श्रीमती मालती शर्मा--

इसकी आडिट रिपोर्ट अभी आई है लेकिन विभागीय जांच इसकी चल रही है ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अनियमितताओं के जो मामले हैं, उसमें हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति न देकर प्रबंधक वह छात्रवृत्ति खा चुके हैं । तो जो छात्रवृत्ति रुकी है, उसके बारे में शासन कुछ विचार करेगा ?

श्रीमती मालती शर्मा--

मान्यवर, रिपोर्ट आने के पश्चात् ही शासन इस पर विचार करेगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, ...

श्री अध्यक्ष--

नेगी जी, आप पहले 2 प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, इसमें मैंने प्रश्न नहीं पूछा।

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि अबतक जो जांच हुई है, उस जांच में कोई गबन का मामला पकड़ा गया। यदि हां, तो उस पर क्या पुलिस कार्यवाही करायेंगी ?

श्रीमती मालती शर्मा--

विभागीय जांच चल रही है। मैंने अभी कहा है।

मुरादाबाद जिले के विद्या निकेतन इन्टर कालेज में दो प्रबन्ध समिति होने के फलस्वरूप एकल संचालन व्यवस्था

*5--श्री रियासत हुसैन--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्या निकेतन इण्टर कालेज, सिरसवां हरचन्द, जिला मुरादाबाद की प्रबन्ध समिति में दो प्रबन्धक होने की निराधार सूचना का आरोप लगाकर जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद ने कालेज का सिंगल हैन्ड आपरेशन कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर उस सिंगल हैन्ड आपरेशन को समाप्त करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती मालती शर्मा--

यह सत्य है कि विद्यालय के संयुक्त वेतन वितरण खाते का एकल संचालन किया गया, परन्तु यह सत्य नहीं है कि निराधार आरोप लगाकर ऐसा किया गया। प्रबन्धकीय विवाद के कारण संस्था के अध्यापकों के वेतन वितरण करने में अवरोध उत्पन्न हो रहा था, अतः एकल संचालन लागू करना अवश्यक हो गया। जब तक सभी अध्यापकों के नियमित वेतन भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक एकल संचालन को समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रियासत हुसैन--

अध्यक्ष महोदय, क्या सत्य है और क्या असत्य, वह सब छोड़ कर जब इस पर 10 दिन पहले डी0 आई0 ओ0 एस0 और वहां के मैनेजर, श्री शिव प्रसाद यादव की रजामन्दी से, सारे मास्टरों के वेतन का भुगतान कर दिया गया है, और 18 तारीख को वहां नयी मैनेजिंग कमेटी बन गयी है, तो क्या इस सिंगिल हैंड आपरेशन को समाप्त करने के आदेश देने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती मालती शर्मा--

अभी वहां पर 3 प्रकार की प्रबन्ध समितियां चल रही हैं। इसलिये यह संभव नहीं हो सकता कि एकल संचालन व्यवस्था समाप्त कर दी जाय। डी0 आई0 ओ0 एस0 के अनुसार वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, यह बिल्कुल निराधार है कि 3 कमेटियां चल रही हैं। वहां एक कमेटी है। उसी के अनुसार मैनेजर, श्री शिव प्रसाद यादव और डी0 आई0 ओ0 एस0 ने पिछले हफ्ते सारे मास्टरों को तनख्वाहों की रिलीज किया है। इसलिये 3 कमेटियां चलने का सवाल नहीं पैदा होता है। अब विधिवत् 3 साल पूरे होने के बाद पिछली 18 तारीख को एक नयी

कमेटी बना दी गई है । तो वहां किसी किस्म का सवाल नहीं पैदा होता । डी0 आई0 ओ0 एस0 ने माना हुआ है, शेष तनख्वाहों को रिलीज किया है, तो इस चीज के होते हुए जो मन्त्री ने कहा 3 कमेटियां हैं, वह कुछ नहीं है । सुचारु रूप से काम हो रहा है, तो क्या सिंगिल हैंड आपरेशन को खत्म करने की बात करेंगी ?

श्री अध्यक्ष---

मंत्री जी, असली प्रश्न यह है कि क्या जिला विद्यालय निरीक्षक ने श्री यादव की कमेटी को मान्यता दे दी है ?

श्रीमती मालती शर्मा---

मान्यवर, वहां कमेटियों में विवाद है और इसी कारण से वहां दो प्रमुख व्यक्ति हैं--- श्री कृष्ण मुरारी और दूसरे श्री शिव प्रसाद यादव जिनमें आपस में गुटबन्दी है, जिसके कारण दोनों अपनी-अपनी कमेटियां बनाकर डी0 आई0 ओ0 एस0 के सामने अपनी-अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट भिन्न-भिन्न हैं । श्री कृष्ण मुरारी ने जो रिपोर्ट दिया है उसमें मेम्बरों की संख्या बदली है, जो विवाद का कारण है, जिससे डी0 आई0 ओ0 एस0 ने एकल व्यवस्था चलाई है ।

श्री अध्यक्ष---

क्या किसी कमेटी को जिला विद्यालय निरीक्षक ने मान्यता प्रदान की है, कि नहीं ?

श्रीमती मालती शर्मा---

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(सदन में हंसी)

श्री मधुकर दिघे---

मान्यवर, जब माननीय मन्त्री जी ने यह सूचना दे दी कि वहां विभिन्न प्रकार के लोगों में आपस में झगड़ा है, इस बात को देखकर निर्णय लिया गया है कि डी0 आई0 ओ0 एस0 सारा कार्य करें । तो इसमें यह स्वयं निहित हो जाता है कि कार्य में अभी किसी को मान्यता नहीं दी गयी है ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मन्त्री जी आपका उत्तर सही नहीं है । जब आपने स्वयं कहा कि तीन कमेटियों की रिपोर्टें आयीं, इसीलिये मैं जानना चाहता था कि किसी कमेटी को मान्यता दी गयी कि नहीं? आपके उत्तर से पता नहीं चलता है । आप को इस तरह का उत्तर नहीं देना चाहिये । वित्त मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया क्या माननीय मन्त्री जी वह उत्तर सही है ?

श्रीमती मालती शर्मा---

मान्यवर, मेरा अभिप्राय यह है कि अभी किसी को मान्यता नहीं दी गयी है । इसीलिये सारा कार्य डी0 आई0 ओ0 एस0 के अन्तर्गत चल रहा है ।

श्री रियासत हुसैन---

क्या माननीय मन्त्री जी को यह मालूम है कि जितने भी डी0 आई0 ओ0 एस0 के दफ्तर के पत्र व्यवहार, तनख्वाह आदि देने का काम है वह सब शिव प्रसाद यादव, भूतपूर्व मैनेजर के द्वारा, पिछले हफ्ते 18 तारीख तक हुए हैं । यह मंत्री जी को क्या मालूम है, कि नहीं ? यदि मालूम है, तो फ़िर किसी और कमेटी का प्रश्न ही कहां उठता है ?

श्रीमती मालती शर्मा---

मान्यवर, इसकी सूचना मंगा ली जायगी ।

श्री श्यामधर मिश्र---

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि इन्होंने सप्लीमेन्टरी के जवाब में कहा कि 3-3 कमेटियां चल रही हैं और रियासत हुसैन जी ने कहा कि अब केवल एक कमेटी चल रही है। तो तीन कमेटियों की सूचना, कब की है ?

श्रीमती मालती शर्मा---

मान्यवर, किसी निश्चित तिथि की जानकारी नहीं है ।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)---

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतायेंगी कि उस विद्यालय की प्रबन्ध समितियों में जो विवाद है, तो उसको देखते हुए उन प्रबन्ध समितियों को भंग कर किसी एडमिनिस्ट्रेटर को क्या रखेंगी, जिससे वह वहां का प्रबन्ध कर सके?

श्रीमती मालती शर्मा---

अभी इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

बहराइच में बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों की अनिवार्य जमा योजना की किस्त का भुगतान

*6---श्री कमला प्रसाद वर्मा---

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों की अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा की गई धनराशि की प्रथम व द्वितीय किस्त नकद रूप से भुगतान करने का निर्देश विगत एक साल के अन्दर हुआ है ? यदि हां, तो बहराइच जनपद के बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों की अनिवार्य जमा योजना की धनराशि अब तक भुगतान न करने का क्या कारण है और कब तक भुगतान कर दिया जायगा ?

श्रीमती मालती शर्मा---

प्रथम किस्त के भुगतान हेतु सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् को 12 नवम्बर, 1976 को तथा द्वितीय किस्त के भुगतान हेतु 24 अगस्त, 1977 को निर्देश दिये गये । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच की सूचना के अनुसार स्टाफ की कमी के कारण लेखा तैयार नहीं किया जा सका जिसे यथाशीघ्र तैयार कराकर क्षेत्रीय प्रावीडेन्ट फंड आयुक्त को प्रेषित किया जायगा तथा वहां से धन प्राप्त होने पर भुगतान की व्यवस्था की जायेगी ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो इसमें पहली किस्त देने का निर्देश हुआ था, वह 12 नवम्बर, 1976 को हुआ था ।

और दूसरी 24 अगस्त, 1977 को तो क्या पहली किश्त का भुगतान हुआ या अभी नहीं हुआ ? इस संबंध में क्या सूचना है ?

श्रीमती मालती शर्मा---

अभी भुगतान नहीं हो पाया है ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा---

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने इसमें यह कारण बताया है कि स्टाफ की कमी है । तो क्या स्टाफ बढ़ाकर इस अनिवार्य योजना का लेखा तैयार कराया जा रहा है या नहीं ? स्टाफ की कमी पूरी कर दी गयी या नहीं ?

श्रीमती मालती शर्मा--

स्टाफ वही है किन्तु लेखा तैयार कराया जा रहा है ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने बताया कि स्टाफ की कमी है इसलिये लेखा तैयार नहीं हो पाया । लेकिन अब वह कह रही हैं कि उसी स्टाफ से काम कराया जा रहा है । मैं समझ नहीं पा रहा हूं । क्या मंत्री जी स्टाफ बढ़ाकर इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराने की कृपा करेंगी ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, आपका जवाब है कि स्टाफ की कमी की वजह से 1 साल से आदेश का पालन नहीं किया गया । आप पुनः कहती हैं कि वही स्टाफ तैयार कर रहा है । आप कोई ऐसा आश्वासन देंगी कि यह जो रुपया है, उसका कब तक भुगतान हो जायगा ?

श्रीमती मालती शर्मा--

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच को यह आदेश दिये गये हैं कि वह शीघ्र ही ओवर-टाइम देकर, अपने स्टाफ से इस कार्य को पूरा करवायें ।

श्री अध्यक्ष--

मुख्य मंत्री जी एक साल हो गया निर्देश दिये हुये वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पहली किस्त भी अदा नहीं की । यह स्थिति शोचनीय है । मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं । आपको बेसिक शिक्षा अधिकारी से जवाब तलब करना चाहिये क्योंकि साल भर हो गया ।

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

इस संबंध में, जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे, वह उठाये जायेंगे । जो भी अधिकारी दोषी पाया जायगा, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ।

श्री श्यामधर मिश्र--

साल भर की रकम प्राविडेंट फंड कमिश्नर के विभाग में जमा नहीं हुई । क्या यह नियम नहीं है कि प्राविडेंट फंड कमिश्नर.....

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न नहीं उठता ।

एक सदस्य--

पिछला शासन निकम्मा था ।

उप विद्यालय निरीक्षक (गोरखपुर) के कार्यालय से संबंधित सहायक अध्यापक की गिरफ्तारी

*7--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उप विद्यालय निरीक्षक, जिला गोरखपुर के कार्यालय से कापी किताबें जो मुफ्त में वितरित होनी थी, वर्ष 1975-76 एवं 1976-77 में बाजार म बिकती हुई पाई गयीं, जिसकी सूचना गोरखपुर के पुलिस को भी है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती मालती शर्मा--

जी नहीं। बेसिक शिक्षा परिषद्, गोरखपुर के अंतर्गत एक सहायक अध्यापक पुस्तकें एवं रजिस्टर आदि सहित दिनांक 31-12-76 को पुलिस द्वारा अवश्य संदिग्धावस्था में पकड़े गये थे तथा उनके विरूद्ध पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था। प्रसंगत अध्यापक को निलंबित भी कर दिया गया था। परन्तु अंततोगत्वा प्रमाण न मिलने के कारण पुलिस द्वारा इस प्रकरण में फाइनल रिपोर्ट दिनांक 25-5-77 को लगाई जा चुकी है। इस विषय में पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर से पूछतांछ जारी है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में। इस विषय में पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर से पूछतांछ जारी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जो अध्यापक पकड़ा गया, वह डी० आई० महोदय के आफिस में कार्यरत था, किसी स्कूल में नहीं था ? उसी के माध्यम से डी० आई० सारा सामान बिकवाते थ....

श्री अध्यक्ष--

समय कम है। आप सीधे प्रश्न करें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, ये सारी बातें बेमतलब की हैं। क्या मंत्री जी इसकी पूरी जांच करवा कर पूरी जानकारी माननीय सदन के सामने रखेंगी ?

श्रीमती मालती शर्मा--

मान्यवर, यह अध्यापक निलम्बित है। विभाग की ओर से इसकी जांच चल रही है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

प्रश्न यह नहीं उठता। पुलिस से क्या जानकारी मिली। यह मामला सब सदन के सामने आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, उनका मुख्य प्रश्न यह है कि जिला निरीक्षक ने ही उनको यह बढ़ावा दिया, उस टीचर को। इस संबंध में आवश्यक जांच करली है क्योंकि मुकदमा फेल हो गया, लेकिन टीचर अभी निलंबित है ? इसकी फिर से जांच करा ली जाय।

झिनकू लाल इण्टर कालेज, बस्ती के प्रधानाचार्य का गबन के सम्बन्ध में निलम्बन

8--श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)--

क्या शासन को जानकारी है कि झिनकू लाल इंटर कालेज, कलवारी, बस्ती के प्रधानाचार्य द्वारा हजारों रुपय गबन करने तथा अनेक प्रकार के अनियमित कृत्यों के कारण उक्त विद्यालय की प्रबंध समिति ने प्रधानाचार्य को सेवा विमुक्त करके सम्पूर्ण कागजात जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती के सुपुर्द मई, 1977 में कर दिये थे परन्तु अभी तक जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा भ्रष्ट प्रधानाचार्य के विरुद्ध कोई कायवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्या सरकार मामले की उच्चस्तरीय जांच कराकर कार्यवाही करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

नोटः--नियम 38 (2) के अंतगत तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री काली चरन--

जी हां। प्रधानाचार्य की सेवा समाप्ति का प्रस्ताव 19-5-77 को प्राप्त हुआ। विद्यालय निरीक्षक द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है अतः किसी उच्चस्तरीय जांच का प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग में नियुक्त अन्य विभागों से आने वाले जूनियर इन्जीनियरों के वेतन का निर्धारण

*9--श्री सोहन वीर सिंह तोमर---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतलायेंगे कि इस समय सिंचाई विभाग में कितने ऐसे जूनियर इन्जीनियर हैं जो सिंचाई विभाग में आने से पहले दूसरे विभागों में समान कैडर के पदों पर कार्य कर रहे थे ?

सिंचाई मंत्री (श्री बलवीर सिंह)---

प्रश्न से संबंधित 78 मंडलों में से 52 मंडलों से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत जूनियर इंजीनियरों की संख्या 90 है।

शेष 26 मंडलों से वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

*10---श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतलायेंगे कि क्या शासन द्वारा मुख्य अभियन्ता सिंचाई, विभाग को इस बात के आदेश दिये गये थे कि उपरोक्त जूनियर इंजीनियरों का वेतन निर्धारण फन्डामेंटल रूल 22 फाइनेन्शियल हैन्ड बुक भाग 2 खण्ड 2-4 के अनुबन्धों के अन्तर्गत किया जाय ? यदि हां, तो कितने ऐसे जूनियर इंजीनियर हैं जिनका वेतन निर्धारण इन आदेशों के अनुसार नहीं किया गया है ?

श्री बलवीर सिंह---

जी हां, उपर्युक्त 52 मंडलों में कार्यरत 90 जूनियर इंजीनियरों में से 36 का उक्त शासनादेश के अनुसार वेतन निर्धारण अभी तक नहीं किया जा सका है।

शेष 26 मंडलों से सूचना एकत्र की जा रही है।

[दिनांक 21 सितम्बर, 1977 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

सार्वजनिक निर्माण विभाग के जूनियर इन्जीनियर्स महासंघ का मांग-पत्र

*1---श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें जून, जुलाई, सन् 1977 में उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का कोई मांग-पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित संघ की मांगों तथा उन पर विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही का संक्षिप्त ब्योरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)--

जी हां।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियर्स से संबंधित महासंघ की मांगों तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 407-408 पर।)

*2-3--श्री ऊदल--

[6ठे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 19-20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जिला परिषद्, इलाहाबाद के अध्यापकों की अनिवार्य जमा योजना की किस्त का भुगतान

*4--श्री नाथू राम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, इलाहाबाद के परिषदीय अध्यापकों को अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत की गयी कटौती की रकम की प्रथम किस्त अब तक वापस नहीं की गई ? क्या यह सही है कि उसी बोर्ड के अन्य विभागों के कर्मचारियों को प्रथम किस्त वापस हो चुकी है तो क्या सरकारी शिक्षकों को भी प्रथम किस्त की अदायगी के लिये आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री काली चरन--

जी हां । परिषदीय अध्यापकों को प्रथम किस्त की अदायगी के लिये आदेश 12 नवम्बर, 1976 को निर्गत किये जा चुके हैं और भुगतान हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

जिला परिषद्, इलाहाबाद के अध्यापकों का भविष्य निधि का विवरण

*5--श्री नाथू राम शिक्षक--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिला परिषद्, इलाहाबाद में शिक्षकों की भविष्य निधि का विवरण उनको वर्ष के अन्त में कभी भी नहीं दिया जाता? यदि हां, तो शिक्षकों को उनके भविष्य निधि का हिसाब प्रत्येक वर्ष के अन्त में दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री काली चरन--

जिला परिषद्, इलाहाबाद में शिक्षकों को वर्ष 1972 तक के भविष्य निधि का विवरण दिया जा चुका है । फरवरी, 1973 तक का हिसाब तैयार है । शेष अवधि का हिसाब तैयार किया जा रहा है । पूर्ण होते ही दे दिया जायगा । शिक्षकों के भविष्य निधि का हिसाब वर्ष समाप्त होने के बाद अभिदाताओं के उपलब्ध कराने की पहले से ही व्यवस्था है ।

शिक्षा और परीक्षा पद्धति में परिवर्तन के प्रश्न पर विचार

*6--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या यह सही है कि शासन शिक्षा और परीक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब से और कैसे ?

श्री काली चरन--

शिक्षा और परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करने का प्रश्न सम्प्रति भारत सरकार के विचाराधीन है ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदेश की बाढ़ नियंत्रण योजना की प्रतियों की मांग

*7--श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1975-76 व 1976-77 में कोई पत्र केंद्रीय सरकार से बाढ़ नियंत्रण की रूप रेखा बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा गया था ?

यदि हां, तो वह पत्र कब प्राप्त हुआ और दिनांक 31 जुलाई, 1977 तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलवीर सिंह--

जी हां। भारत सरकार ने 27-12-76 को अपने पत्र द्वारा प्रदेश की बाढ़ नियंत्रण योजना की 12 प्रतियां मांगी थी। 300 करोड़ रु0 के मास्टर प्लान की प्रतियां 28-2-77 को भारत सरकार को भेजी जा चुकी हैं। योजना भारत सरकार के विचाराधीन है।

बस्ती जिले में घाघरा नदी से कटान रोकने की योजना

*8--श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1975-76 व 1976-77 में घाघरा नदी की कटान को बस्ती जिले में रोकने हेतु कौन सी योजना बनाई गई और वह कब तक लागू की जाएगी ?

श्री बलवीर सिंह--

बस्ती जनपद में घाघरा नदी से कटान रोकने के संबंध में 48.77 लाख रु0 की एक योजना 1976 में बनाई गई। योजना के अन्तर्गत हरैया तहसील में विक्रमजोत से कटकवापुर तक 55 डेम्पनर्स का प्राविधान था जिसमें से राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् ने 55 के स्थान पर केवल 15 डैम्पनर्स बनाये जाने की स्वीकृति दी थी। इन डैम्पनरों का निर्माण 9 लाख रु0 की लागत से करा दिया गया है।

खर्चीले पब्लिक स्कूलों को समाप्त किये जाने की मांग

*9--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में सभी बच्चों को शिक्षा में समान अवसर और समान सुविधा उपलब्ध कराने के लिये पब्लिक (खर्चीले एवं फैन्सी) स्कूलों को समाप्त करने जा रही है ? यदि हां, तो कब से, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरन--

राज्य के सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर और समान सुविधा सामाजिक और आर्थिक विषमतायें दूर करके ही उपलब्ध करायी जा सकती है। थोड़े से पब्लिक स्कूलों को समाप्त कर देने मात्र से इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती। अतः इन स्कूलों को समाप्त करने का प्रश्न सम्प्रति विचारणीय नहीं है।

माध्यमिक शिक्षक संघों की मांगें

*10--श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कष्ट करेंगे कि दिनांक 7 तथा 9 अगस्त, 1977 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के दोनों गुटों ने पृथक-पृथक प्रदर्शन करके कोई ज्ञापन दिये हैं ? यदि हां, तो उनकी क्या मांगें हैं तथा सरकार उन मांगों के विषय में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री काली चरन--

दोनों गुटों के ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। उनकी मांगें संलग्न हैं। कुछ मांगें राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र के बाहर हैं। अवशेष मांगों का परीक्षण किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 409-411 पर।)

माध्यमिक विद्यालयों के गैर शिक्षक कर्मचारियों की मांगें

*11--श्री बाबू राम शुक्ल--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में माध्यमिक विद्यालयों के गैर शिक्षक कर्मचारियों ने कोई ज्ञापन दिया है ? यदि हां, तो उनकी क्या मांगें हैं ? तथा सरकार उन पर क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री कालीचरन--

जी नहीं । एक ज्ञापन जुलाई, 1977 के अंतिम सप्ताह में प्राप्त हुआ था । उनकी मांगें संलग्नक में हैं । उन पर विचार किया जा रहा है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 412 पर ।)

अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं डिग्री कालेजों के अध्यापकों की सेवा शर्तें तथा सेवा निवृत्ति के नियम

*12--श्री राजेंद्र कुमार--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अल्पसंख्यक वर्ग (मुसलमानों तथा ईसाइयों) द्वारा संचालित गैर सरकारी मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा डिग्री कालेजों में कार्यरत अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति, सेवानिवृत्ति तथा सेवा शर्तों के बारे में वही नियम लागू करने पर विचार करेगी जोकि सामान्य मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं डिग्री कालेजों के अध्यापकों तथा प्रधानाध्यापकों पर लागू होते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरन--

अल्प संख्यक वर्ग द्वारा संचालित गैर सरकारी मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों की सेवा शर्तें एवं सेवा निवृत्ति संबंधी नियम वही है जो अन्य गैर सरकारी मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के समकक्षी कर्मचारियों के संबंध में लागू है । केवल इन कर्मचारियों के चयन संबंधी नियम अल्प संख्यक वर्ग द्वारा संचालित विद्यालयों से अन्य विद्यालयों में से भिन्न हैं । अल्प संख्यक वर्ग द्वारा संचालित गैर सरकारी मान्यता प्राप्त डिग्री कालेजों में कार्यरत अध्यापकों व प्रधानाचार्यों के सेवा निवृत्ति के नियम वही हैं जो अन्य गैर सरकारी महाविद्यालय के अध्यापकों व प्रधानाचार्यों के संबंध में लागू हैं । अल्प संख्यक वर्ग द्वारा संचालित डिग्री कालेजों के अध्यापकों व प्रधानाचार्यों के चयन तथा सेवा शर्तों के नियमों में भिन्नता है । उपर्युक्त दोनों प्रकार की संस्थाओं में कथित मामलों में भिन्नतायें संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के प्राविधानों क फलस्वरूप है । अतएव भिन्नता दूर कर एक-सी व्यवस्था करना उचित न होगा और संविधान के विरुद्ध होगा।

*13--श्री राजद्र कुमार--

[6 ठे बुधवार के लिये स्थगित]

खाद्यान्नों के बढ़ते हुए मूल्य को रोकने हेतु की गयी कार्यवाही

*14--श्री गनेशी लाल चौधरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह सही है कि सरकार खाद्यान्नों के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिये कोई प्रभावी कदम उठाने जा रही है ? यदि हां, तो वह प्रभावी कदम क्या हैं ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री हरिश चन्द्र)--

खाद्यान्नों के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए प्रदेश शासन द्वारा प्रयास किया गया है। इस संबंध में निम्न कार्यवाही की गई है:--

(1) उचित मूल्यों पर अधिकाधिक गेहूं/चावल की सम्पूर्ति किये जाने के उद्देश्य से कार्ड धारकों के लिये राशन स्केल को बढ़ाकर 10 किलो ग्राम गेहूं तथा 4 किलोग्राम चावल प्रति यूनिट प्रतिमाह कर दिया गया है।

(2) देहाती क्षेत्रों में भी मूल्य बढ़ने की दशा में जिलाधिकारियों को यह आदेश हैं कि वह प्रभावित क्षेत्र में शक्कर के कोटेदारों तथा अन्य सहकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं/चावल की उपरोक्त राशन स्केल की अधिकतम सीमा तक सम्पूर्ति करें।

(3) दिनांक 1 सितम्बर, 1977 से चावल श्रेणी 2 का फुटकर मूल्य रु0 2.25 पसे प्रतिकिलों से घटाकर रु 01.80 पसे प्रति किलो कर दिया गया है।

(4) उपभोक्ताओं को उच्च श्रेणी का चावल भी राशन की दुकानों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जा रहा है।

(5) थोक व्यापारियों व कमीशन एजेंटों द्वारा खाद्यान्न की संग्रह सीमाओं को काफी घटा दिया गया है जिससे कि वे जमाखोरी न कर सकें।

(6) इसी प्रकार तिलहन व तेल की संग्रह सीमा 1000 कुंटल निर्धारित कर दी गई है।

(7) आयातित रैप सीड तेल को स्वच्छ करा कर रु07.50 पैसे प्रति किलो की दर से कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ एवं वाराणसी नगरों के उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

(8) यह भी व्यवस्था 20 जुलाई, 1977 से कर दी गई है कि जो व्यापारी दालों का निर्यात करते हों वे संबंधित दाल का कम से कम 100कुंटल स्टाक निर्यात किये जाने वाली मात्रा के अलावा अपने पास रखें।

(9) जिलाधिकारियों को निर्देश हैं कि वे जिला मानीटरिंग समिति की प्रतिमाह बैठक बुला कर समीक्षा कर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखें एवं अनावश्यक वृद्धि होने पर संबंधित बिक्रेताओं के संघों से बातचीत कर मूल्यों में कमी लाने का प्रयास करें।

(10) दुकानदारों द्वारा मूल्य व स्टाक की सूची का प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए भी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये ह।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के पंजीकरण एवं विकास शुल्क में वृद्धि

*15--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय ने छात्रों का पंजीकरण शुल्क चार रुपया से बढ़ाकर पंद्रह रुपया एवं अतिरिक्त शुल्क बीस रुपया (विकास-शुल्क) कर दिया है जिसस छात्रों में घोर असंतोष एवं उत्तेजना व्याप्त है? यदि हां, तो क्या इन अतिरिक्त शुल्कों को वापस लेने का आदेश विश्वविद्यालय अधिकारियों को देंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री काली चरन--

शैक्षिक सत्र 1976-77 से गोरखपुर विश्वविद्यालयों द्वारा भी अन्य राज्य विश्वविद्यालयों की ही भांति 15 रु0 पंजीकरण (इनरोलमेंट) शुल्क तथा 20रु0का विकास शुल्क वार्षिक

लिया जा रहा है । उक्त दर पर लिये जा रहे इनरोलमेंट शुल्क एवं विकास शुल्क कारण छात्रों में असंतोष एवं उत्तेजना की कोई सूचना विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं हुई है। उक्त शुल्क वापस करने के आदेश देने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

*16--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

[6ठे बुधवार के लिये स्थगित]

*17--श्री जगन्नाथ सिंह--

[6ठे बुधवार के लिये स्थगित ।]

फैजाबाद की बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*18--श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला, श्रीमती राम दुलारी तिवारी), फैजाबाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें जुलाई-अगस्त, 1977 माह में प्राप्त हुई ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं। तथा उसका क्या परिणाम निकला और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री काली चरन--

जी हां ।

अध्यापिकाओं के वेतन काटने, उन्हें परेशान करने, धन प्राप्त करके उन्हें अनुचित लाभ देने एवं अनियमित रूप से स्थानान्तरण करने के आरोप हैं ।

मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, फैजाबाद द्वारा जांच की जा रही है ।

*19--डाक्टर भगवत दयाल--

[6 ठे बुधवार के लिये स्थगित ।]

*20--श्री मुहम्मद रफी खां--

[प्रदेशीय सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त ।]

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अवर अभियन्ताओं के स्थायीकरण की मांग

*21--श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत 90 अवर अभियंताओं जिनकी सेवायें लगभग 12 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की हो गई हैं, को अभी तक नियमित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि शासनादेश संख्या 32/2/65, दिनांक 28 मार्च, 1966 के अन्तर्गत मुख्य अभियंता/विभागाध्यक्षों के कार्य क्षेत्र में ऐसा किया गया था परन्तु उस अवधि में इन्हें नियमित नहीं किया गया ? इन्हें नियमित करने में अभी और कितना समय लगेगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी हां, इन अवर अभियंताओं को लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित न किये जाने की वजह से नियमित करने के आदेश जारी नहीं किये जा सके थे ? इनमें से 14 अवर अभियंताओं का अनुमोदन लोक सेवा आयोग ने कर दिया है । उसको नियमित किये जाने की कार्यवाही मुख्य अभियंता द्वारा की जा रही है ।

यह सही है कि शासनादेश संख्या 32/2/65, दिनांक 28-3-66 में अधिदर्शक (अब अवर अभियंता) को लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर करने का निर्णय लिया गया था । तदनुसार तदर्थ नियुक्त अवर अभियंताओं को नियमित करने के लिए सेवा नियमावलियों में संशोधन किया जाना था । इस संबंध में कार्यवाही पर विचार होने से पूर्व शासनादेश दिनांक 7 जुलाई, 1967 के अनुसार अधिदर्शकों को लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत पुनः ले आया गया । इनको नियमित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है । इसमें अभी कुछ और समय लगने की संभावना है क्योंकि यह समस्या अन्य विभागों की भी है जिस पर साथ-साथ विचार होना है।

सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति

*22--श्री बिहारी लाल हंस (जिला हरदोई)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग म 15 से 18 वर्ष की सेवा काल के कितने सहायक अभियंता हैं जिनकी प्रोन्नति नहीं की गयी है ? क्या यह सही है कि इनसे कनिष्ठ सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता/सहायक अभियंता प्रभारी के पद पर प्रोन्नति किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह--

सिंचाई विभाग में 15 से 18 वर्ष की सेवाकाल के 96 सहायक अभियंता ऐसे हैं जिनकी प्रोन्नति नहीं हुई है।

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी जिले के लालानगर डाक बंगला में बिजली व पानी की सुविधा

*23--श्री श्यामधर मिश्र--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रैंड ट्रंक रोड स्थित लालानगर (वाराणसी) डाक बंगला, जो गोपीगंज टाउन एरिया के पास है, में बिजली पानी आदि की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है । यदि हां, तो इन सुविधाओं को देने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

बिजली की सुविधा नहीं है परन्तु पानी की सुविधा है ।

वर्ष भर में औसतन पांच या सात व्यक्ति इसमें रुकते हैं अतः इसकी व्यवस्था आवश्यक नहीं समझी गई।

*24--श्री राम जी--

[3रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 22 के अन्तर्गत उत्तरित ।]

प्रधानाचार्य, काकोरी शहीद हायर सेकेण्डरी स्कूल, शाहजहांपुर की सेवा समाप्ति

*25--श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि प्रिंसिपल, काकोरी शहीद हायर सेकेंड्री स्कूल, खुटार, शाहजहांपुर को कब और किस आधार पर मुअत्तिल किया गया था ? और उनको 30 जुलाई, 77 तक कुल कितनी रकम सस्पेंशन एलाउन्स के तौर पर दी गयी ? यदि कुछ नहीं दी गयी, तो उसका आधार क्या है और उसके लिए उत्तरदायी कौन है ?

श्री काली चरन--

जी हां, प्रधानाचार्य, काकोरी शहीद हायर सेकेंड्री स्कूल, खुटार (शाहजहांपुर) को विद्यालय के छात्रवृत्ति के धन के गबन के आरोप पर माह अप्रैल, 1974 में निलम्बित किया गया। उन्हें 30-7-77 तक सस्पेंशन एलाउन्स के तौर पर किसी भी रकम का भुगतान विद्यालय के खाते में धन के अभाव के कारण नहीं किया जा सका। इसके लिये विद्यालय की प्रबन्ध समिति उत्तरदायी है। अब दो माह का भुगतान 9-9-77 को चेक द्वारा किया गया है।

अतारांकित प्रश्न

ड्रेनेज खण्ड, बस्ती में विभिन्न अभियन्ताओं की नियुक्ति तथा उनके विरुद्ध जांच की कार्यवाही

श्री सुखपाल पाण्डेय--

1-क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1972 से जुलाई, 1977 तक कितने अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता तथा अवर अभियंता ड्रेनेज खंड, बस्ती में नियुक्ति किये गये, कितने का स्थानान्तरण किया गया तथा उनमें से कितने के विरुद्ध शिकायतों की जांच कब से हो रही है ?

श्री बलवीर सिंह--

ड्रेनेज खंड, बस्ती में सन् 1972 से जुलाई, 1977 तक जितने अधिशासी अभियंता, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियंता नियुक्त एवं स्थानान्तरित किये गये उनकी संख्या निम्न प्रकार है:--

	नियुक्त
नियुक्त अभियंता--	
(1) अधिशासी अभियंता	6
(2) सहायक अभियंता	15
(3) अवर अभियंता	41
स्थानान्तरित अभियंता	
(1) अधिशासी अभियंता	6
(2) सहायक अभियंता	12
(3) अवर अभियंता--	23 (इनमें से 7 ने त्याग-पत्र दिया तथा एक की मृत्यु हो गई।)

निम्न अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत की जांच हो रही है:--

(1) अधिशासी अभियंता--1 (सतर्कता विभाग द्वारा जांच 13-7-76 से की जा रही है।)

(2) सहायक अभियंता-7 (एक अधिकारी के विरुद्ध 29-8-77 से विभागीय जांच तथा 6 के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच को की जा रही है।)

(3) अवर अभियंता-8 (3 के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच की जा रही है जुलाई, 77 से तथा 5 के विरुद्ध विभागीय जांच की जा रही है। इन 5 अवर अभियंताओं में से एक के विरुद्ध मई, 1971 में से दो के विरुद्ध अप्रैल, 76 से तथा एक के विरुद्ध मई, 76 से जांच की जा रही है।)

देवरिया जिले के जोकवा रजबहा की पटरी को पक्का किये जाने की मांग

2—श्री राम नरेश पांडेय (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जोकवा रजबहा (फाजिलनगर ब्लाक), जनपद देवरिया की बांयी पटरी को यातायात की सुविधा के लिये पक्का बनाने का विचार सरकार कर रही है? अगर हां, तो उक्त सड़क कब तक बनेगी ?

श्री बलबीर सिंह—

जी नहीं ।

देवरिया जिले के हायर सेकेण्डरी स्कूल, सिंगहा के अध्यापकों का वेतन

3—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के हायर सेकेंड्री स्कूल, सिंगहा के अध्यापकों का माह अक्टूबर-नवम्बर, 75 का वेतन अब तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री काली चरन (जिला देवरिया)—

जी हां । यह विद्यालय दिसम्बर, 75 से वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत आया । इसके पूर्व कथित अवधि के वेतन भुगतान का उत्तरदायित्व प्रबन्धतंत्र का है। प्रबन्धतंत्र के पास पर्याप्त धन उपलब्ध न होने के कारण अध्यापकों का वेतन भुगतान न हो सका ।

वाराणसी जिले के लिये ट्यूबवेल का आवंटन

4—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977–78 में सिंचाई की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए वाराणसी जिले को एक सौ ट्यूबवेल एलाट करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या एलाटमेंट की सूचना वाराणसी जिले के एस0ई0 ट्यूबवेल को सितम्बर, 77 तक दे दी जायेगी ?

श्री बलबीर सिंह—

जी नहीं । शासन वाराणसी जिले को वर्ष 1977–78 में 70 नलकूप आवंटित करने का विचार कर रहा है।

जी हां ।

5—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[6ठे बुधवार के लिये स्थगित]

फैजाबाद जिले में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत अधिनिर्मित सड़कें

6—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले के क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़कें कितने-कितने किलोमीटर की हैं जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत हैं ? पिछली सरकार द्वारा उन सड़कों पर क्या-क्या कार्यवाहियां निर्माण कार्य हेतु की गई थीं और वर्तमान सरकार की इस संबंध में क्या योजना है?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

प्रश्नगत सड़कों की विवरण सहित सूची नत्थी 'क' पर है । पिछली सरकार द्वारा इन सड़कों को पूरा करने की स्वीकृत दी गई और कार्य आरम्भ करने के आदेश दिये गये। वर्तमान सरकार की योजना है कि क्रैश प्रोग्राम के मातहत अधूरी सड़कों को जहां तक हो सके जून, 1980 तक पूरा किया जाय।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 413 पर)

7--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

[6 ठे बुधवार के लिए स्थगित]

8--श्री रामजी--

[6 ठ बुधवार के लिए स्थगित।]

फैजाबाद जिले की भवन विहीन प्राइमरी पाठशालाएं

9--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद के जिला परिषदीय प्राइमरी पाठशालायें कितनी ऐसी हैं जिनके भवन नहीं हैं अथवा इतनी जर्जर हालत में है कि जिनमें छात्रों को बैठने में जीवन का खतरा है और पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ते हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार शीघ्र क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री काली चरन--

जिला फैजाबाद के जिला परिषदीय प्राइमरी पाठशालाओं में से 472 भवनहीन पाठशालायें हैं और 426 पाठशालाओं के भवन जर्जर हालत में हैं ।

42 भवनों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है और 80 भवनों के निर्माण का कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को गत फरवरी, 1977 में सौंपा गया है जिस पर निकट भविष्य में कार्य प्रारम्भ हो जायेगा । भवनों के समुचित मरम्मत का दायित्व अभी भी जिला परिषदों का है और उनकी मरम्मत के लिये जिला अधिकारियों एवं अध्यक्ष, जिला परिषदों को 3 सितम्बर, 1977 को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये हैं।

फैजाबाद जिले में बेरोजगार प्रशिक्षित बी० टी० सी० अध्यापक

10--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद में वर्तमान समय अर्थात् 11 अगस्त, 1977 तक कितने बी0 टी0 सी0 ट्रेन्ड लड़के व लड़कियां बेरोजगार हैं और उनको रोजगार देने के संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री काली चरन--

जनपद फैजाबाद में 1255 पुरुष तथा 446 महिला बी0टी0सी0 प्रशिक्षित बेरोजगार हैं । इनमें से सम्प्रति 149 अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदों पर नियुक्ति हेतु आदेश दिये जा चुके हैं । आय-व्ययक पारित होने के पश्चात् जिले में कुछ नये प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल और खोले जायेंगे तब कुछ और नियुक्तियां की जायेंगी।

फैजाबाद जिले में शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत जमा की गयी धनराशि

11—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना हेतु मुख्य मंत्री शिक्षा निधि के साविधि खाते में जनपद फैजाबाद में 31 जुलाई, 1977 तक कुल कितनी धनराशि जमा हुई ? क्या यह सही है कि जमा धनराशि में से विद्यालयों के कृषि क्षेत्रों को विकसित करने हेतु एक भी पैसा आज तक नहीं खर्च किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री काली चरन—

शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत फैजाबाद जनपद में मुख्य मंत्री शिक्षा निधि का सावधि खाता नहीं है परन्तु फैजाबाद जनपद में डाकघर के बचत खाते में रु0 5,476.50 पैसे तथा शिक्षा निदेशालय के स्थायी खाते में रु0 99,340.15 पैसे जमा है । जमा धनराशि में से किये गये व्यय के वर्षवार आंकड़े संलग्न तालिका में दर्शाये गये हैं:—

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 414 पर)

इलाहाबाद जिले में किशुनपुर पम्प कैनाल पर पुलिया के निर्माण की मांग

12—श्री नाथू राम शिक्षक—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चम्पहा बाजार नहर से 200 गज दूर स्थित है, के पास लोअर गंग नहर और अब किशुनपुर पंप कैनाल पर बड़ा पुल निर्माण कराने हेतु ग्रामवासी जयन्तीपुर, तहसील मंझनपुर, जिला इलाहाबाद के निवासियों ने दिनांक 30—6—77 को जिलाधीश, इलाहाबाद के पास क्षेत्रीय विधायक के द्वारा मांग-पत्र अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग को दिया है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां । ग्रामवासी जयन्तीपुर, तहसील मंझनपुर, जिला इलहाबाद के निवासियों का प्रार्थना-पत्र क्षेत्रीय विधायक, श्री नाथूराम शिक्षक के नोट दिनांक 30—6—77 (दिनांक 20—6—77 नहीं) सहित जिलाधिकारी, इलाहाबाद के माध्यम से अधिशासी अभियंता, रामगंगा चैनल निर्माण प्रखंड, इलाहाबाद को दिनांक 4—7—77 को प्राप्त हुआ जिस पर जांच करायी जा चुकी है । इसका संबंध धाता राजबहा जिसको विधान सभा प्रश्न में "लोअर गंगा नहर और अब बिशुनपुर पंप कैनाल" कहा गया है, के मील 21—2—260 फीट पर एक कदीम पुलिया पहले से बनी हुयी थी और एक ग्राम सड़क पुलिया का निर्माण किया जाना स्वीकृत किया जा चुका है । इस पुलिया का निर्माण इस वित्तीय वर्ष (1977—78) में किया जाना प्रस्तावित है।

इलाहाबाद जिले की तहसील मंझनपुर के अन्तर्गत छिद्रित किये गये नलकूप

13—श्री नाथू राम शिक्षक—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला इलाहाबाद की तहसील मंझनपुर में अब तक सरकारी नलकूप कितने लगे हैं और उनमें कितने कार्यरत तथा कितने बेकार हैं, और क्या सरकार उन स्थानों का नाम भी बताने का कष्ट करेगी, जहां के नलकूप बेकार हैं ?

श्री बलवीर सिंह—

जिला इलाहाबाद की तहसील मंझनपुर में अब तक सात राजकीय नलकूप छिद्रित किये गये तथा उनमें से एक नलकूप ग्राम ओसा में चालू है। शेष छः छिद्रित नलकूल निम्न-लिखित ग्रामों में लगाये गये हैं जिनका निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है:—

(1) मंझनपुर
(2) समहा
(3) गोसपुर टिकरी
(4) गोवर सहायी
(5) मुकीमपुर
(6) धर्मपुर

चूंकि 6 छिद्रित नलकूपों का निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अतः इनके बेकार होने का प्रश्न नहीं उठता है।

वाराणसी जिले की ज्ञानपुर पम्प नहर परियोजना

14— श्री श्यामधर मिश्र—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ज्ञानपुर गंगा पंप कैनाल जिसकी नींव लगभग 6 माह पूर्व डाली जा चुकी है, की क्या प्रगति है ?

श्री बलवीर सिंह—

ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना के अन्तर्गत वरुणा-गंगा दोआब में मुख्य नहर तथा सीखड़ व भदोही रजबाहों का विस्तृत सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। परियोजना का आगणन भारत सरकार के विचाराधीन है और उस पर केंद्रीय जल आयोग की आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है। शासकीय स्तर पर इसका परीक्षण चल रहा है।

बहराइच जिले की प्राइमरी पाठशाला खुटेहना की भूमि का अनियमित आवंटन

15—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्राथमरी पाठशाला, खुटेहना, विकास खंड पयागपुर, जनपद बहराइच के पास गाटा संख्या 468 रकबा एक एकड़ 62 डि0 भूमि है जिसका आवंटन गलत ढंग से भूमिहीनों के नाम हो गया है ? यदि हां, तो उक्त आवंटन को रद्द कराने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा अब तक कौन-कौन कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरन—

जी हां।

आवंटन को रद्द कराने हेतु अध्यक्ष, जिला परिषद, बहराइच ने दिनांक 11 जुलाई, 1977 को जिलाधिकारी, बहराइच को लिखा है तथा जिलाधिकारी ने दिनांक 27 अगस्त, 1977 को परगना अधिकारी, बहराइच को जांच हेतु आदेश दिये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

16—श्री श्रीनारायण—

[6 ठे बुधवार के लिए स्थगित]

17-- श्री श्रीनारायण---

[6 ठे बुधवार के लिए स्थगित ।]

देवरिया जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं का कार्य-काल तथा उनके द्वारा सम्पादित कार्य

18--- श्री श्रीनारायण----

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में कितने ऐसे अभियन्ता निर्माण विभाग में कार्यरत हैं जिनकी सेवाएं 3 वर्ष से अधिक की है और वे कौन-कौन से महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन कर रहे हैं ?

श्री मोहम्मद मसूद खां----

देवरिया जिले में इस समय 3 वर्ष से अधिक की सेवा वाले 1 अधिशासी अभियन्ता, 5 सहायक अभियन्ता तथा 41 अवर अभियन्ता हैं ।इनमें से 1 अधिशासी अभियन्ता, 2 सहायक अभियन्ता तथा 15 अवर अभियन्ता, देवरिया जिले में 3 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं । इन अभियन्ताओं द्वारा किये जा रहे महत्वपूर्ण कार्य निम्नांकित हैं :----

(1) देवरिया-रुद्रपुर मार्ग का आधुनीकरण

(2) रुद्रपुर-नारायनपुर मार्ग का निर्माण

(3) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सड़कें

(4) भागलपुर में पीपे के पुल का निर्माण

(5) पिण्डी भागलपुर मार्ग, रतसिया-रामपुर बुजुर्ग मार्ग तथा बंगरवा,बांगरा बाजार मार्ग का नवनिर्माण ।

(6) क्रेश प्रोग्राम की सड़कें

(7) हाटा-पिपराइच मार्ग तथा मंसूरगंज लक्ष्मीपुर मार्ग का नवनिर्माण

(8) कसबा-सपहा तमकुही मार्ग का आधुनीकरण

(9) चीनी मिल के निकट मार्गों का निर्माण

(10) रामकोला-कस्बा मार्ग का आधुनीकरण

(11) विद्युतीकरण का कार्य

(12) मार्गों का अनुरक्षण ।

19-20—श्री नाथू राम शिक्षक---

[6 ठे बुधवार के लिए स्थगित]

शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत रायबरेली जिले में अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

21--श्री मन्नूलाल द्विवेदी (जिला रायबरेली)----

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत रायबरेली जिले में सन् 74 से अब तक जो भूमि केवल मिट्टी निकालने हेतु ली गई है उसका किसानों को मुआवजा किस दर से दिया जा रहा है? क्या सरकार मुआवजा की दर को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री बलवीर सिंह --

शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत रायबरेली जिले में सन् 1974 से मिट्टी लेने हेतु अस्थाई रूप से जो भूमि अधिग्रहित की गई है उस भूमि का प्रतिकर 1974 से सितम्बर, 1976 प्रत्येक वर्ष के लिए निम्न अनुसार दिया गया :---

"मौरूसी दर के अनुसार अधिग्रहित भूमि के मूल्यांकन की दूनी धनराशि व एक वर्ष का भू-राजस्व ।"

2 ---उक्त रेट दिनांक 14-9-76 को संशोधित किया गया और तत्पश्चात् अस्थाई रूप से भूमि का प्रतिकर स्वीकृत मौरूसी दर के अनुसार 12 1/2 गुनी धनराशि के बराबर दिया गया क्योंकि अधिग्रहण 8 मास से अधिक समय के लिये किया गया था ।

3 --उपरोक्त रेट में पुनः वृद्धि की गई और दिनांक 31-3-77 को यह निर्णय हुआ कि अधिग्रहण के प्रत्येक वर्ष के लिए मौरूसी दर के अनुसार मूल्यांकन की गई 121/2 गुनी धनराशि प्रतिकर के रूप में दी जाय । अब प्रतिकर बढ़ी हुई दर से दिया जा रहा है ।

4 --मुआवजों की दर को और बढ़ाने का प्रश्न अभी विचाराधीन नहीं है ।

राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर के शीशम के पेड़ों की नीलामी सम्बन्धी गायब की गयी फाइल

22 --श्री रामजी (जिला आजमगढ़)---

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर के प्रांगण में खड़े शीशम के पेड़ 1970-71 में नीलाम किए गए थे जो नीलाम नियमतः नहीं हुआ था तथा उससे सम्बन्धित पत्रावली गायब है ? यदि हां, तो उक्त पत्रावली को गायब होने पर कौन अधिकारी जिम्मेदार ठहराया गया तथा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री काली चरन--

जी हां, राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर के प्रांगण में खड़े शीशम के पेड़ 1970-71, में नीलाम किये गये थे ।

नीलाम नियमित रूप से किया गया था ।

शीशम के पेड़ों की नीलामी से सम्बन्धित पत्रावली गायब है । पत्रावली गायब होने के बारे में विभागीय जांच कराई गयी । जांच के उपरान्त श्री सय्यद खां फैयाज अली लेखाकार को पूर्णरूप से दोषी पाया गया अतः उनकी सेवायें समाप्त कर दी गई । इसके अतिरिक्त सम्बन्धित दो प्रधानाचार्यों को समुचित देखभाल में ढिलायी बरतने के लिये चेतावनी दी गई ।

निदेशक प्राविधिक शिक्षा तथा प्रधानाचार्य इलाहाबाद पालीटेक्निक को दिया गया कथित मानदेय

23 —श्री रामजी (जिला आजमगढ़)---

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974-75 व 1975-76 व 1976-77 में निदेशक, प्राविधिक शिक्षा व प्रधानाचार्य, इलाहाबाद पालीटेक्निक को मानदेय दिया गया था ? यदि हां, तो उसका आधार क्या था ?

श्री काली चरन--

जी, नहीं ।

वर्ष 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 में निदेशक, प्राविधिक शिक्षा अथवा प्रधानाचार्य, इलाहाबाद पालीटेक्निक, इलाहाबाद को कोई मानदेय नहीं दिया गया ।

देवरिया जिले में रसूलपुर माइनर पर ग्राम प्रसादपुर की पुलिया के निर्माण की मांग

24--श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद के पडरौना तहसील में गंडक नहर के रसूलपुर माइनर पर ग्राम प्रसादपुर के दक्षिण तथा ग्राम पकड़ी के उत्तर पैदल पुलिया के अभाव में ग्रामीणों को असीम कष्ट है ? यदि हां, तो उक्त माइनर पर शीघ्र पैदल पुलिया का निर्माण किया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलवीर सिंह--

देवरिया जनपद के तहसील पडरौना में रसूलपुर माइनर के मील 3-3-0 के निकट बायीं पटरी पर ग्राम प्रसादपुर तथा दाईं पटरी पर ग्राम पकड़ी स्थित है। ग्रामवासियों को नहर पर जाने हेतु, ऊपर की ओर बन्दोबस्ती रास्ते पर ग्राम मार्ग सेतु मील 3-0-0 पर निर्मित है तथा उसके नीचे मील 3-6-572 पर पुल बना हुआ है जिसे ग्रामवासी भली-भांति प्रयोग कर सकते हैं। अतः किसी और पुल को इतने निकट निर्माण कराये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

नगरपालिका, देवरिया की जूनियर कक्षाओं के प्रधानाचार्यों की प्रोन्नति के विरुद्ध शिकायती-पत्र

25--श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री महबूब अली द्वारा सदर अंजुमन कमेटी, देवरिया व श्री रमजान अली ने रजिस्टर्ड पत्र संख्या 371, दिनांक 30-7-77 द्वारा नगरपालिक परिषद देवरिया के शिक्षा विभाग में जूनियर कक्षाओं के प्रधानाध्यापकों की प्रोन्नतियों के मामले में की गयी अनियमितताओं के सन्दर्भ में कोई पत्र उनको भेजा है ? यदि हां, तो अनियमितताओं को दूर करने हेतु क्या-क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री काली चरन--

श्री महबूब अली का पत्र दिनांक 29 जुलाई, 1977 एवं श्री रमजान अली का पत्र दिनांक 28 जुलाई, 1977 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया को प्राप्त हुये थे। एक प्रधानाध्यापक की पदोन्नति चयन समिति द्वारा नियमित रूप से की गई है। अतः अनियमितता को दूर करने का प्रश्न नहीं उठता है।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के स्थायीकरण की मांग

26--श्री गिरीशचन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 30 सितम्बर, 1976 के उपरान्त कितने अध्यापकों की तदर्थ नियुक्तियां की गयीं ? क्या उनकी सेवाओं के स्थायीकरण करने का शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री काली चरन--

उत्तर प्रदेश के समस्त मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 30 सितम्बर, 1976 के बाद नियुक्त किये गये अध्यापकों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है। जहां तक इन अध्यापकों की सेवायें नियमित करने का प्रश्न है, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्नों के उत्तर समुचित ढंग से न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है.....

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

अभी आप बैठिये । उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है ।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश की विधान सभा का हमेशा मान मर्यादा और सम्मान रहा है । केशव सिंह के केस को सम्मान के साथ सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का इस विधान सभा ने अपना परिचय दिया है । यह बड़े खेद की बात है कि इस विधान सभा के सम्मान को, माननीय सदन के सम्मान को माननीय मंत्रियों द्वारा क्षति पहुंचायी जा रही है । जैसा आज देखा जा रहा है ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया । सरकार के तैयार हो कर न आने के कारण ऐसी बात होती है जिस पर आपको स्वयं दखल देना पड़ता है । तो मैं चाहता हूं कि इस बात की व्यवस्था करें कि भविष्य में यह मंत्रि-मंडल खास तौर पर क्वेश्चन आवर में पूरी तरह तैयार हो कर आये और इस किस्म की बात न हो । यदि सूचना उपलब्ध न हो तो समय मांगें ताकि इस प्रकार की बात भविष्य में न हो । मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं और इस तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

गन्ना विकास मंत्री (श्रीमती चन्द्रावती)--

मान्यवर, यह जो प्रश्न उठाया है कि मंत्रीगण प्रीपेयर करके नहीं आते हैं, यह बात गलत है । बात सही यह है कि यहां जो होता है, आवाज होती है, उस समय जो सप्लीमेंट्री सवाल किये जाते हैं उनको अच्छी तरह नहीं सुना समझा जाता है ।

(श्री खान मोहम्मद आतिफ खां के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री रियासत हुसैन जी ने प्रश्न उपस्थित किया है । आज शिक्षा मंत्री जी अस्वस्थ हैं और इसलिए खेद की बात है कि कुछ प्रश्नों का उत्तर असंतोषजनक रहा । मैं पुनः सरकार से कहना चाहता हूं कि प्रश्नों के समय संबंधित विभाग के मंत्री थोड़ा अधिक तैयार करके आयें और यदि किसी प्रश्न की सूचना उनको नहीं हो तो उसके लिये समय मांग लें ताकि उस समय तक उसे स्थगित कर दिया जाय और इस तरह के असंतोषजनक उत्तर न मिलें । (तालियां)

(श्री खान मोहम्मद आतिफ खां के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप बैठ जाइये । आप अपना स्थान ग्रहण करें । अब निधन क निदश होंगे ।

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भूतपूर्व सदस्य, श्री राम स्वरूप के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)---

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के भूतपूर्व सम्मानित सदस्य, श्री राम स्वरूप जी का देहावसान 13 जुलाई, 1977 को हो गया। यह देहरादून क निवासी थ और साधारण परिवार में उनका जन्म 1897 ई0 में हुआ था। गांव में ही शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् देहरादून डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्तर्गत एक विद्यालय में वह अध्यापक हो गए और 1954 तक निरन्तर वह उस विद्यालय की सेवा करते रहे। स्वाधीनता आन्दोलन जिस समय चल रहा था उस समय उन्होंने उसमें सक्रिय सहयोग दिया और उसके आधार पर कई बार जेल यातनायें भी सहीं। इतने लोकप्रिय समाजसेवी वह थे कि उनकी लोकसेवा भाव को देखते हुए देहरादून की नगरपालिका के लोगों ने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना। कई अन्य संस्थाओं के साथ भी उनका सम्बन्ध रहा। देहरादून का जो हिन्दी संस्थान था उसके भी वह अध्यक्ष रह और उसक साथ-साथ बराबर सामाजिक कार्यों में भाग लेते रहें। 1967-68 की विधान सभा में वह विधायक चुन कर आए थ और यहां पर सम्मानित सदस्य की हैसियत से कार्य करते रहे और आज वह हमारे बीच म नहीं है। विधि की विडम्बना यह है कि उनका इकलौता पुत्र उनकी मृत्यु के पहले ही काल कवलित हो गया। उनकी जो बहू थी वह भी उनके पहिले ही मर गयी थीं। अपने पीछे इस समय वह अपने एक पौत्र तथा अपनी विधवा पत्नी को छोड़ गए हैं। सदन की समवेदना उनके साथ है और इस सदन की समवेदना को उनके परिवार के पास भेज दी जाय। यही हमारी और आपकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

श्रीमन्, मैं भी अपने को माननीय नेता, सदन द्वारा स्वर्गीय श्री राम स्वरूप जी के निधन के भाषण में व्यक्त भावों से सम्बद्ध करना चाहता हूं। श्री रामस्वरूप उस पीढ़ी के वह प्रतिनिधि थे जिसने स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था और कई बार जेल यात्रा करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया था। उनकी मृत्यु से दहरादून जनपद का जनजीवन आज कई मानों म नतृत्व-विहीन हो गया है। उनका व्यक्तित्व बड़ा निस्पृह, निष्कलंक और विवादों से परे था। जब कभी मुझे उस अंचल में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैंने यह पाया कि उनके व्यक्तित्व के प्रति जन साधारण का आदर सदैव प्रतिभाषित होता रहा था। मेरा भी आपसे आग्रह है कि हम सभी की समवेदना उनके एक मात्र पौत्र तथा अन्य सम्बन्धियों तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

अध्यक्ष महोदय, श्री रामस्वरूप जी के निधन पर माननीय नेता, सदन और नेता, विरोधी दल न जो भावनायें व्यक्त की है, मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं। राम स्वरूप जी स्वतन्त्रता सेनानी रहे हैं और देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ी सेवा की है। इसके अलावा टेहरी रियासत के खिलाफ और उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ भी जो टेहरी राज्य प्रजा मन्डल बना था, उसके भी वह वर्षों तक अध्यक्ष रहे। उस रियासत को तोड़ने तथा उसको देश में मिलाने में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उस प्रजा मन्डल के बहुत से माननीय सदस्य आज भी जीवित हैं। इसलिए राम स्वरूप जी के उठ जाने से देहरादून तथा टेहरी क्षेत्र को जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति निकट भविष्य में सम्भव नहीं है। इसलिए मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे चाहता हूं कि आप मेरी और मेरी पार्टी की भावनायें उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--

मान्यवर, श्री राम स्वरूप जी के निधन पर जो विचार माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, श्री ऊदल ने व्यक्त किए हैं, हम अपने को उन विचारों से सम्बद्ध करते हैं। श्री राम स्वरूप जी सन् 1967 में इस विधान सभा क सदस्य रहे और उनकी दिलचस्पी विधान सभा की कार्यवाही में काफी रहती थी। हमारे निकट वह दारुलशफा में रहते थे। वह पर्वतीय अंचल के वरिष्ठ नेताओं में से थे। उनकी मृत्यु से उस अंचल ने एक कर्मठ कार्यकर्ता को खो दिया है। हमारे दल की तरफ से उनके सन्तप्त परिवार को समवेदना भेज दी जाय।

श्री अध्यक्ष--

माननीय राम स्वरूप जी के निधन पर, माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और श्री जगन्नाथ प्रसाद जी ने जो भावनायें प्रकट की हैं, मैं भी अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। श्री राम स्वरूप जी से मेरा बहुत पुराना परिचय था और बहुत समय तक हम लोगों को एक साथ काम करन का अवसर मिला। सन् 1967 की विधान सभा में वह यहां चुन कर आए थे और बड़े निश्छल और शांत प्रकृति के आदमी थे। हरिजन उद्धार तथा अनुसूचित जाति और ट्राइबल एरिया में उनकी सेवायें विशेष रूप से थीं। देहरादून की नगरपालिका से उनका बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा। 80 वर्ष की परिपक्व आयु पर उनका निधन हुआ है। उनका जीवन ही देश के लिए समर्पित था। उनके निधन से इस प्रदेश के सार्वजनिक जीवन को बड़ी क्षति हुई है। उनके निधन पर मैं भी अपनी समवेदना प्रकट करता हूं और माननीय सदन ने जो भावनायें प्रकट की हैं वह उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचा दी जायेंगी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उनके सम्मान में दो मिनट के लिए मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि भेंट करें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

विशेषाधिकार के प्रश्न उठाये जाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में व्यवस्था

(श्री बदन सिंह का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)--

मैंने एक विशेषाधिकार.....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, बार-बार आप खड़े हो जाते हैं। आप बैठें, आप नियम की जानकारी करें। (व्यवधान)

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां--

मुझे भी कहने का हक है.....

श्री अध्यक्ष--

आप स्थान ग्रहण करें।

एक सदस्य--

उनकी बात सुन लें वह क्या कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

मुझे अत्यन्त खेद है। श्री खान ने आकर मुझसे कहा कि वह कोई विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहते हैं। उस संबंध में मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह नियम 64 को देखें। इस तरह की सूचना की दो कापियां सचिव को दी जाती है और फिर उसका निर्णय अध्यक्ष करते हैं कि

वह ग्राह्य है या नहीं। यदि उनको कोई प्रश्न करना है तो नियम 64 के अनुसार विधान सभा की बैठक शुरू होने से पहले सचिव को आकर दो प्रतियों में दें और तब मैं उनको देखूंगा कि वह ग्राह्य योग्य है कि नहीं और यदि मुझे आवश्यकता हुई तो मैं आपसे सदन में पूछ सकता हूं। आप इस तरह से बार-बार उठने का प्रयास न करें। मैं आज इसकी अनुमति नहीं दे सकता। नियमों के अनुसार अगर आप को कोई सूचना देनी है तो आप कल दो कागज में सचिव को लिख कर दें दीजिये। तब मैं कक्ष में देखूंगा और आप मेरे कक्ष में आकर मिल भी सकते हैं। अगर वह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता होगा तो मैं विचार करके अपना निर्णय दूंगा।

ग्राम सांधन, अछनेरा, जिला आगरा में दस महिलाओं की मलेरिया से मत्यु और महिला प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र की उपेक्षा के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि जनपद आगरा के अछनेरा ब्लाक के अन्तर्गत सांधन गांव में श्रीमती किन्ना, विद्या, सुपेदा, दुलहारी, फरोदन, सोनदेई, जुवेंदा, असगरी, जैदेवी आदि दस महिलाओं की मृत्यु तीन सितम्बर से लेकर 12 सितम्बर, 1977 तक हुई है, ये सभी महिलाएं गर्भवती थीं, इन सबको मलेरिया बुखार आया, मलेरिया से तेज अधिक बुखार का यह संक्रामक रोग एकदम पूरे गांव में फैल गया जिससे दो-तीन दिन में ही उक्त ग्राम की 6,000 की आबादी में से 1,500 व्यक्ति बीमार हो गये और ये गर्भवती महिलायें इस संक्रामक रोग की पीड़ा से मौत के मुंह में दो चार दिन में ही चली गयीं। अछनेरा के महिला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से उनको कोई समुचित डाक्टरी सहायता उपलब्ध नहीं हो सकी, इससे इनकी मृत्यु इलाज के अभाव में हो गयी। संक्रामक रोग की भयंकरता से गांव के स्वस्थ्य लोग ग्राम छोड़कर भाग खड़े हुए हैं।

मान्यवर, यह रोग मेरे फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के सम्पूर्ण गांवों में फैल चुका है जिससे घोर तबाही की स्थिति पैदा हो गयी है। मेरा अनुरोध है कि इस रोग से ग्रामीणों को छुटकारा दिलाने हेतु डाक्टरों का एक पैनल इस रोग के परीक्षण एवं रोकथाम हेतु तुरन्त भेजा जाए ताकि बीमार ग्रामीणों की जिन्दगी बचायी जा सके। मैं इस माननीय सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस संक्रामक रोग से मरी महिलाओं के परिवारिकजनों को समुचित आर्थिक सहायता पहुंचाई जाए और दोषी डाक्टरों के विरुद्ध अविलम्ब कार्यवाही की जाय, साथ ही साथ इस क्षेत्र के बड़े-बड़े गांवों में सरकारी अस्पताल खुलवाये जायं, ताकि भविष्य में अन्य गांव में इस प्रकार के भयंकर रोग न फैल सकें और न मृत्यु हो सके। स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाइयों का अभाव यथाशीघ्र दूर किया जाना परमावश्यक है।

बुलन्दशहर के कस्बा जेवर में डकैती तथा पुलिस की निष्क्रियता के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री बेनी प्रसाद माधव (जिला बुलन्दशहर)---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जेवर, जिला बुलन्दशहर में 9/10 सितम्बर की रात में दो बजे कस्बे में डकती पड़ी। इस डकैती में 15-20 व्यक्ति मय हथियारों के घर में घुस गये और औरतों को हथियार दिखाकर सभी जेवरात उतरवा लिये। लगभग एक घंटा डकैत घर के अंदर रहे। 3 बजे थाने में दरोगा जी को इत्तला दी गयी। लगभग साढ़े 5 बजे दरोगा जी घटनास्थल पर पहुंचे और वहां से ग्राम मेहदीपुर गये। 2 घंटे में लौटने के बाद थाने में आकर अपने नित्यकार्य में लग गये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बेनी प्रसाद माधव--]

मैं ग्राम किशोरपुर में दीवार के गिर जाने से जिसमें 3 औरतों की मृत्यु हो गई थी और 4 को गम्भीर चोटें आई थीं, उन्हें जिलाधीश की ओर से आर्थिक सहायता दिलवाने गया था, लौटते समय जेवर गया। वहां पर कस्बे के लोगों ने इस डकैती का हाल सुनाया। उस समय तक दरोगा जी ने रिपोर्ट नहीं लिखी थी। जब रिपोर्ट लिखाने के लिये लोग वहां गये तो रिपोट लिखने के बाद कहा कि रिपोर्ट की नकल बाद में ले जाइयेगा।

इस डकैती में लगभग 1,50,000 (डेढ़ लाख) रुपया का माल गया है। इससे पहले भी जेवर कस्बे में एक माह के अंदर एक डकैती और हो चुकी है। थाने के अलावा कस्बे में चौकी भी है।

9/10 की रात को ग्राम सिरसा में नकब लगाकर चोरी हुई। इसकी रिपोर्ट लिखाने के लिये 10 सितम्बर को लोग थाने गये उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई।

जेवर थाने में और भी कई घटनायें चोरी व डकैती की हुई हैं। सारे इलाके में बदअमनी फैली हुई है। स्वयं अध्यक्ष, विधान सभा को भी जेवर की इस डकैती की 11 सितम्बर को कस्बे के नागरिकों ने जानकारी कराई थी। थानेदार इन घटनाओं को रोकने में कतई निष्क्रिय एव असमर्थ है और कस्बा जेवर में दो दिन पूर्ण हड़ताल भी रही।

श्रीमन्, इस संबंध में मैं अलग से यह भी बताना चाहता हूं कि इस बारे में 17 सितम्बर में एस0पी0 महोदय से मिला था, मैंने कहा था कि कहां के लोग चोरी-डकैती करके ले गये हैं, मैंने कहा था कि अगर ग्राम मेंहदीपुर में तत्काल छापा मारा जाए, तो डकैती का माल मिल सकता है इस सिलसिले में एक व्यक्ति को 3 दिन तक थाने में पकड़ कर रखा गया। लेकिन उस पर भी एस0पी0 महोदय ने कोई इमीडिएट कार्यवाही नहीं की। इस प्रकार की कठिनाई....

श्री अध्यक्ष--

आपने अपनी सूचना पढ़ दी। अब इस पर वक्तव्य की आवश्यकता नहीं है। आपने सूचना पढ़ दी, काफी है।

ग्राम सुबेहा, जिला बाराबंकी में हैजे के प्रकोप के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

अध्यक्ष महोदय, बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ तहसील के अन्तर्गत ग्राम सुबेहा में भीषण हैजा फैलने के कारण पांच मौतें हो गयीं। इस बीमारी से जनता में बेचैनी एवं भय व्याप्त हो गया है। इस प्रकार गम्भीर संक्रामक बीमारी के फैलने की सूचना पाने के बावजूद जिला प्रशासन घटना-स्थल पर तीसरे दिन पहुंचा जब कि उसे तत्काल पहुंचना चाहिये था। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही मौतें हुई और अभी भी लगभग 100 व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित हैं जिससे क्षेत्रीय जनता में आक्रोश एवं असंतोष व्याप्त है।

अतः पीड़ित व्यक्तियों की चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की जाय। सफाई कराने तथा कुओं, तालाबों में दवा छोड़ने की अविलम्ब व्यवस्था की जाय और इस घटना से जो लोग मरे है उनके त्रसित परिवारों को राहत और आर्थिक सहायता देने की सरकार से मांग की जाती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जे० के० औद्योगिक संस्थान, कानपुर की तीन मिलों में तालाबन्दी से बेरोजगारी के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, कानपुर की जे० के० औद्योगिक संस्थान देश की एक बड़ी संस्थानों में मानी जाती है। यह देश की एकाधिकार संस्थानों में से मान्यता प्राप्त है पर इस संस्थान ने अपनी तीन मिलों को बन्द करके कानपुर में न केवल बेरोजगारी की समस्या को बढ़ा दिया है बल्कि शान्ति व्यवस्था को भी खतरा पैदा कर दिया है। जे० के० मैनुफैक्चरर्स कम्पनी, कानपुर सूती मिल आजादी के पहले की है। इसमें 2300 श्रमिक कार्य करते हैं। सन् 1976 में ही मिल के व्यवस्थापकों ने तत्कालीन सरकार से इस मिल को बन्द करने की अनुशंसा की, जो नहीं मिली पर गत माह इन लोगों ने मिल की तालाबंदी करके 2300 मजदूरों को बेकार कर दिया। एक संस्थान जे० के० इलेक्ट्रानिक है यह भी जे० के० कॉटन मिल के स्वामित्व में है। यह टेलीविजन बनाती थी और 300 मजदूर कार्य करते थे। इसमें घाटा भी नहीं था पर यकायक अब घाटे की नयी बात उठा कर व्यवस्थापकों ने 18 सितम्बर से इस संस्थान को भी बन्द करने की सूचना दे दी है और 300 पढ़े लिखे लड़के लड़कियां निकाले जा रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इन दोनों संस्थाओं में प्रदेश के उद्योग निदेशक भी इन कम्पनियों के डाइरेक्टर हैं। क्यों और कैसे इन्होंने इन कम्पनियों के बन्द होने की स्वीकृति दी है यह भी नहीं मालूम हो रहा है। इसी संस्थान की कम्पनी जे० के० एग्रीकल्चरल मशीनरी लि० है। इसको सन् 1969 में पावर टिलर बनाने का लाइसेंस मिला था इसमें 250 मजदूर कार्य कर रहे हैं पर 45 की छटनी अभी कर दी गयी है। इस कम्पनी को भी तत्काल बन्द कर दिया जा रहा है। इन तीनों संस्थानों के लिए जे० के० कम्पनी को बैंक, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार तथा विदेशों से कर्ज मिले हैं। एक ओर ये लोग इन कम्पनियों को बन्द कर रहे हैं दूसरी ओर प्रान्त से तथा भारत सरकार से नये-नये लाइसेंस लेने के प्रयास कर रहे हैं। इन तमाम बातों पर माननीय मंत्री जी हमें अवगत कराने का कष्ट करें।

प्रदेश के स्वायत्त शासन कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के लिये क्रमिक अनशन के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के लगभग साढ़े चार लाख स्वायत्त शासन कर्मचारियों की ओर से दिनांक 16-9-77 से क्रमिक अनशन तथा कर्मचारियों में भीषण असंतोष व्याप्त है। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के 500 निकायों के कार्यरत लगभग साढ़े चार लाख स्वायत्त शासन कर्मचारी वर्षों से प्रशासन के शोषण के शिकार हो रहे हैं निरन्तर अपनी औचित्य पूर्ण मांगों के लिए विभिन्न संघर्ष करते रहे और अभी तक उनकी न्यायपूर्ण मांगों के लिए अवहेलना पूर्ण रुख अख्तियार किया गया है। कांग्रेस शासन के झूठे सपने और विषमता पूर्ण श्रम नीति के कारण इन्हें सदैव संत्रस्त रहना पड़ा है। समय-समय पर उत्तर प्रदेश सरकार इनकी मांगों को स्वीकार करती रही है किन्तु अभी तक इन्हें समस्त सुविधाओं से वंचित रखा गया है। जो कि समान कार्य के लिए समान वेतन के आधार पर अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध होती है और इसीलिए इन्हें विवश होकर अपनी 21 सूत्रीय मांगों के लिए अहिंसात्मक अस्त्र का सहारा लेना पड़ा है। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के नगर और कस्बे आन्दोलित हो उठे हैं। अतएव मैं सरकार का ध्यान इनकी न्यायोचित मांगों की पूर्ति हेतु आकर्षित करते हुए इन्हें समयोचित राहत देने की मांग करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

अब विशेषाधिकार की सूचना।

सदस्य, श्री श्याम नारायण तिवारी द्वारा एक सूचना सदन के संज्ञान में लाने का प्रयास

श्री श्याम नारायण तिवारी (जिला गोरखपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना देना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री श्याम नारायण तिवारी

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह प्रोसीडिंग का भाग नहीं बनेगा। आप बैठ जाइये स्थान ग्रहण कीजिए, अनुमति नहीं दी गयी है।

श्री श्याम नारायण तिवारी--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये।

श्री श्याम नारायण तिवारी--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह प्रोसीडिंग का भाग नहीं बनेगा।

श्री श्याम नारायण तिवारी--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

[× × ×]

श्री श्याम नारायण तिवारी--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह अनुचित है। आप बैठ जाइये। मैं खड़ा हूं। इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी। यह प्रोसीडिंग का भाग नहीं होगा।

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिये गये।

विधान सभा सचिवालय

बाबा राम अधार यादव, सदस्य विधान सभा को मारने की धमकी भरा पत्र

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, सुन लीजिए । (पर्चा दिखाते हुए) यह निकला है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये ।

बाबा राम अधार यादव--

[× × ×]

(शैम शैम की आवाज)

श्री अध्यक्ष--

यह जो कहा है यह प्रोसीडिंग का भाग नहीं होगा यह अत्यन्त अनुचित है इस प्रकार अनधिकार बोलने की चेष्टा करना और सदन का समय नष्ट करना । यह जो कुछ आपने कहा इसके संबंध में . . . आप व्यवधान डाल रहे हैं । यह आपका आचरण अत्यन्त अनुचित है और अगर आपको कुछ कहना है तो इसकी पूर्व सूचना देना चाहिए । कोई भी बात जब तक मेरी जानकारी में न लावें , उसके लिये बिना आज्ञा खड़ा होना अनुचित है ।

बाबा राम अधार यादव--

किसी की जान को . . . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये । कृपा करके स्थान ग्रहण करें ।

(कुछ सदस्यों व बाबा राम अधार यादव के खड़ रहने व बोलते रहने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये । मैं पुनः कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य नियमों का पालन करें । इस सदन की गरिमा को कम से कम नष्ट न होने दें । यहां बोलने का कोई नियम है । यह कोई चौराहे की मीटिंग नहीं है । यहां पर प्रदेश की 10 करोड़ जनता के भाग्य का निर्णय होता है ।

बाबा राम अधार यादव--

निकाल दीजिये मुझे । निकाल दीजिये . . . .

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको चेतावनी देता हूं । आप बैठिये ।

बाबा राम अधार यादव--

आप कहते हैं मैं चौराहे की मीटिंग . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप स्थान ग्रहण कीजिये ।

नोट:--[× × ×]यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मसला है। आपका जो आदेश है, वह शिरोधार्य है। जो भी आप आज्ञा देंगे नियम कायदे हैं, उनको पालन किया जायेगा। परन्तु कभी-कभी कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। सूचना देने की जो अवधि है, उसमें माननीय सदस्य, इलाहाबाद ने सूचना दी। यह सूचना 10 बजे के पहिले मिलनी चाहिए थी। यह सही है कि आप से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए थी। लेकिन विषय की गम्भीरता को देखते हुए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जो वस्तुस्थिति आपके सामने रखी गई है, उस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करें।

यह बड़ा गम्भीर मसला है। असेम्बली के पेड पर जो सरकारी कागज है, उस पर वह पत्र लिखा हुआ है। माननीय सदस्य, इलाहाबाद के घर के पते की जानकारी तमाम लोगों को नहीं है, ठीक-ठीक उसी पते पर इसी कौन्सिल हाउस के किसी व्यक्ति के हाथ का लिखा हुआ है। यह मामला बड़ा गम्भीर है। हम लोग आपकी इजाजत से जो कुछ भी कहेंगे, हम समझते हैं बिना किसी भय के अपनी बात को आप तक पहुंचाते हैं। आपकी कृपा से यहां हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि जो कुछ भी हम कहेंगे। आप हमारे संरक्षक हैं। माननीय सदन के हितों के रक्षक हैं, ऐसी स्थिति में इस प्रकार की बातें अगर चलेंगी तो हमारे जैसे लोग या कोई भी व्यक्ति सही बात कहने में अपने को भयभीत महसूस करेगा।

मान्यवर, जीवन सबको प्यारा होता है। हर आदमी चाहता है कि वह सुरक्षित रहे। तो इस प्रकार से हम अगर जनता की बात यहां नहीं रख सकेंगे तो हमारे जो विधायी कर्तव्य हैं, जिनके लिये हम जनता ने चुना है, हम अपने कर्तव्य का पालन करने से वंचित रहेंगे। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि माननीय सदस्य, इलाहाबाद ने जो कुछ कहा है, उसकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करके जो भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करने का आश्वासन दें।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, जो कुछ भी आपने आज्ञा दी, वह शिरोधार्य है और जैसाकि मैं पहले भी विचार व्यक्त कर चुका हूं कि हमें सदन के नियमों का पूर्ण-रूपेण पालन करना चाहिए ताकि सदन अपना कार्य कर सके। अभी माननीय सदस्य, गोरखपुर और माननीय सदस्य, इलाहाबाद की बात को, जो कुछ मैं सुन सका कि उनके जीवन को खतरा है और उन्हें धमकी दी गई। मैं समझता हूं कि सदन के किसी भी दल का कोई भी सदस्य हो, उसको यहां पर अगर किसी प्रकार की धमकी दी जाये प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जबकि यह सदन चल रहा हो तो यह बड़ा ही निन्दनीय विषय होगा। तो श्रीमन्, यहां के किसी भी सदस्य की या व्यक्ति की सुरक्षा का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि चाहे एक दिन का ही समय हो, जीवन की सुरक्षा के लिये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो जो पत्र उन्हें मिला है, उसको आप स्वयं देख लें। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य के जीवन की सुरक्षा की व्यवस्था और उस पत्र की हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से जांच कराई जाय तथा इस प्रकार के धमकी भरे पत्र पर जो भी अग्रिम कार्यवाही सी० आई० डी० के माध्यम से हम कर सकते हैं, या पुलिस विभाग कर सकता है, अवश्य की जाये।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, माननीय सदस्य, इलाहाबाद ने एक बड़ी ही गम्भीर स्थिति की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है। इस सदन के अन्दर सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का पूरीतौर से अधिकार है। मान्यवर, इस घटना के 2 हिस्से होते हैं। एक तो इसमें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय सदस्य, इलाहाबाद की जान सुरक्षा का सवाल है। आपसे इस बारे में अनुरोध है कि आप स्वयं पत्र देखकर उनकी सुरक्षा के सिलसिले में जो कार्यवाही हो सके उसे तुरन्त कराने की कृपा करें और दूसरे माननीय सदस्य चूंकि इस बार सदन में पहली बार चुनकर आये हैं, उन्हें जाब्ते और कायदे की ज्यादा जानकारी नहीं है। यह सही है कि वह कल भी हो सकता था। जो कुछ भी एसेम्बली के अन्दर चीफ सैक्रेटरी के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया था उसी बात से, जो माननीय सदस्य ने सदन में उठाई थी, हो। यदि इस माननीय सदन में उठाई गई बात के आधार पर किसी प्रकार की धमकी या कोई और बात होगी तो वह इस सदन के अवमान का प्रश्न बन जाता है और ब्रीच आफ प्रिविलेज का भी प्रश्न बन जाता है। इसलिये आपसे गुजारिश है कि जो भी नियमानुसार कार्यवाही हो उसे पत्र देखकर कर दें लेकिन पहले उनकी सुरक्षा के लिये आप आदेश देने की कृपा करें। मान्यवर, जो भी हमारे हक और हकूक हैं, हम तो आपकी ही ओर देखते हैं इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि कृपा इस विषय पर तुरन्त ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष---

जो पत्र माननीय राम अधार यादव के पास है, उसको वे कृपया मेरे पास भेज दें। नियमानुसार यदि वे पहले ही मुझे पत्र दे देते तो मैं माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान उस ओर आकर्षित कर देता। इस समय माननीय सदस्य से मुझे यही कहना है कि यदि वे पूर्व सूचना दे देते तो मालूम हो जाता कि विषय क्या है। माननीय सदस्य ने एक बात कही है और सरकार को उसका ज्ञान नहीं है तो पूर्ण कार्यवाही करना असंभव है। माननीय राम अधार जी अपना पत्र आप मेरे पास भेज दें।

*बाबा राम आधार यादव---

मान्यवर, आज इत्तिफाक से मेरे कक्ष में पानी नहीं था और मैं नहाने गया हुआ था उसी बीच में आज त्रिवेणी एक्सप्रेस जो हमारे यहां से आती है, उससे इस पत्र को लेकर मेरा पोता यहां आया है। इसके पूर्व भी मुझे 3 पत्र और मिल चुके हैं। मैं राजनीतिक मामलों में मरने से नहीं डरा हूं तो इनसे क्या डरूंगा। जब तक मेरी मौत नहीं होगी, तब तक मुझे कोई मार भी नहीं सकता है। लेकिन मुझे अफ़सोस है कि यह कहीं और का पत्र नहीं। पहले भी मुझे एक और पत्र मिला था। मैंने उसका किसी से भी जिक्र नहीं किया था। तीन पत्र मेरे घर पर पड़े हैं जिनका जिक्र भी पहले नहीं किया। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि जो भी मेरा पता पढ़ता है, जिसे जानकारी भी है, इस कौंसिल भवन के पत्र जिस पते पर अधिक आते हैं, वही लिखा है और यहां के पोस्ट आफिस की मुहर भी लगी है। जो पता यहां से लिखकर जाता है वही ठीक-ठीक लिखा हुआ है और जो कागज है वह भी उत्तर प्रदेश सरकार का है। यह कागज अन्य स्थानों पर मिल नहीं सकता है। आपने कहा कि अपना वक्तव्य बन्द करो तो मैंने बन्द कर दिया लेकिन मैंने सदन में जो मुख्य सचिव हैं, उनकी जो जानकारी मुझे थी वह मैंने सदन में दी थी। सदन में मेरी ओर से गलत बयानी हो सकती है, मैं कोई गलत बयान अगर कर भी जाऊं लेकिन उसका मतलब यह तो नहीं कि किसी को इस तरह का अधिकार हो कि मुझे मारने की धमकी दी जाय। अगर इस तरह से होगा तो स्पष्ट है कि जो अधिकारीगण है, वे माननीय सदस्यों की जबान को बन्द करना चाहते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि हम यहां आये हैं उनकी जबान को बन्द करने के लिये।

मुझको सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं चाहिए। इतना ही कहता हूं कि अगर इस तरह से कौंसिल भवन के अन्दर से अधिकारियों को जो ऐसा करते हैं, उनको तत्काल हटाया जाना चाहिए और हटा करके इस सरकार को ठिकाने से काम लेने का काम करना चाहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया इन सब पत्रों को राम अधार जी, मेरे पास भेज दीजिये या मुख्य मंत्री जी को दे दीजिए ।

*मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

अध्यक्ष महोदय, यह बड़े खेद का विषय है कि इस तरह से पत्र माननीय सदस्यों के पास भेजे जाते हैं । मुझे सुनकर बहुत तकलीफ़ है और अपने माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वह सदन के सम्मानित सदस्य हैं, इसलिये और उत्तरदायित्व बढ़ जाता है और मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य के ऊपर अगर इस तरह की बातें आती हैं और पत्र आते हैं तो पूर्ण विश्वास रखिए किसी भी प्रकार का खतरा उनके जीवन पर नहीं पड़ सकता । उसके साथ ही साथ मैं यह भी विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रकार के जो पत्र आये हैं, जो चर्चा हुई है, अगर मुझे पहले पत्र दे दिये होते और मेरी जानकारी मे यह चीज आ गयी होती तो जांच करा ली जाती और जांच कराने के बाद जो भी दोषी पाया जाता उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाती । लेकिन दुख है कि कोई सूचना नहीं मिली ।

मैं अनुरोध करूंगा कि जिनके मन को आज भी ठेस पहुंची है और उसके आधार पर उन्होंने जो अपनी भावना को यहां पर रखा है, मेरी भी सहानुभूति उनके साथ है । विश्वास रखिए, जो भी पत्र आये हैं उन पर कड़ी से कड़ी जांच करने के बाद यदि आवश्यक होगा तो तुरन्त कार्यवाही के लिये भेज दूंगा और मैं इस राय का हूं कि कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी हो, अगर इस तरह के पत्रों के माध्यम से हमारे माननीय सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहता हो या जीवन पर किसी भी प्रकार का आघात पहुंचाने की चेष्टा करता है तो किसी भी कीमत पर बरदाश्त नहीं किया जा सकता । इसीलिये जो भी माननीय सदस्य कभी आये हैं, अगर इस तरह की चर्चा हुई है तो मैंने उनकी रक्षा के लिये अंगरक्षकों को भी दिया है और अगर आज किसी के जीवन पर किसी प्रकार के संकट की चर्चा है तो मैं आज भी उस काम को पूरा करने के लिये तैयार हूं सदन की तरफ से । इसलिये इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि माननीय जो विधायक हैं, अगर कहीं इस तरह की बात आती है तो मेरे ध्यान में लायें और अगर मैं निराकरण न कर सकूं तो फिर सदन में लाने की आवश्यकता है । इसलिये मैं चाहूंगा कि जो पत्र है यह अध्यक्ष महोदय के पास भेज दें, या जो भी अध्यक्ष महोदय के पास से मेरे पास आते है, मैं उसकी जांच कराऊंगा और जो भी साधन हो सकेंगे उनको लगाऊंगा और लगाने के बाद जो भी दोषी पाया जायगा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी ।

यह भी संभव है कि उसके पीछे कुछ ऐसे लोगों का मन हो जो किसी को बदनाम करने के लिये गलत पत्र भेज सकते हैं, यह भी संभव हो सकता है । लेकिन फ़िर भी यह तो जांच-पड़ताल के बाद ही पता चलेगा । इसलिये मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसी प्रकार का आघात या ठेस माननीय सदस्य को पहुंची हो तो उसकी जांच कराने के बाद कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के लिये तैयार हूं ।

श्री अध्यक्ष--

बाबा राम अधार जी, अब आप यह पत्र भेज दीजियेगा । अब समय समाप्त हो गया । अब नहीं अब आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सदस्य, श्री श्याम नारायण तिवारी द्वारा एक सूचना सदन के संज्ञान में लाने का प्रयास (क्रमागत)

श्री श्याम नारायण तिवारी (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, मुझे भी एक मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष---

नहीं। (श्री श्याम नारायण तिवारी के खड़े रहने पर।) आप बैठ जाइये। यह गलत है।

श्री श्याम नारायण तिवारी---

आपके आदेश को मैं शिरोधार्य करता हूं लेकिन एक सूचना मैं आपकी मार्फत से सदन को देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

आपको देना है तो हमे लिख कर दीजिये और कल मैं उस पर इजाजत देने पर विचार करूंगा, लेकिन इस तरह से नहीं।

श्री श्याम नारायण तिवारी---

अब तक तो मैं पढ़ चुका होता।

श्री अध्यक्ष---

नहीं। यह परिपाटी गलत है।

श्री पुरुषोत्तम दास (जिला मिर्जापुर)---

इनको समय दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष---

इस तरह से नहीं। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री श्याम नारायण तिवारी---

मैं इजाजत मांग रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---

मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं। आप बैठिये। आप लिख कर दीजियेगा, मैं कल विचार करूंगा।

श्री श्याम नारायण तिवारी---

इस किस्म के आदेश आपने कल भी किये थे, परसों भी किये थे, कई दिनों से बराबर आप यही कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

सूखे वाली बात पर कल माननीय सदस्य को मौका दे दें, ताकि विस्तार से अपनी बात कह सकें।

श्री अध्यक्ष---

मैंने कहा कि कल उनको अवसर दे दिया जायगा।

ए० जी० एम० के कार्यालय में फोरमैन, श्री इफ्तखार अहमद द्वारा सदस्य श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार की दो सूचनायें मुझको मिली हैं। एक में श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ ने श्री इफ़्तखार अहमद, फ़ोरमैन के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कथन है कि श्री इफ़्तखार अहमद ने ए0जी0एम0 के कार्यालय में उनके प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। यह घटना उस समय की है जबकि माननीय सदस्य ए0जी0एम0. श्री गोयल से · · · ड्राइवर के निलम्बन के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये गये थे। इस घटना का कोई सम्बन्ध माननीय सदस्य के उन कर्त्तव्यों से नहीं था जो विधान सभा के सदस्य की हैसियत से किये गये अभिप्रेत हो। अतः इस ममले में कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। किन्तु एक सरकारी कर्मचारी द्वारा माननीय सदस्य के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है अतः मैं माननीय परिवहन मंत्री को भेज रहा हूं कि वह इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही एवं जांच करके मुझे तथा माननीय सदस्य को सूचित करने की कृपा करें।

सदन की कार्यवाही गलत प्रसारित करने के सम्बन्ध में आल इण्डिया रेडियो के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

दूसरी, श्री अजीत सिंह सेठी ने आल इंडिया रेडियो के विरुद्ध सदन के अपमान की सूचना दी है। उनका कहना है कि 20 सितम्बर, 1977 को दोपहर के समय आल इंडिया रेडियो ने यह समाचार प्रसारित किया कि श्री शतरुद्ध प्रकाश द्वारा प्रस्तुत कामरोको प्रस्ताव पर कि रायबरेली में भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी की आम सभा में हुई घटना के सम्बन्ध में अध्यक्ष ने मुख्य मंत्री को आदेश दिया कि उस घटना पर वक्तव्य दें। वास्तविकता यह थी कि विरोधी दल के नेता, श्री नारायण दत्त तिवारी ने कामरोको प्रस्ताव पेश किया था और श्री शतरुद्ध प्रकाश ने उस सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी और मैंने माननीय मुख्य मंत्री को दोनों के सम्बन्ध में वक्तव्य देने का आदेश दिया था। इसके पूर्व कि मैं इस सम्बन्ध में अपना कोई निर्णय दूं मैं आल इंडिया रेडियो के निदेशक से यह मालूम कर रहा हूं कि आल इंडिया रेडियो द्वारा सदन की कार्यवाही का यह गलत प्रसारण किस प्रकार से हुआ। उनका स्पष्टीकरण आ जाने के उपरान्त मैं इस विषय पर अपना निर्णय दूंगा।

1977—78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 23—लेखन सामग्री और मुद्रण, अनुदान संख्या 56—उद्योग, अनुदान संख्या—57 ग्राम्य एवं लघु उद्योग, अनुदान संख्या 58—खानें एवं खनिज, अनुदान संख्या 77—विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 93—ऋण और अग्रिम-उद्योग

श्री अध्यक्ष—

अब वित्तीय वर्ष 1977—78 के आय-व्ययक के अनुदानों पर विचार एवं मतदान होगा।

*उद्योग मंत्री (श्री राम प्रकाश)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23-लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,22,43,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56-उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,22,23,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57-ग्राम्य एवं लघु उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,11,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58-खाने एवं खनिज के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 34,26,500 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 77-विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होनेवाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को अतिक्रमित करते हुये 14,16,77,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 93-ऋण और अग्रिम-उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,41,72,500 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, हमारा प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा प्रदेश है और इस बात का मुझे बहुत दुख है कि आजादी के पहले हमारा प्रदेश जो देश में औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी था और एक विकसित प्रदेश माना जाता था, आज पिछड़े प्रांतों में हमारी गिनती होती है और सारे देश में हमारे पिछड़ेपन पर उपहास भी होता है । श्रीमन्, जो आर्थिक नियोजन हमारे देश में किया गया उस नियोजन के परिणामस्वरूप यह पिछड़ापन उत्तर प्रदेश में व्याप्त हुआ है । बड़े-बड़े और भारी उद्योगों के आधार पर सारे देश के औद्योगिक ढांचे को बनाने का प्रयास किया गया और जब भारी उद्योग स्थापित करने का प्रश्न आया तो श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में वह भारी उद्योग लगाये गये और प्रदेश उनसे वंचित रखा गया । धीरे-धीरे प्रगति जो कुछ भी पुराने नियोजन के परिणामस्वरूप हो रही थी, वह प्रगति उत्तर प्रदेश में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम प्रकाश]

न होकर अन्य प्रदेशों की ओर बढ़ती चली गयी । श्रीमन्, मैं इस समय एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश और देश में जो आर्थिक नियोजन अपनाया गया जिन नीतियों पर आजादी के बाद हमारी सरकारें चलीं वह नीतियां दोषपूर्ण थीं, वह नियोजन गलत था । उस नियोजन में यह ध्यान नहीं रखा गया कि हमारा देश एक जनसंख्या बाहुल्य देश है । यहां पर गरीब लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और उन तक औद्योगिक प्रगति का लाभ नहीं पहुंच पाता तो हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते ।

श्रीमन्, आजादी के पहिले महात्मा गांधी ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि हिन्दुस्तान की उन्नति के लिये एक विशेष आर्थिक नीति पर, एक विशेष औद्योगिक नीति पर आगे बढ़ाना होगा । अगर हम दूसरे देश की नकल करेंगे तो हमारे देश में बेकारी फैल जायगी, विषमता फैल जायगी और हमारा देश बरबादी के कगार पर खड़ा हो जायगा । आज 30 सालों के नियोजन के पश्चात् हम यह स्थिति देख रहें है कि चारों ओर बेकारी फैली हुई है और इस विषमता के कारण लोगों में असंतोष व्याप्त है और देश के सामने भीषण समस्यायें खड़ी हो गयी हैं । श्रीमन्, म यह कहना चाहता हूं कि एक ओर क्षेत्रीय असंतुलन है, हमारे पिछड़े हुये इलाके, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, पर्वतीय इलाके यह पिछड़े हैं । दूसरी ओर मै ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र चाहे पिछड़े हुये क्षेत्र हों, चाहे आगे बढ़े क्षेत्र हों चाहे पश्चिमी प्रदेश हों और चाहे पूर्वी प्रदेश हों, स्थानीय आधार पर विषमताओं की दीवार बढ़ती जा रही है । जहां उद्योग खड़े किये गये हैं तो उद्योगों का लाभ एक छोटे से वर्ग को प्राप्त हुआ है । मुठ्ठी भर लोगों को प्राप्त हुआ है और अधिकांश जनता उस लाभ से वंचित रह जाती है । जहां क्षेत्रीय असंतुलन है वहां स्थानीय आधार पर वर्ग संतुलन नहीं रखा गया है । हम जानते हैं कि जहां एक ओर कुछ क्षेत्रों का औद्योगीकरण किया गया है वहां ग्रामीण क्षेत्रों की जो आम जनता है जिनके पास साधन नहीं है, सम्पत्ति नहीं है, उनकी सुख सुविधा के लिये उनके लाभ के लिये कोई व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती ।

श्रीमन्, इतने लम्बे काल में आजादी के बाद जो भी हजारों, करोड़ों रुपये नियोजन पर खर्च किये गये हैं उसके बावजूद यदि आप गांवों में जायें तो दिखाई पड़ेगा कि गांवों की 60 प्रतिशत जनता को उद्योगों से कोई लाभ नहीं हुआ है । उनकी आमदनी बढ़ने का कोई तरीका अपनाया नहीं गया है । श्रीमन्, जनता पार्टी के शासन में आने के पश्चात् इस बात पर गंभीरता से विचार किया गया और एक नयी औद्योगिक नीति को बनाने का प्रयास हो रहा है । श्रीमन्, अभी से प्रचार किया जाता है कि इनके पास कोई औद्योगिक नीति समस्याओं को सुलझाने के लिये नहीं है । इनके पास समस्याओं को सुलझाने के लिये कोई नक्शा नहीं है । हम इनको सुलझाना चाहते हैं लेकिन जो मूलभूत समस्यायें हमारे सामने पिछले 30 वर्षों के गलत नियोजन ने खड़ी कर दी हैं उन समस्याओं का निराकरण आसान नहीं है । एक नयी नीति बनाने के लिये बहुत कुछ सोचने और प्रबंध करने की आवश्यकता होगी ।

श्रीमन्, अभी केन्द्र में इस नीति के बारे में चर्चा हो रही है, वहां भी यह विषय विचारणीय है । हमने वायदा किया है, जनता शासन ने आश्वासन दिया है कि इस देश में दस वर्षों के अन्दर हम बेरोजगारी की समस्या को पूरी तरह से सुलझा देंगे । यह छोटा मोटा आश्वासन नहीं है । ऐसा आश्वासन हम नहीं देना चाहते हैं जिसकी पूर्ति न हो सके । इसलिये गंभीरतापूर्वक विचार हो रहा है कि बेकारी क्यों बढ़ी और लगातार क्यों बढ़ती जा रही है । इसको कैसे रोका जा सकता है और आगे जो बेकारी बढ़ने वाली है उसको कैसे रोका जाय, जो बेकार पड़े हैं उनको काम दे सकें, इन बातों को सोचा जा रहा है । समस्याओं को सुलझा सकें इसके लिये योजना बनाने पर विचार हो रहा है । श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे

देश और प्रदेश में अगर हम चाहते हैं कि बेकारी को दूर करें, अगर हम चाहते हैं कि विषमता की दीवार को ढहायें और गरीबी और अमीरी की खाई जो है उसको अगर पाटना चाहते हैं तो हमें एक नीति अपनानी होगी और सारे प्रदेश में उद्योग, कुटीर उद्योग या लघु उद्योग का जाल बिछाना होगा ।

अब प्रश्न यह आता है कि इन उद्योगों का जाल कैसे बिछाया जाय ? तो मैं कहना चाहूंगा कि जब तक कोई उद्योग अपनी स्वयं की सामर्थ्य से नहीं खड़ा होता है, सरकार की नीतियों और थोड़ी सी सहायता और नीतियों के प्रतिपादन से लाभ नहीं हो सकता । इसलिये छोटे उद्योगों को अपने पैरों पर खड़ा करना होगा । प्रश्न यह है कि अपने पैरों पर कैसे खड़ा किया जायगा? श्रीमन्, पिछले 30 वर्षों में जो विचार हो रहे हैं, छोटे उद्योगों को बढ़ाना चाहते हैं, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ाना चाहते हैं, प्रोत्साहन देना चाहते हैं लेकिन परिणाम यह होता है कि उद्योग बढ़ नहीं पाता है । श्रीमन्, जब तक प्लानिंग और आर्थिक नीतियों में परिवर्तन न करें तब तक यह अपने पैरों पर नहीं खड़े हो सकेंगे । आज हमें विचार करना होगा कि छोटे उद्योगों के लिये मारकेट कहां से उपलब्ध होगा । हम देखते हैं छोटे कारखानों का माल बड़े कारखानों के मुकाबले नहीं चल पाता, उसकी कीमत ज्यादा होती है । महंगा ज्यादा होता है तथा बड़े कारखानों के मुकाबले बाजारों में बिकता नहीं है । यहां तक सरकारी एजेंसियां भी ध्यान नहीं देतीं, सरकारी खरीद में इसकी उपेक्षा की जाती है कि छोटे उद्योगों से सामान खरीदा जाय । वहां पर भी बड़े उद्योगों के सामान को खरीदने के लिये थोड़ा बहुत मूल्य में कमी होने के कारण उसको खरीदा जाता है । इस नीति के चलते कभी भी परिवर्तन नहीं आ सकता है । इसलिये जनता पार्टी का शासन इस बात पर विचार कर रहा है और निष्कर्ष पर पहुंच रहा है कि हमें जो प्रोडेक्शन के क्षेत्र हैं उनको बहुत अच्छी तरह से निर्धारण करना होगा । कुटीर उद्योग वह हैं जो बिना बिजली से चलते हैं और छोटे उद्योग वह हैं जो पावर से चलाये जाते हैं । तो जो वस्तुयें कुटीर उद्योग से बन सकती हैं उनको छोटे उद्योग द्वारा नहीं बनाया जाना चाहिये। और वस्तुयें छोटे उद्योगों से बन सकती हैं उनको मध्यम और बड़े उद्योगों से न बनाना चाहिये यदि इस नीति का निर्धारण कर दिया जाय तो मैं समझता हूं और शासन इस ओर बढ़ रहा है कि चारों तरफ छोटे उद्योगों की मांग खड़ी हो जायेगी, कुटीर उद्योग की मांग बढ़ जायगी और फिर वह अपने पैरों पर खड़े हो जायेंगे । इससे औद्योगिक नीति में एक बड़ी क्रांति होगी ।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में कालीन का उद्योग है । अभी हाल में कालीन की मांग विदेशों में बढ़ गयी है क्योंकि विदेशों में जो कालीन बनाते थे उन्होंने कालीन बनाना बन्द कर दिया है । पिछले साल मांग काफी बढ़ गयी । हमारे प्रदेश से बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया गया । इसलिये मांग खड़ी हो गयी जिससे चारों ओर उद्योग खड़े हो रहे हैं । लेकिन हमारी सप्लाई जितनी गति से बढ़ना चाहिये उसके लिये बहुत एक्सपर्ट और कुशल कारीगरों की व्यवस्था हमारे पास नहीं है । इसलिये यदि मांग होती है तो उद्योग एकदम बढ़ने लगते हैं और फिर उसमें अनुदान और सहायता की आवश्यकता नहीं होती है । प्लानिंग के आधार पर विकास हो सकता है । उत्तर प्रदेश की 10 करोड़ आबादी है । वह जितनी चीजों की मांग करते हैं यदि उसके लिये कुटीर उद्योग और छोटे उद्योग का स्थान सुरक्षित कर दिया जाय तो सारे प्रदेश में एसी मांग खड़ी हो जायगी कि आर्थिक नियोजन अपने आप चलने लगेगा ।

[श्री राम प्रकाश]

सेल्फ जनरेटरी हो जायेगा। इसलिये मैं बल देना चाहता हूं कि बार-बार छोटे और कुटीर उद्योगों की बात तो की जाती है लेकिन समस्या को नहीं समझा जाता है कि वह कैसे समस्या हल होगी। आगे आने वाले समय में उपभोक्ता वस्तुयें छोटे और कुटीर उद्योगों से बनेंगी और छोटे उद्योगों की पूर्ति के लिये केवल बड़े उद्योग लगाये जायेंगे। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हमारे देश में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिये श्रीमान्, इस बात पर विचार करते हुये हमें आर्थिक नीति और उद्योग नीति को चलाना है। इस बजट के द्वारा इन अनुदानों के द्वारा एक-बार फिर प्रयास कर रहे हैं धीरे-धीरे उस दिशा में बढ़ने का। लेकिन श्रीमान्, वह चित्र हमारे सामने अभी प्रस्तुत नहीं हुये हैं, 2-3 महीने में वह चित्र हमारे सामने आयेंगे और एक योजना सदन के समाने रख सकेंगे।

हम जिन आधारों पर काम करना चाहते हैं। वह आधार हम स्पष्ट करना चाहते हैं जैसा कि हमने कहा कि एक ओर छोटे उद्योग बढ़ाने की योजना है और दूसरी ओर हरिजन भाई जिनके पास जमीन नहीं है, बैंक बैलेन्स नहीं है, अच्छी तनख्वाह नहीं है उनकी आर्थिक दशा कैसे सुधारी जाय। नीतियां तो बहुत दोहरायी जाती हैं लेकिन विचार नहीं किया जाता। महात्मा गांधी कहते-कहते चले गये। उनकी कल्पना छोटे-छोटे और कुटीर उद्योग लगाने की थी जिससे भूमिहीन और हरिजनों के चेहरों पर मुस्कान आयेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक उन लोगों को उन उद्योगों का लाभ न मिल सका। इसलिये हमने योजना बनाई है उसके आधार पर जो गांव में रहने वाले भूमिहीन और हरिजन हैं जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है ऐसे लोगों को औद्योगीकरण का एक हिस्सा बनाया जाय। ऐसे लोगों के आधार पर उद्योगों का संचालन किया जाय जिससे उनके पास उसका मुनाफा पहुंचे।

इसकी योजना हमने बनायी है और उसके अन्तर्गत स्थान-स्थान पर गांव के रहने वाले हरिजन भाइयों को लेकर, भूमिहीनों को लेकर एक कोआपरेटिव बनायेंगे 10/15 लोगों की। लेकिन यह ऐसी कोआपरेटिव नहीं होगी जिसमें गड़बड़ी हो या भ्रष्टाचार हो और वह मुनाफा न दे सकें। हम ऐसी कोआपरेटिव बनायेंगे और उसके ऐसे नियम बनायेंगे जिसमें एक कर्मचारी मैनेजर के रूप में नियुक्त किया जायगा जो एक दो लोगों को लेकर उद्योग चलायेगा। उस उद्योग में एक से दस लाख रुपये तक देंगे। जो हरिजन भाई भूमिहीन और सम्पत्तिविहीन लोग उसमें शामिल होंगे उनके किसी शेयर होने की आवश्यकता नहीं होगी। जो उनका मार्जिन मनी होगी वह भी शासन द्वारा ऋण देकर पूरा किया जायगा। वह उद्योग इस प्रकार शासन की देखरेख में चलेगा। जब वह उद्योग समर्थ हो जायगा तब वहां जो कोआपरेटिव सोसाइटी होगी उसको ट्रांसफर कर दिया जायगा। जो हमारा अधिकारी होगा उसको हम वापस बुला लेंगे। लेकिन यदि वह सोसाइटी चाहेगी तो उस अधिकारी को वहां रहने दिया जायगा। जब तक उद्योग लाभ में नहीं चलेगा तब तक उसकी तनख्वाह उद्योग विभाग से दी जायेगी लेकिन जब उद्योग में लाभ होने लगेगा तो उस अधिकारी का वेतन उस उद्योग से दिया जा सकता है। इस प्रकार सारे प्रदेश के गांव-गांव में एक नई योजना करने जा रहे हैं जिसको हमने अंत्योदय उद्योग का नाम दिया है।

हमारे प्रदेश में तीन उद्योग बहुत महत्व के हैं जिनकी वस्तुयें निर्यात हो रही हैं और उनको बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है। ये तीन उद्योग हैं कालीन उद्योग, हैंडलूम उद्योग और चर्म उद्योग। यह तीनों उद्योग बढ़ाये जा सकते हैं और गांव-गांव में फैल सकते हैं। अगर इनके लिये ठीक योजना बनायी जाय तो यह सारे प्रदेश में व्याप्त हो सकते हैं। इसके लिये हम योजना बना रहे हैं। पिछले साल कालीन उद्योग में प्रशिक्षण देने के लिये 21 स्थानों पर केन्द्र खोले गये थे। हमारी

योजना इन 21 को बढ़ा कर 75 करने की है। मैंने अपने अधिकारियों से विचार-विमर्श किया है और जितनी हमारी क्षमता है उसके आधार पर इनको अगले वर्ष दुगना-तिगुना तक बढ़ाने का प्रयास किया जायगा। जिन-जिन केन्द्रों में उद्योग चल रहे हैं वहां से आस पास के जिलों में जांय और धीरे-धीरे उनका सर्किल बढ़ा दिया जाय। ऐसी योजना हम बना रहे हैं।

हैंडलूम उद्योग भी बहुत बड़ी मात्रा में माल निर्यात कर रहा है। इसको भी बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है। इसको बढ़ाने के लिये भी योजना बना रहे हैं। यह भी योजना बना रहे हैं कि हैंडलूम के कपड़ों का ठीक तरह से प्रोसेसिंग हो और उनको आकर्षण दिया जाय जिससे कि वे न केवल हिन्दुस्तान में बल्कि बाहर निर्यात के क्षेत्र में अपना स्थान प्राप्त कर सकें। इसके लिये कलर और डिजाइन बनाने की योजना है। प्रोसेसिंग यूनिटस भी लगायी जायंगी। इस उद्योग की सूत की मांग को पूरा करने के लिये प्रदेश में 8 सूती मिलें सरकारी क्षेत्र में लग चुकी हैं और दो सहकारी क्षेत्र में लगने वाली हैं। लेकिन सूत की कमी को पूरा करने के लिये हमें और भी इंतजाम करना होगा। इसमें पोलिस्टर का धागा मिलाकर इसको और अच्छा बनाने का प्रयास किया जयागा। 15 लाख व्यक्ति हैंडलूम में लगे हुये हैं। जो बुनकर इस काम में लगे हुये हैं उनका शोषण न हो, उनको मुनाफा मिले। और प्रयत्न किये जा रहे हैं, नये उद्योगों का निर्माण किया जा रहा है। तो श्रीमन्, चमड़ा उद्योग जो हमारे प्रदेश का बड़ा महत्वपूर्ण उद्योग है इस उद्योग के लिए हमें चमड़ा चाहिये। हमारे छोटे-छोटे उद्योगों को और कारीगरों को चमड़ा कलकत्ता से मंगाना पड़ता है। हमारे प्रदेश का चमड़ा बाहर जाता है और वह ठीक करके हमारे प्रदेश में आता है। हमारे प्रदेश ने यह काम कभी नहीं किया कि चमड़े को प्रोसेस करने के लिए, उन्नत करने के लिये कुछ किया जाय। हम यह विचार कर रहे हैं। हमारा प्रदेश चमड़े के काम में एक अद्वितीय प्रदेश है सारे हिन्दुस्तान में ही नहीं विदेशों में भी जूता एक्सपोर्ट कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं और इसलिये इस क्षेत्र की ओर भी हम ध्यान देना चाहते हैं और उस पर भी ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।

तो श्रीमन्, केवल ये तीन उद्योग ही नहीं, छोटे-छोटे उद्योग हैं परम्परागत उद्योग हैं, जिन्हें बढ़ाया जा सकता है। जिन्हें बढ़ाने के लिये हमें उनकी एफिशियेन्सी को बढ़ाना होगा। जैसे कांच का कारखाना फिरोजाबाद में है। उसको उन्नत करने के लिये हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे मुरादाबाद में है, मिर्जापुर में हैं, कई जिलों में प्रदेश के कारखाने हैं जिनकी उन्नति के लिये हमें प्रबंध करना है। इस प्रकार के अनेक उद्योग हैं और हम विचार कर रहे हैं कि इनको गांव-गांव के अंदर कैसे फैलाया जाय। इस ओर हम प्रयत्न कर रहे हैं।

श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ग्रामोद्योग बढ़ाने के लिये बहुत गम्भीरता से विचार करने की आवयश्कता है और मैं चाहूंगा कि हमारे सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात को एक क्रान्तिकारी युग की आवश्यकता के रूप में ग्रहण करें और इस पर गंभीरता से चिन्तन करें और जैसे-जैसे हम इस ओर प्रयत्न करें उसमें सबका सहयोग प्राप्त होना चाहिये। इस योजना के आधार पर प्रदेश में हम पांच हजार रूरल ग्रोथ सेन्टर, ग्रामीण विकास केन्द्र स्थापित करना चाहते हैं। पन्द्रह ग्राम सभाओं के बीच एक केन्द्र होगा। इस केन्द्र के आधार पर 15 ग्राम सभायें आर्थिक प्रगति के लिये कायम की जायेंगी। इस कन्द्र के आधार पर औद्योगिक विकेन्द्रीयकरण किया जायगा और इस केन्द्र के आधार पर उन 15 ग्राम सभाओं को किस तरह बेरोजगारी दूर की जाय, किस तरह उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाय, किस तरह उनकी गरीबी को दूर किया जाय, इसके लिये नियोजन किया जायगा। इन पांच हजार ग्रोथ सन्टर

[श्री राम प्रकाश]

पर उद्योग विभाग का ध्यान केन्द्रित किया जायगा। वहां पर इन्डस्ट्रियल स्टेट धीरे-धीरे कायम किय जायेंगे और वहां पर एक उद्योग का समूह स्थापित किया जायगा। वे केवल ऐसे उद्योग ही नहीं होंग जो बाहर से कच्चा माल उपलब्ध करायें बल्कि ऐसे उद्योग भी होंगे जो कृषि से संबंधित हों, पशुओं को पालने से संबंधित हों। ऐसे छोटे-छोटे उद्योगों का निर्माण किया जायगा जिससे वहां के क्षेत्र में खुशहाली आ सके और ग्रामीण उद्योगों का विकास का कार्य आरम्भ हो सके। इस तरह से यह सरकार प्रदेश के अंदर बेरोजगारी को मिटाने के लिये, आर्थिक प्रगति के लिये, उद्योगों में विषमता को तोड़न के लिये प्रयास करना चाहती है।

श्रीमन्, इस संबंध में मुझे यह भी कहना है कि इसका अर्थ यह नहीं है कि बड़े उद्योगों के प्रति हम उपेक्षा कर रहे हैं। यह हम जानते हैं कि छोटे उद्योगों को गांवों में फैलाया जाय तो इनके लिये मटीरियल की आवश्यकता होगी, कच्च माल की आवश्यकता होगी, मशीनों की आवश्यकता होगी, वर्कशाप की आवश्यकता होगी और इसलिये इन सभी बातों पर ध्यान रखते हुये हम बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना करनी होगी जो इन छोटे उद्योगों के लिये, कुटीर उद्योग के लिये होंग, उनको माल दे सकेंगे और आज हमारा ध्यान इस पर केन्द्रित है। ऐसा कौन सा बड़ा उद्योग पूर्वी उत्तर प्रदेश में खोला जाय जिसके आधार पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो छोटे कारखानें हम खोल रहे हैं उनको रा-मैटिरियल मिल सके, इस पर विचार कर रहे हैं। बड़े उद्योग अभी छोटे उद्योग के मुकाबले खड़े नहीं कर सकते। हम चाहेंगे कि वे उनकी आवश्यकता की पूर्ति करें। जैसा रायबरेली में एक कालीन का कारखाना लगा तो वहां क लोग मेरे पास आये। मैंने उनसे कहा कि आज मिलों से और कालीन बनेंगे हमारे भदोही का क्या होगा, हमार छोटे उद्योगों का क्या होगा? उन्होंने कहा कि हमारे और छोटे उद्योगों का कोई मुकाबिला नहीं है, कोई प्रतियोगिता नहीं है। हमारे कालीन बहुत सस्ते व बहुत कम अच्छी क्वालिटी के होते हैं और उनके ऊपर भदोही व आगरा के अच्छे कालीन बिछाये जाते हैं। मैंने कहा इनमें आपस में प्रतियोगिता न हो तो ठीक है। अगर प्रतियोगिता होती है तो हम ऐसे बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं देंगे जो छोटे उद्योगों को बरबाद कर दें और उनको बढ़ने न दें। इस तरह के बड़े उद्योगों को स्थापित करने के लिये हम केन्द्रीय सरकार से मांग कर रहे हैं जिनके लिये आज तक पिछड़े हुये इलाकों तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई प्रयत्न नहीं हुआ, जिनसे हमको कच्चा माल उपलब्ध हो और जिसक आधार पर हम बहुत से कारखाने खोल सकें। अल्युमिनियम का कारखाना मिर्जापुर में लगा हुआ है लेकिन उससे छोटे-छोटे कारखान वालों को अल्युमनियम नहीं मिल रहा है। पता नहीं कैसी परिस्थिति पैदा हो गयी है कि हमारे कारखानों को वह अल्युमनियम नहीं द रहे हैं। इस तरह से उस अल्युमनियम का जिसका प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में तथा पिछड़े हुये इलाकों में होना चाहिये था उसका वह प्रयोग नहीं हो पा रहा है। कुछ बड़े उद्योग हमारे यहां हों इसके लिये हम केन्द्रीय सरकार से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन वे ऐसे बड़े उद्योग हों जो हमको रा-मैटिरयल दें सकें जिसके आधार पर गांव-गांव में छोटे उद्योग खड़े हो सकें और जिनके आधार पर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुन्देलखंड तथा पर्वतीय अंचलों की असमानता को दूर कर सकें और गरीबी को मिटा सकें तथा छोटे उद्योग स्थापित कर सकें। इस नीति पर सारे उद्योग विभाग का कार्य चल रहा और मैं समझता हूं कि थोड़े दिनों के अन्दर इस योजना क अन्तर्गत हम सारे प्रदेश में और ग्राम-ग्राम में उद्योगों का जाल बिछा सकेंगे।

इसके अलावा मैं दो एक बातें और कहूंगा। एक तो जो बीमार इकाइयां हैं उनकी संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। एक ओर तो हम करोड़ों रुपया बांट रहे हैं नये उद्योग

लगाने के लिये, दूसरी ओर करोड़ो रुपया बेकार हो रहा है उन उद्योगों को जो बीमार हो गये हैं, जिनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिनको समय पर बिजली नहीं दी गयी, या कच्चा माल नहीं मिल पाया या मार्केट नहीं दे पाये उन पर शासन विचार कर रहा है कि नये उद्योगों पर करोड़ों रुपये लग जायेंगे, उससे कम रुपये में क्या बीमार उद्योग चल सकते हैं? इसके लिये हमने केन्द्रीय सरकार से बातचीत की है। बीमार उद्योगों को ठीक करने के लिये साहसी कदम उठाना होगा, इसके लिये लिखापढ़ी चल रही है। परस्पर विरोधी इन दो मुद्दों पर हम विचार कर रहे हैं। एक मुद्दा यह है कि जो बीमार उद्योग हैं उन पर चाहे पैसे का बकाया हो, ब्याज, बिजली अथवा सेल्स टैक्स का बकाया हो उस सम्बन्ध में किसी तरह का कोई ऐसा कानून बनाया जाय जैसा कि कई प्रदेशों में किया गया है कि 5 साल के लिये उस बकाये को फ्रीज कर दिया है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में किया जाय कि जो बकाया है उसको 5 साल के लिये फ्रीज कर दिया जाय।

दूसरा पहलू यह है कि आगे काम करने के लिये उनको साफ्ट लोन दिये जायं। केन्द्रीय सरकार से हमने मांग की है कि जो उनकी जिम्मेदारी है वह उठायें और जो हमारी जिम्मेदारी है हम उठायें और महीने भर में इस नीति पर फैसला हो सकेगा कि अपने प्रदेश के सारे सिक यूनिट्स को हम ठीक करने की कोशिश करें अथवा जो यूनिट चल नहीं सकते उनको समाप्त कर दिया जाय। एक ओर हम उद्योगीकरण का विकास कर रहे हैं, दूसरी ओर पिछले उद्योग बीमार होते जा रहे हैं, अनुत्पादक होते जा रहे हैं, उनका नीलाम हो रहा है। इस स्थिति के प्रति हम जागरूक हैं और इसके लिये हम प्रयत्नशील भी हैं।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु हमने कुछ मांगें केन्द्रीय सरकार से रखी हैं और मुझे विश्वास है कि वे मांगें भी पूरी होने वाली हैं। हमने यह मांग की है कि अभी तक जो रूरल इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट है आर0 आई0 पी0 वह केवल 13 जिलों में चल रही है, हमारी मांग है कि उसे प्रदेश के 39 पिछड़े जिलों में चलाया जाय ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आसानी से पैसा दिया जा सके और उद्योगों को बढ़ाया जा सके।

इसके साथ-साथ एक विचार यह भी चल रहा है ....

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

यह कौन सी स्कीम आपने लागू की है ?

श्री राम प्रकाश--

आर0आई0पी0 स्कीम, वह अभी तक 13 जिलों में है उसके लिये मांग की है कि उसको 39 पिछड़े हुए जो जिले हैं उनमें लागू कर दिया जाय। मुझे विश्वास है कि जो वार्ता हुई है बहुत जल्दी उसकी स्वीकृति आ जायेगी।

इसके साथ-साथ हमने यह भी मांग की है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगते हैं उनको बैंकों से बहुत हाई रेट पर ऋण मिलता है। तो इस आर0 आई0 पी0 स्कीम में बैंकों से ऋण दिलाया जाय और जो उनकी दर है उसको कम करके उसमें सरकार से सहायता दी जाय इस प्रकार उद्योग को भी सहायता हो जायेगी और बैंक के पैसे का भी उपयोग हो जायेगा।

तीसरा जो कैपिटल सब्सिडी स्कीम 6, 7 जिलों में इस वक्त चल रही है उससे उन जिलों के अन्दर उतने उद्योग नहीं लग पाये और जो कैपिटल सब्सिडी स्कीम थी उसका पूरा

[श्री राम प्रकाश]

उपयोग नहीं होता है । हमने निवेदन किया है कि वैसे तो हमारे 39 जिले बैकवर्ड हैं उनमें यह कैपिटल सब्सिडी स्कीम चालू होनी चाहिए, लेकिन अगर इतना केन्द्र न कर पाये तो कम से कम 22 जिलों में इसका इस्तेमाल किया जाय जो सब से बैकवर्ड हैं । यह सिफ़ारिश दिल्ली को हमने की है । आशा है हमें बहुत जल्दी केन्द्र से निर्देश प्राप्त हो जायेंगे । तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के सारे ग्रामीण स्तर पर भी चिंतन हो रहा है और प्रान्तीय स्तर पर भी चिंतन हो रहा है ।

श्रीमन्, जहां तक बाजार की सुरक्षा का सवाल है छोटे और कुटीर उद्यागों का जो प्रोडक्शन है उसके लिये क्षेत्र सुरक्षित हो, उसके लिये भी केन्द्र से मांग की है । केन्द्र ने कहा है कि अपने सामान की लिस्ट भेजिये जिसको कि सुरक्षित लिस्ट में कर दिया जाय । उसके लिये 25–30 नामों की लिस्ट भेजी जा रही हैं । यह काम भी एक हफ्ते के अन्दर हो जायेगा कि कौन-कौन सी वस्तुओं की हम सिफारिश करें ।

इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र की प्रगति के लिये वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है मैं सारे माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि उद्योग की नीति में वह अपना सहयोग प्रदान करेंगे और अपने सुझाव देंगे, जिनके आधार पर आर्थिक क्रांति के अपने स्वप्न को हम पूरा कर सकें ।

*श्री देव कुमार (जिला बांदा)––

मान्यवर, यह सारे अनुदानों पर कटौती के प्रस्ताव मुझे ही पेश करने हैं, मैं इकट्ठा आपकी इजाजत से रखता हूं––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 56-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना ।

(इस समय 1 बजकर 26 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री शम्भूनाथ पीठासीन हुए)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 57-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की समालोचान करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 93-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी दुनियां के कई राष्ट्रों से ज्यादा है, इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और उद्योग में यह पिछड़ा हुआ है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता--

आपने अनुदान संख्या 23 पर कटौती के प्रस्ताव पेश नहीं किये ।

श्री देव कुमार--

पेश कर दिये हैं जितने अनुदान थे 56, 57, 58, 77 और 93 सब कर दिये ।

श्री अधिष्ठाता--

23 नहीं किया । नहीं करना चाहते हैं, तो ठीक है ।

जितना आपने बोल दिया है, वही मान लिया जाये ।

श्री देव कुमार--

अच्छा, फिर मैं पेश किये देता हूं । मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23-लेखन सामग्री और मुद्रण के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि उत्तर प्रदेश जैसे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए सूबे की इन उद्योग अनुदानों में कटौती का प्रस्ताव लाकर मुझे कतई खुशी नहीं है । इसमें उद्योगों के विकास के लिये, इस देश में रोजी-रोजगार की सम्भावनाओं के लिये हमको कटौती का प्रस्ताव नहीं बल्कि इसमें और धन जोड़ने का प्रस्ताव पेश करना चाहिए । लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो हमको आशा थी कि माननीय मंत्री जी से कि जनता सरकार कोई बुनियादी औद्योगिक नीति इस सदन के सामने पेश करेगी, इस प्रदेश की 10 करोड़ जनता के सामने कोई ऐसा नियोजन लायेंगे, जिससे इस प्रदेश के लाखों पढ़े-लिखे और बे पढ़े-लिखे बेरोजगारों को कुछ राहत मिलने की आशा होगी, और इस प्रदेश के सुनियोजित विकास की आशायें बढ़ेंगी, वैसा इसमें कुछ नहीं है । मंत्री जी ने कुछ उल्लेख यहां किया कि वह कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन स्वयं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि 6 महीने की केन्द्र और प्रान्त में जनता सरकार की स्थापना के बावजूद आज तक उनकी कोई औद्योगिक नीति नहीं बन सकी है । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है

पिछली जनता पार्टी की कार्यकारिणी के समक्ष जो सुझाव पेश हुए, मान्यवर, उन्हें अबतक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और शायद अक्टूबर में अहमदाबाद में किसी उप समिति का गठन करने की आप सोच रहे हैं, जो उप समिति भी अन्तिम रूप से फ़ैसला नहीं लेगी कि इस महान सूबे में आप किस उद्योग नीति पर चलेंगे और इन समस्याओं को हल करने के लिये आप क्या करने जा रहे हैं । वह उप समिति केवल एक रिपोर्ट देगी, उस पर आपकी कार्यकारिणी विचार करेगी, उसके स्वीकार होने के बाद तब आपकी कोई औद्योगिक नीति, इस देश की कोई आर्थिक नीति बनेगी ।

आपकी सरकार बनने के बाद जहां तक मेरा अनुभव रहा है, आपके चुनाव घोषणा-पत्र में जो वायदे किये गये थे, उसके अनुसार सरकार बनने के बाद कोई ठोस कार्यक्रम सामने नहीं आया है, जिससे जनता में कोई विश्वास पैदा हो सके । आपने घोषणा-पत्र में इस देश की अर्थ नीति में कुछ बुनियादी परिवर्तनों की बात कही थी । किन्तु बुनियादी परिवर्तन करना तो दूर रहा, हम देख रहे हैं कि आप यह कहना शुरू कर रहे हैं कि कांग्रेस के कार्य-काल में जो आद्योगिक नीतियां थीं, वह सही नहीं थीं । सिवाय उन नीतियों की आलोचना करने के अलावा आपने कुछ नहीं किया है । पंडित नेहरू जैसे इस देश के शासक और

[श्री देव कुमार]

विचारक की देश की प्रगति में खरी उतरती हुई आर्थिक नीतियों को आपने शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया और आप उन बुनियादी नीतियों से पीछे हटते जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप मासूम तरीके से नहीं बुनियादी तरीके से उनको बदलने जा रहे हैं और उसके लिये इस देश के अन्दर इधर-उधर की नीतियों के जरिए आप उनको निभाना चाहते हैं।

अभी पिछले हफ्ते में आपकी केन्द्रीय कार्यकारिणी ने और देश की नियोजन समिति ने एक अजीब सी घोषणा जारी की है कि अब इस देश के अन्दर जो पंचवर्षीय योजनायें बनेंगी, वे एक रोलिंग योजनायें होंगी। जो पांच वर्ष में नियोजन निश्चित किया जायगा उसका परिपालन नहीं होगा केवल पहले साल का परिपालन किया जायगा। मैं कहना चाहता हूं कि यह लुढ़कती हुई नियोजन की नीति कम से कम हम लोगों की समझ में बिल्कुल नहीं आती है। आप इस नीति को बना कर इस देश की अर्थ व्यवस्था को, नियोजन को कहां ले जाना चाहते हैं? यह बात साफ जाहिर होती है कि इस तरह की योजनाओं के जरिये आप इस मुल्क के अन्दर पब्लिक सेक्टर के उद्योगों को बढ़ावा देना बन्द करके इस देश की अर्थ-व्यवस्था को यहां के पूंजीपतियों के हवाले कर देना चाहते हैं, उनको भयंकर लूट के लिये खुली छूट देना चाहते हैं और इस देश की जो बुनियादी नियोजन नीति थी उससे बिल्कुल पलायन करके, दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं।

मान्यवर, यहां के राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष डाक्टर आत्माराम जी का आज इस देश की तकनीक पर भी विश्वास उठने लगा है। अभी तक वह यहां की कुछ समितियों से संबंधित थे, यहां की अर्थ व्यवस्था और नियोजन के हामी थे। लेकिन आपकी समितियों के अध्यक्ष होने के बाद अब वह कहने लगे हैं कि देश की जो अपनी तकनीक है उसकी खोज में समय बरबाद करने से कोई फायदा नहीं होगा। विदेशी तकनीक को आधार लेकर इस देश के विकास की योजनायें बनानी चाहिये। जो विदेशी तकनीक है वो हाउस के साधन हैं, उनकी परिस्थितियां भिन्न हैं और हमारे देश की परिस्थितियां भिन्न है। हमारे देश की परिस्थितियों के अनुसार जो हमारी औद्योगिक नीति और नियोजन की नीति बनी उसको विदेशी तकनीक के आधार पर चलायेंगे तो इस देश की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को या तो बदलेंगे या वहां की तकनीक यहां असफल हो जायगी जिसका असर इस देश की व्यवस्था पर पड़ेगा। प्रोफेसर दांतवाला एन० के० राजू, जैसे अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि इस देश को आगे ले जाने के लिये, गरीबी को दूर करने के लिये कृषि उद्योग में समन्वय होना आवश्यक है और संतुलित विकास आवश्यक है।

एक तरफ आप कहते हैं कि कृषि का विकास करेंगे, ग्रामोद्योग को एक आन्दोलन के रूप में गांवों तक ले जायेंगे, योजनाओं से गरीबी और इस प्रदेश के शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों की समस्या को हल करना है। लेकिन भारी उद्योगों को पब्लिक सेक्टर में बढ़ावा न देकर, वैसे भी आपकी जो नीति है, उसमें लाइसेंस वगैरह उन चीजों का नहीं देंगे जो माल लघु उद्योगों के जरिये बन सकता है। इसका असर क्या पड़ने वाला है। कृषि का विकास भी नहीं कर सकते, देश की सुरक्षा की गारंटी भी नहीं कर सकते, कृषि के विकास के लिये बिजली की आवश्यकता है। ट्रैक्टर्स की आवश्यकता है। उर्वरक की आवश्यकता है। रिग्ज की आवश्यकता है। तमाम इम्प्लीमेंट्स और साधनों की आवश्यकता है जिनका निर्माण भारी उद्योगों के बगैर नहीं हो सकता है। इसी तरह से लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों के विकास के लिये भारी उद्योगों की आवश्यकता है जहां उनसे लगने वाले सामान उत्पादित होंगे। लेकिन आपकी जो नीति है, कृषि विकास, लघु उद्योगों का विकास, भारी उद्योगों का विकास तीनों को समन्वित तरीके से न देख कर अलगाव की भावना पैदा कर रही है जिससे देश की अर्थ-व्यवस्था निश्चित रूप से आगे चलकर प्रभावित होगी। कांग्रेस को गालियां देने से, कांग्रेस के कुछ लोगों को गिरफ्तारी करने से और कमीशन बैठा देने से यह कह देने से कि सारी गड़बड़ियों का उत्तरदायित्व कांग्रेस

शासन का है, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण की शुरूआत ही इससे की कि इस मुल्क की गरीबी और तबाही का मूल कारण तीस वर्षों का कांग्रेस का प्रशासन है। मैं उनकी गलतियों की सफ़ाई नहीं देना चाहता। मैं उनके खिलाफ जो गलत काम किये उनकी कार्यवाही पर रोक नहीं लगाना चाहता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस चीज को नकार देना, पंडित नेहरू की नियोजन की और औद्योगिक नीतियों को नकार कर हर चीज को नये दायरे से खड़ा करना इस देश और प्रदेश के हित में नहीं होगा। अभी चरण सिंह जी ने अपना 10 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, उसमें विवाद है। उसको कहां तक जनता पार्टी स्वीकार करेगी और उस कार्यक्रम के आधार पर राष्ट्रीय नीति बनाने में सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में इस देश में गरीबी दूर करने का कौन सा साधन होगा, बेरोजगारी को दूर करने का कौन सा साधन होगा? आपने एक किताब छापकर दर्शाया है कि सन् 1975 में बेरोजगारों की संख्या 8 लाख से कुछ ऊपर थी और 1975 में यह 10 लाख से ऊपर हो जाती है। जिस प्रदेश में भुखमरी और बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है उसकी अर्थ व्यवस्था को ठीक करना चाहिये, उसको आगे ले जाना चाहिये। एक क्रान्तिकारी औद्योगिक नीति की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर कच्चा माल उपलब्ध है जहां पर जमीन इतनी उर्वरक है, पानी की व्यवस्था है और तमाम लोग बेकार पड़े हैं वहां पर कोई औद्योगिक नीति नहीं है और न सरकार ने कोई घोषणा की है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप केवल कांग्रेस की गलतियों को ही दुहराते रहे तो जनता आपको बड़े गौर से देख रही है। इस प्रदेश की करोड़ जनता रोटी चाहती है, रोजगार चाहती है और जिन वायदों को करके गरीबों के वोट से शासन में आये हैं उन वायदों को पूरा करना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने उन वायदों को पूरा न किया और रचनात्मक कार्य नहीं किया तो जिस गति से असन्तोष बढ़ रहा है, उसको आप देखें।

हमारे विधान भवन के सामने तमाम लोग कोप शिविर लगाये हुये है, हड़ताल कर रहे है, मलेरिया कर्मचारी हड़ताल कर रहे है पशुपालन के लोग हड़ताल कर रहे है। आप एल० आई० यू० के जरिये जांच करा कर देखें। जो आपकी गलत नीतियां और बढ़ती हुई मंहगाई के कारण सन्तुष्ट नहीं है। हमारे इस महान देश के प्रधान मंत्री जी लोक शाही शासन की स्थापना करना चाहते है, उन्होंने एक परम्परा स्थापित की है।

और उन्होंने कह दिया कि जो प्रदर्शन करेगें, प्रदर्शन करके उनसे मिलने जायेंगे, उनसे प्रधान मंत्री जी मुलाकात नहीं करेंगे और यही प्रक्रिया आपने देखी 19 तारीख को। कोई साधारण लोग नहीं थे जिनका आप इन्कार कर सकते थे। जब माननीय चौहान साहब विरोधी दल के नेता और कांग्रेसी पार्टी के संसद सदस्य और तमाम जनता महंगाई के खिलाफ ज्ञापन देने जाती है तब प्रधानमंत्री उनसे मिलने से इंकार कर देते है और उनको वापस आना पड़ता है और यही प्रक्रिया मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इसका असर सारे देश में पड़ रहा है।

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी यहां परसों की घटना है, मलेरिया विभाग के छोटे-छोटे कर्मचारी अपने संयुक्त निदेशक के खिलाफ आमरण अनशन करने के लिये गये थे। मुख्य मंत्री आवास पर मिलने के लिये उनकी बात न सुन करके उनके साथ पुलिस ने दुर्व्यहार करके उन्हें जेल भेज दिया गया। सारा विधान भवन आज कोप शिविरों से घिरा हुआ है और तमाम बातों को लेकर लोग आंदोलित हो रहे हैं। लेकिन यमराज के सामने नचिकेता ने तीन दिन का उपवास किया था। यम राज ने उनको 3 वरदान दिये थे। लेकिन इस लोकशाही का दावा करने वाली

[श्री देव कुमार]

आपकी सरकार आमरण अनशन पर बैठे हुये लोगों की बात सुनने के लिये तैयार नहीं है। मुख्य मंत्री मिलने को तैयार नहीं है। मंत्रीगण उनकी बात सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप तो कहते हैं 30 वर्षों में कांग्रेस ने इस देश को तबाह कर दिया तो आप यह निश्चित रखें इस प्रदेश में असंतोष बढ़ रहा है। हमको आशंका है कि आप शायद इस प्रदेश में और देश में 30 महीने भी नहीं रह सकते।

जो परिस्थितियां आज बन रही है। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पार्टी की नीति छोड़ दीजिये और राष्ट्रीय नीति बनाइये। आपकी जो उद्योग नीति हैं, शिक्षा की नीति है, इस देश की विकास की जो नीति है। यह किसी पार्टी की नीति नहीं है। किसी दल की नीति नहीं है। अब यहां केन्द्र के अन्दर किसी एक दल की सरकार नहीं है। माननीय उद्योग मंत्री जी मैं आप से कहना चाहता हूं कि आपको इस प्रदेश की गरीब जनता ने, मजदूर वर्ग ने, विद्यार्थियों ने आपका समर्थन किया है, आपके सम्पूर्ण क्रान्ति के नारे का, श्री जय प्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के आवाहन पर आपको समर्थन दिया है। आपके इस नारे से प्रभावित हो कर यहां के नौजवान ने, यहां के तमाम बेरोजगार नवयुवकों ने आपका साथ इस आशा के साथ दिया कि वह नौजवान जो जितनी उम्मीद आपसे करता था, वह उम्मीदें पूरी हो सकेंगी। वह आप नहीं कर पा रहे है। यह आपके खिलाफ भी विरोध कर रहा है। गरीब जनता को रोटी चाहिये। लेकिन अगर आप नहीं दे सकेंगे तो आपका भी वही हश्र होगा जो माननीय नारायण दत्त तिवारी का हुआ है। मालूम ऐसा होता है कि आज वही स्थिति आपकी की भी होने वाली है।

आप पूंजीपतियों को रियायत दे रहे हैं। हिन्डालकों का एक कारखाना बिरला जी जैसे गरीब आदमी का है। जिसकी लागत से भी कम कीमत पर आप बिजली दे रहे है। आपने कुछ दिन पूर्व घोषणा की थी कि हिन्डालकों के लिये कम बिजली दी जायगी लेकिन पता नहीं क्यों फिर बिजली दी जा रही है। यह भी अखबारों में पढ़ा है कि बिरला जी को 6675 मेंगावाट बिजली पैदा करने वाले इन्जन को आयात करने की इजाजत देने की सरकार सोच रही है। हाल ही में विधान परिषद् में हिन्डालको का राष्ट्रीयकरण करने का संकल्प पारित हुआ था। मैं आपसे मांग करता हूं कि अगर हिन्डालको जैसे संस्थान का आप राष्ट्रीयकरण कर देंगे तो आप एक नयी औद्योगिक नीति को आगे ले जायेंगे।

इस प्रदेश की राजनीति चीनी मिलों के लोगों को प्रभावित करती रही है। कांग्रेस के लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे उनका राष्ट्रीकरण करेंगे। चीनी मिलों के जरिये से आज देश और प्रदेश में भयंकर लूट हो रही है। 86 लाख टन चीनी वे पैदा करते है जिसमें केवल 40 प्रतिशत की छूट है चाहे वे जिस भाव पर बेंचे। शेष 60 प्रतिशत लैवी के हिसाब से बिकती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन चीनी मिलों का राष्ट्रीकरण करके वे देश और प्रदेश की जनता को उस लूट से बचा सकते है। माननीय मंत्री जी ने यहां पर कुछ उद्योगों की बात कही लेकिन इस प्रदेश के अन्दर जितनी दुर्गति छोटे उद्योगों की होती है। विशेष रूप से चमड़े के उद्योग की बात कह देता हूं उतनी किसी और की नहीं होती है।

मान्यवर, चमड़ा हमारे प्रदेश का एक बढ़ता हुआ उद्योग है, खासकर इसे हरिजन भाई करते हैं। हमारे क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में और पूर्वी अंचलों में अब हरिजनों ने

गांवों में मरे हुये मवेशियों को उठाना ही बन्द कर दिया है। जिससे किसानों को मजबूरन अपने मवेशियों को दफनाना पड़ता है। यह चमड़ा उद्योग जिसके अन्दर हमे विदशी मुद्रा मिलती है, इस देश और प्रदेश में लोगों को इससे काम मिलता है, यदि चमड़े का संरक्षण न किया जाय तो अगले 10-15 वर्षो में हमें चमड़ा उपलब्ध न हो सकेगा। आज करोड़ों रुपये का चमड़ा जमीन के अन्दर दफनाया जा रहा है। आप सर्वेक्षण कराइये, हर ब्लाक में कोई सरकारी एजेन्सी लगायें जिसके जरिये चमड़े का संरक्षण किया जा सके। क्योंकि वर्तमान स्थिति में आप हरिजनों को बाध्य नहीं कर सकते है कि उन्हें मरे हुये जानवरों को उठाना पड़ेगा।

हथकरघे के सम्बन्ध में जो कच्चा माल है वह नहीं मिलता है। उसका बाजार नहीं है। जो लोग हथकरघे और पावर लूम्स के उद्योग में लगे हुये हैं और जो इनका उत्पादन करते हैं उनके उत्पादित माल के लिये कोई बाजार नहीं है। इसकी व्यवस्था होनी चाहिये। इसके अलावा उनके लिये सूत की व्यवस्था होनी चाहिये तभी इनका विकास हो सकता है।

इस प्रदेश में एक औद्योगिक असंतोष भी है। हमारी सरकार की बीमार मिलों के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति भी नहीं है। गाजियाबाद में वहां के मजदूरों के विरुद्ध ऐसे आदेश पारित कर दिये गये हैं कि वे अपनी मागों के लिये हड़ताल भी नहीं कर सकते हैं। कोई जलूस नहीं निकाल सकते हैं।

इस प्रदेश में जो इन्डस्ट्रियल स्टेट बनी हैं। जिनमें करोड़ों रुपया लगा है, सब बेकार पड़ी हैं। इसलिये आप जो भी उद्योग खोलना चाहते हैं। उनको इन स्टेटस में ही खोलने की इजाजत दें। अगर आप प्रदेश का औद्योगीकरण करना चाहते हैं, यहां की गरीबी को दूर करने करना चाहते हैं तो कृषि लघु उद्योग और बड़े उद्योगों का समन्वय स्थापित कीजिये। आपने ठीक ही कहा है कि पूर्वी पहाड़ी और बुन्देखखंड जिसके जिले बांदा से मैं चुनकर आया हूं पिछले 30 वर्षो में एक भी उद्योग धंधा नहीं खुला है।

इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षेत्र का नौजवान पूछता है कि वहां का औद्योगिक विकास क्यों नहीं किया गया है; इसलिये आप से कहना चाहता हूं कि इस सरकार को गंभीरतापूर्वक बैठकर के कोई औद्योगिक नीति इस प्रदेश के विकास के लिये बनाना चाहिये। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जनता इसको चुपचाप देखती नहीं रहेगी अब में समाप्त कर करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री गौरी शंकर भैय्या (जिला बलिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे उद्योग मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान पर बोलने का जो मौका दिया है, मैं उसके लिये आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है और उद्योग के संदर्भ में जो, अपनी नीतियां निर्धारित की हैं मैं उनका समर्थन करके के लिये खड़ा हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह इस प्रदेश में पहली दफा सोचा गया है कि शहरों के विकास को कम करके ग्रामों की दिशा में औद्योगिक विकास को ले जाया जाय।

[श्री गौरीशंकर भैय्या]

अभी तक उद्योग संबंधी नीति स्पष्ट नहीं रही है। यह पहली बार सोचा गया कि बड़े-बड़े जो लाइसेंस वाले है, बड़े-बड़े उद्योग है उनको कुटीर उद्योग से अलग कर दिया जाय और गांवों में जो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग की योजना है उनको अलग कर दिया जाय। लाइसेंस उनको दिये जाने चाहिये जो गावों में प्रोडक्शन करना चाहते है। बड़े-बड़े उद्योगों को लाइसेंस न दिये जायें। इस तरह से दो तरह के उद्योग ग्रामों में और शहरों में एक वह जो बड़े-बड़े उद्योग और दूसरे लघु उद्योग जो जीवनोपयोगी सामानों का उत्पादन करने की दिशा में कार्य करेंगे उनका अलग वर्गीकरण किया जाय। 30 वर्ष के बाद मशीनीकरण की नीति को हटा करके मानव उपयोगी आधार पर चलने वाले उद्योगों को पहली बार अवसर दिया गया है और माननीय मंत्री महोदय ने ग्राम्य विकास की बात कही है। पिछली नीतियों और इसमें भारी अन्तर देखने को मिलता है। यह पहली दफा सोचा गया है कि बड़े पैमाने पर अधिक लोगों को कैसे रोजगार दिया जाय, भूमिहीन और निर्बल तबके के लोगों को किस प्रकार उद्योग को संभालने के लिये योग्य बनाया जाय, यह एक स्पष्ट नीति हो जाती है। उद्योग चलाने की दिशा में और यह इंगित करता है कि चाहे हम जो कुछ भी कर रहे हों, हमारी औद्योगिक नीति सही दिशा में चल रही है।

माननीय सदस्य ने कहा कि हमें कटौती नहीं लानी चाहिये थी लेकिन आलोचना के दृष्टिकोण से ही आलोचना नहीं की जाती। आलोचना समर्थन के रूप में भी करनी पड़ती है। जब पिछली बार प्रदेश के सुनियोजित विकास की रूपरेखा मंत्री जी ने डाली है और विकास की दिशा में मंत्री महोदय का ध्यान गया है तो माननीय सदस्य को उसका समर्थन करना चाहिये था।

मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मंत्री का ध्यान बलिया जनपद की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

बलिया में जो उद्योग चलते हैं उसमें सहकारिता से एक चीनी मिल चलती है और छोटे-छोटे उद्योग चलते है। वहां सुरहा ताल एक ऐसा ताल है जिसमें अगर मत्स्य पालन किया जाय तो करोड़ों रुपये सालाना की मछली उत्पन्न हो सकती है। जो विदेशों में निर्यात की जा सकती है। जहां तक चमड़े की बात है मैं सुझाव देना चाहता हूं कि गांवों में जो लोग जूता बनाने का काम करते हैं उनको सहकारिता के आधार पर संगठित किया जाय और वैज्ञानिक तरीके से अच्छे-अच्छे जूतों का निर्माण किया जाय। जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां जूते बनाने का काम करती हैं जैसे बाटा कम्पनी आदि, उन पर रोक लगायी जाय और सब लोग गांवों के निर्मित जूते पहनें, हो सकता है कि शुरू-शुरू में वह जूते अच्छे न बन पाये लेकिन बाद में अच्छे जूतों का निर्माण होने लगेगा और गांव के हरिजन तबके को अधिक से अधिक उद्योग मिल सकेगा।

जहां तक गांवों में उद्योग लगाने पर सुझाव देने की बात है, कुछ काम ऐसे होते हैं उनको अगर सहकारिता के आधार पर उद्योग के रूप में विकसित किया जाय, तो निश्चित रूप से छोटे-छोटे उद्योग पनपेंगे जैसे फलों का रस, चटनी, अचार वगैरह। अभी यह काम टाटा और बिड़ला जैसे बड़े उद्योगपति ही करते हैं। लेकिन अगर यह काम गांव के लोगों को सौंपा जाय तो निश्चित रूप से हर गांव में छोटी-छोटी 8-10 फैक्टरियां लग सकती हैं जिनमें इन चीजों को पैदा किया जा सकता है और सारे देश में भेजा जा सकता है। बड़े उद्योगों पर इसके बनाने पर रोक लगा देनी चाहिये।

इसी तरह गांव में लोहार जो खुरपा बनाता है, अगर टाटा, बिड़ला भी खुरपा बनाने लगे तो गांव का वह गरीब तबका उठ नही पायेगा। इसलिये देहातों में लघु उद्योगों को पनपाने के लिये यह जरूरी है कि आप एक सुरक्षित क्षेत्र का निर्माण करें और छोटे-छोटे उद्योगों को लाइसेन्स दें और बड़े उद्योगों के लाइसेन्स को बन्द करें।

बलिया में जो चीनी मिल चलती है सहकारिता के आधार पर उसके समर्थन के आधार पर कागज और अल्कोहल की मिलों का विकास किया जा सकता है। बक्सर से बड़ी लाइन से अगर इसको जोड़ दिया जाय तो बनारस से जो गंगा नदी जाती है उसमें स्टीमर की व्यवस्था कर दी जाय तो निश्चित रूप से बलिया का विकास हो सकेगा। पूर्वान्चल में बलिया एक ऐसा जिला है कि जिसके सुनियोजित--विकास के लिये आजतक कोई काम नहीं किया गया है। इसके लिये एक सुनियोजित नीति जरूरी है ताकि प्रदेश के उस उपेक्षित अंचल के लोग लाभान्वित हो सके। गाजीपुर और बलिया के 6 ब्लाकों को मिला कर एक विकास योजना चलती है। 6 में से 5 ब्लाक गाजीपुर के और 1 बलिया का है। लेकिन जब कर्ज लेने की बात कही जाती है तो गाजीपुर के पांचों ब्लाकों को अधिक से अधिक धनराशि दी जाती है और बलिया के ब्लाक को नहीं दी जाती है।। इस तरह से बलिया के विकास की बात रह जाती है।

श्री अधिष्ठाता :--

अब आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, उद्योग विकास के सम्बन्ध में जो यह कटौती का प्रस्ताव आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इसके लिये पहले कि मैं कुछ कहूं मैं तीन पुस्तिकायें जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस विभाग के सम्बन्ध में बांटी गयी है--कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (परफार्मेन्स) बजट तथा उत्तर प्रदेश में उद्योगों का विकास और प्रगति की समीक्षा तथा उद्यागों की स्थापना के लिये उद्योग विकास द्वारा प्रदत्त सहायतायें उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं।

श्रीमन्, जब हम लोगों ने यह पुस्तिका पढ़ी तो हमें लगा कि इन पुस्तिकाओं से खासतौर से यह जो दिग्दर्शन है और समीक्षा है, उसके पढ़ने से लगता है कि सचमुच कुछ वर्षों में प्रदेश में प्रगति हुई है यह रिपोर्ट दी हुई है। मंत्रालय द्वारा और मंत्री जी की, लेकिन जब मंत्रीजी को सुना आज, तो लगा कि रिपोर्ट इनकी है कि नहीं तो हम जानना चाहते थे श्रीमन्, कि रिपोर्ट इनके मंत्रालय की है या नहीं या दूसरे विभाग ने दे दिया रिपोर्ट अब श्रीमन, मैं पढ़ देता हूं। कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (परफार्मेंस) बजट जो 5-6 वर्ष से प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें देखा जाय पहले ही पेज पर लिखा हुआ है "प्रथम योजनाकाल में पिछले वर्षों से चली आ रही योजनाओं के लिये प्रशिक्षण उत्पादन तथा सामान्य सुविधा की व्यवस्था पर विशेष बल दिया जाता रहा।" फिर उसके बाद द्वितीय पेज पर देखें। "तृतीय योजनाकाल में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत एन्टीबायटिक फ़ैक्ट्री, ऋषीकेश, हैवी इलेक्ट्रिकल्स, हरिद्वार, डीजल लोकोमोटिव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्यामधर मिश्र]

वर्क्स, वाराणसी, फ़र्टी लाइजर्स, फ़ैक्ट्री जैसे केन्द्रीय सार्वजनिक परियोजनाओं की स्थापना हुई। और "चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के सूत्रपात से वास्तविक अर्थों में औद्योगिक विकास में एक नये प्रकरणों का प्रारम्भ है ।" तो या तो नये प्रकरणों का प्रारम्भ इन्होंने लिखवा दिया या तो अफ़सरों ने गलती से लिख दिया या इनकी आज्ञा नहीं मानी या इस पुस्तिका को मंत्री जी ने नहीं पढ़ा । अगर इनकी यह पुस्तिका है तो जो मंत्री जी ने अब तक कहा, भाषण में कहा था बिलकुल विपरीत बात गयी । 30 वर्ष की कहानी यह तो निश्चित तौर से है । इस देश की कहानी यह है कि आजादी के बाद प्रगति बहुत कम उद्योगों में थी ।

(व्यवधान)

(श्री हिम्मत सिंह के खड़े होने पर)

आप कृपया व्यवधान न करें ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य बैठ जायं । आपको बोलना है तो इसके बाद ही बुला लेंगे, लेकिन इनको बोलने दिया जाय ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैं श्रीमन्, कह रहा था 9 परसेंट हमारे देश की आबादी का हिस्सा है । उत्तर प्रदेश 16 परसेंट और केवल 9 फ़ीसदी हमारी केवल इकाई है । भूमि में उस माने में हम बड़े कमजोर हैं, खेती में भी कमजोर है । लेकिन इस 30 वर्ष में बड़े उद्योग, छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग जो कि मैं कम जानता हूं, लेकिन जो मंत्री जी ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है बड़े-बड़े उद्योग हैं । सीमेंट यहां पर एक औंस भी नहीं पैदा होता था, उत्तर प्रदेश आज इस देश का कई प्रतिशत सीमेंट पैदा करता है । आज यह 16 फ़ीसदी आबादी है और जो पैदावार देश के सीमेंट की है, केवल 4 फ़ीसदी है । इसी तरह से सूत ले लीजिये । सूत का कपड़ा ले लीजिये । केवल 5-6 फ़ीसदी पैदावार का हमारे यहां होता है । मैं श्रीमन्, आज के माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि वह अपनी नीति बतायें कि ट्रैक्टर फ़र्टिलाइजर, सीमेंट, लोहा, अल्मोनियम, चीनी, डीजल इंजन, मेडिसिन (दवाइयां) आदि जो कि बड़े कारखानों में ही बन सकते हैं, अगर उनके लिए बड़े कारखाने लगाये गये तो गलत काम हुआ कि सही काम हुआ ?

आज यह विकेंद्रीकरण की बातें करते हैं, जो इस पुस्तिका में है । सरकार ने लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया है, हो सकता है कि आगे आप और ज्यादा प्रोत्साहन दें । लेकिन क्या यह संभव है कि बिना लोहे और बिना कोयले के आप छोटे-छोटे उद्योगों को चला सकते हैं । मुझे संदेह है कि आप छोटे-छोटे उद्योगों को चला सकते हैं । आप कहते हैं बड़े उद्योग की बातें, आप बतायें कि सीमेंट का उत्पादन बढ़ायेंगे ? आप बतायें चीनी का उत्पादन आप बढ़ायेंगे ? अगर आप कहते हैं बढ़ायेंगे तो कैसे? आपकी नीति, शीरा खिलायेंगी या गुड़ खिलायेंगी ? क्या है ? बतायें आप कि क्या व्यवस्था करने वाले हैं । इस संबंध में आपसे जानना चाहता हूं । श्रीमन्, आप इस प्रदेश में कुल 30 वर्षों में फ़ैक्टरियों में काम करने वाले केवल 4 लाख लोग हैं । इतनी बड़ी बड़ी फ़ैक्टरियां कायम की गई लेकिन केवल 4 लाख लोग काम करते हैं जो 5-6 फ़ीसदी है । आदमियों को काम मिला यह बड़ी भारी खराबी है । मैं तो चाहूंगा सम्मिश्रित प्लानिंग करते । बड़े उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग, छोटे उद्योग सबका मिश्रण होता तो अच्छा होता । पंजाब में आप देखें, हरियाणा में आप देखें, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में आप

देखें, मैं 4 मिसालें दे रहा हूं । चारों मिसालें इसलिये दे रहा हूं कि कुछ जगह छोटे और महाराष्ट्र में बड़े उद्योग हैं । आप देखें वहां फ़ैक्टरियों में इम्पलायमेंट 16 से 20 प्रतिशत का है । पंजाब में पर कैपिटा बिजली का प्रोडक्शन करीब-करीब 197 है जबकि हमारे यहां केवल 66 है । यह क्यों, क्योंकि हम जीरो से 66 पर आये हैं । आप 5 वर्षों में 166 ले जायं आपको शुभकामनायें हैं। लेकिन इस तरह से दोष देना, प्लान में, किताब में तो आप तारीफ़ करें 30 वर्षों की । लेकिन यहां बुराई करें तो इससे काम चलने वाला नहीं है ।

मैं एक बात को कह दूं । समय कम है । एक रनिंग कमेंटरी हो रही है, रनिंग कमेंटरी के पीछे दौड़ना पड़ता है । आप देखें, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल बैंकों द्वारा क्या हो रहा है ? मैं जानता हूं कि 1967 के बाद खासतौर से 7-8 वर्षों में जितना हुआ उतना कभी नहीं हुआ । देश भर के जितने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स, एल0आई0सी0 और इंडस्ट्रियल फ़ाइनेंस कारपोरेशन हैं उसका 3 फ़ीसदी हमें मिलता है । हमारी पर कैपिटा डिपाजिट बैंक की करीब-करीब 100 रुपया है । उत्तर प्रदेश का हाल यह है कि 40 रुपये पर कैपिटा लोन लेते हैं । आप सोचिये क्यों ? क्योंकि हमारे पास उद्योग नहीं हैं । न बड़े उद्योग हैं और न मध्यम उद्योग । यह कह देना कि गांधी जी ने कहा था । मैं कहना चाहता हूं कि गांधी जी ने कभी नहीं कहा था कि टेक्नोलाजी और साइंस न हो । गांधी जी ने वही कहा है जो नेहरू जी ने कहा है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

यह गलत है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठिये ।

श्री श्यामधर मिश्र--

आज प्रधान मंत्री मोरार जी भाई, गृह मंत्री चौधरी चरणसिंह यह कल कांग्रेस में थे । आज उधर गये हैं । बाबू जगजीवन राम कल कांग्रेस में थे । अगर 30 वर्षों में कोई खराबियां आई हैं तो इसके वह उतने ही जिम्मेदार हैं जितने यहां के बैठे हुए लोग । इस पार्टी में 5-7 घटक हैं । बी0एल0डी0 के लोग, कांग्रेस-ओ के लोग इस तरह की बात नहीं कह सकते हैं । जनसंघ के लोग कह सकते हैं ।

मान्यवर, आय-व्ययक अनुमानों पर स्मृति पत्र 1977-78 के पेज 160 पर आयोजना गत में पिछले साल 36 करोड़ रुपये रखा गया उद्योग पर । इस साल केवल 13 करोड़ रखा जा रहा है । इस प्रकार 22 करोड़ कम कर दिया गया है । सहकारी चीनी मिलें लगाने की बात आप कर रहे हैं । लेकिन सहकारी चीनी मिलों को ऋण की व्यवस्था में 4 करोड़ रुपये पिछले साल था जबकि इस साल शून्य हैं। तो यह चीनी मिलें कैसे बढ़ायेंगे ? इसको हमें बताया जाय ।

मान्यवर, दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में गलीचा की बात कही । मैं उस एरिया से आता हूं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि वहां एक डिजाइन सेंटर की जरूरत है । वहां डिजाइनर्स की कमी है । यदि वहां स्कूल खोल दें तो हजारों लड़के इस साल से रोजगार पायेंगे । भूतपूर्व सरकार से पिछले साल निवेदन किया गया

[श्री श्यामधर मिश्र]

था कि उत्तर प्रदेश के कम से कम पूर्वी 18–19 जिलों में जितने जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल है उनमें प्रति दिन एक घंटा की शिक्षा कालीन बुनने की दी जाय जिसमें एक अध्यापक और 2 लूम्स लगाने की जरूरत होगी । इस पर दो करोड़ रुपये साल म खर्च होंगे और 5 साल में 10 करोड़ रुपया खर्च होंगे । लेकिन उसक बाद 2 लाख नये रोजगार करने वाले पैदा हो जायेंगे और निर्यात इसका कम से कम 10 वर्ष बाद में 200 करोड़ सालाना बढ़ जायगा ।

मान्यवर, तीसरी बात मैं जानना चाहूंगा कि हमारे वाराणसी में विभूति ग्लास वर्क्स है । वह कुछ दिन अच्छा चला लेकिन बाद में बन्द हो गया । बजट में थोड़ा रुपया रखा गया है । पता नहीं कैसे चलेगा ? ग्लास वर्क्स के मालिक से बात करके ही वापस करें तो ठीक होगा वरना वापस न करें । नहीं तो लोग बेकार हो जायगे । इसके अलावा मान्यवर, हमारे वहां अल्मुनियम कारखाने को बिजली नहीं मिली है जिससे 3 करोड़ उत्पादन के शुल्क का और एक करोड़ सेल्स टैक्स का नुकसान हो गया है । पता नहीं इनकी क्या योजना है? न बड़ी योजना चाहते है न मध्यम और न छोटी । केवल यह प्रोपोगन्डा चाहते हैं । तो उससे काम नहीं चलने वाला है ।

*श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)--

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, हमारे उद्योग मंत्री जी ने जो आज इस सदन में वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उद्योग नीति की घोषणा की है, मैं उसका समर्थन करता हूं और उसी के समर्थन में अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं । मंत्री जी ने अपने भाषण में स्पष्ट किया है कि हमारी सरकार लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों को प्रमुखता देगी । मैं समझता हूं लघु उद्योगों को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है । केवल उन उद्योगों को जो दियासलाई, पेंसिल या साबुन वगैरह बनाते है उन्हीं को लघु उद्योगों की सीमा में न रखा जाय । कल पुर्जे, रसायन, फोटोग्राफी के सामान, इलेक्ट्रोनिक के सामान जिन उद्योगों म बनाया जाय उसको भी लघु उद्योग की सीमा में रखा जाना चाहिये । हमारे माननीय श्री श्याम धर जी ने उद्योग मंत्री जी से यह प्रश्न किया है कि क्या जो बड़े-बड़े उद्योग है उनको प्रोत्साहन नहीं देना चाहते है? महोदय, मैं अपनी तरफ से बतलाना चाहूंगा कि हमारी सरकार के मन में बड़े उद्योगों के प्रति कोई घृणा की भावना नहीं है । हमारी सरकार यह मानती है कि जो छोटे उद्योग होंगे वह बड़े उद्योगों के लिए संपूरक होंगे ।

मैं उदाहरण देना चाहता हूं । जापान में जहां जहाज, मोटर, रेल बनाने के संस्थान हैं वहां रेल के 70 प्रतिशत छोटे-छोटे पुर्जे छोटे उद्योगों द्वारा बनाये जाते है और फिर उनका असेम्बलिंग बड़े उद्योगों में होता है । इसी प्रकार मोटर और रेल के विषय में है कि छोटे-छोटे पुर्जे छोटे उद्योगों में बनते है और असेम्बलिंग बड़े उद्योगों में किया जाता है । यही नीति हमारी सरकार की है कि यह छोटे उद्योग जो होंगे वह बड़े उद्योगों के संपूरक होंगे । पिछली सरकार ने लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात की थी और इसके लिए प्रयास भी किया था लकिन उसम सफलता नहीं मिली । उसका कारण यह रहा कि हमारे नौजवानों में और लोगों में संदेह का भाव रहा । जो कि उद्योग कर्ता में दृढ़ धारणा होनी चाहिये उसका अभाव रहा । लघु उद्योग जिन लोगों को दिया जाय उनको प्रोत्साहन भी मिलना चाहिये । उनको कच्चा माल उपलब्ध कराया जाय, कर और उपकर में छूट दी जाय । जहां इस प्रकार के छोटे उद्योग स्थापित किये जायं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो उद्यमी अर्थात् सेवा योजक है वह उतने हाथों को काम देते है या नहीं जितनों के लिए आवश्यकता है । प्रायः यह देखा जाता है कि लघु उद्योगों के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सेवायोजक उतने लोगों को काम नहीं देते जितनों को देना चाहिये। वह पर्याप्त हाथों को काम देने में कृपणता दिखलाते हैं।

हमारे माननीय मंत्री जी ने ग्रामीण उद्योगों की बात कही है और कहा है कि हमारी सरकार उसके लिए प्रोत्साहन देगी। इसके लिये एक अलग विभाग भी बनाया गया है। यहां के एक इकोनोमिस्ट ने आंकड़ा रखा था कि यदि बड़े उद्योग में एक लाख रुपया लगाया जाता है तो केवल 4 व्यक्तियों का काम मिलता है। लेकिन यदि वहीं पर लघु उद्योग लगाया जाता है और एक लाख रुपया खर्च होता है तो 20 व्यक्तियों को काम मिलता है। अगर ग्रामीण उद्योग में एक लाख रुपया लगाया जाता है तो उससे 60 व्यक्तियों को काम मिलता है। हमारी सरकार ने इसलिये ग्रामीण उद्योग की बात कही है। इससे जहां रोजगार बढ़ा सकते हैं वहां हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा और इस प्रकार हम बेकारी की समस्या का समाधान भी निकाल सकेंगे।

मान्यवर, मिर्जापुर जनपद की इंडस्ट्रियल बेल्ट की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां चुर्क और डल्ला सीमेंट फैक्टरी है और एक तीसरा परियोजना भी चल रही है। अगर वहां के सीमेंट के उत्पादन को जोड़ लिया जाय तो सीमेंट का सबसे अधिक उत्पादन हमारे यहां होता है। लेकिन दुर्भाग्य से यह उत्पादन घटता जा रहा है। इसकी छानबीन सरकार को करनी चाहिये। जो कारण मेरी समझ में आते हैं उनमें से एक तो यह है कि मशीनों की रख रखाव में कमी है और इस कारण मशीन पूरी क्षमता से नहीं चल पाती। मशीन को एक घंटे में जितना उत्पादन करना चाहिये वह उतना नहीं कर पाती। उस मशीन को देर तक चलाया जाता है और साथ ही साथ जिससे बिजली की अधिक कनजम्शन होता है और उससे उत्पादन पर असर पड़ता है और सरकार के धन का नुकसान होता है।

श्रीमन्, चुर्क सीमेंट फैक्टरी के संबंध में एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। चुर्क सीमेंट फैक्टरी में जिस समय उत्पादन घट रहा था। वहां के अधिकारियों ने कुछ स्पेशलिस्ट इंजीनियरों को आमंत्रित किया और उनसे यह पूछा था कि यह उत्पादन क्यों घट रहा है। तो इंजीनियरों ने बताया था कि यदि बीस-पच्चीस लाख के कलपुर्जे बदल दिये जायं तो उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और जितना खर्चा इस फैक्टरी से किया जा रहा है उसकी लागत निश्चित अवधि के अन्दर पायी जा सकती है। लेकिन श्रीमन्, पच्चीस लाख के कल पुर्जे लगाये गये लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज भी इस सीमेंट फैक्टरी में उत्पादन नहीं हो रहा है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस संबंध में छान बीन करें और इसके लिये जो भी दोषी अधिकारी हैं, उन को दंडित किया जाय।

आपातकाल के दौरान श्रीमन्, इसी चुर्क फैक्टरी के अंधाधुन्ध मजदूर गिरफ्तार किये गये और वहां पर सरप्लस बहुत से अधिकारी भी रखे गये। मैं निवेदन करूंगा कि जो भी सरप्लस नियुक्ति की गयी, उन्हें समाप्त किया जाय और उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाय। चुर्क, डाला और बरहज इन तीन फैक्टरियों को देखते हुए मैं कुछ इंडस्ट्रीज भी वहां पर खोलने का सुझाव दूंगा। जैसे वहां पर एक स्टील कास्टिंग के लिए इंडस्ट्री खोली जा सकती है जो सीमेंट को तोड़ने के लिये काम में आती है और यदि हम इन तीनों मिलों को मिलायें तो इस प्रकार की इंडस्ट्रीज लगाने से 9 करोड़ रुपया प्रति वर्ष की खपत होती है और यदि इस परियोजना में जो प्लेट बनते हैं उन्हें भी शामिल कर लिया जाय तो

[श्री राजनाथ सिंह]

मैं समझता हूं कि इससे 15 करोड़ रुपये की खपत वहां पर हो सकती है। आशा है इस प्रकार की परियोजना वहां पर खोलने की सरकार प्रयास करेगी इसी प्रकार मिर्जापुर में अथवा वाराणसी में कहीं पर भी ह्यूम पाइप आदि का कारखाना खोलने का भी प्रयास करेंगे।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, एक मिनट और लेना चाहता हू। केसरिया काटन मिल के बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस मिल में इस समय 100 पावर लूम्स हैं, वह बन्द हैं। वहां पर पांच सौ छः सौ मजदूर का लगभग कई लाख रुपया बकाया पड़ा है प्रोविडेंट फंड में जिसका भुगतान नहीं किया गया। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस कारखाने को टेक ओवर कर लें और साथ ही साथ जो पावर लम बन्द हो गये हैं उनको चलवाने की व्यवस्था करे जिससे मिर्जापुर के जनपद के नौजवानों को काम मिलेगा।

श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं उद्योग मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, जैसा कि उद्योग मंत्री जी ने कहा कि यह प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका यह कहना भी सही है कि इसका कारण पिछली सरकार की नीतियां रही हैं। पिछली सरकार ने प्रदेश की तरक्की के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। प्रदेश के उद्योगों के लिये कुछ नहीं किया। श्रीमन्, हमारे पास के हरियाणा की मिसाल मौजूद है जो आज से दस साल पहले गठित हुआ। विद्वानों का यह मत था कि पंजाब से अलग होने के बाद हरियाणा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। उसका अस्तित्व समाप्त हो जायगा। लेकिन आज हरियाणा ने साबित कर दिया है कि वह छोटा-सा प्रदेश हरियाणा आज उद्योग के मामले में कई प्रांतों में सब से आगे हैं।

श्री श्यामधर मिश्र—

वहां भी कांग्रेस सरकार थी और अब वहां भी जनता पार्टी की सरकार है।

श्री अधिष्ठाता—

उनको बोल लेने दीजिये।

श्री शंकर सिंह—

अगर आप कांग्रेस वालों ने अच्छा काम किया होगा तो उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन आप यह देखें कि हमारा प्रदेश कितना अधिक पिछड़ा हुआ है इसके लिये कांग्रेस की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। फ़िर हमारे इस प्रदेश में बुन्देलखंड का जो इलाका है वह तो सबसे ज्यादा गया गुजरा है, उसकी ओर किसी ने आंखें उठा कर नहीं देखा। वहां पर एक बुन्देलखंड विकास निगम बनाया गया। अब उसको विकास निगम कहूं या विनाश निगम यह जो उसने किया है वही उसका प्रमाण है। 2 करोड़ की लागत से इतने बड़े भूखंड में कैसे 5 जिलों में क्या कोई योजना चलाई जा सकती थी। इस पर जो रुपया लगा वह अधिकतर एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में, आने जाने में, भत्तों में, सर्वे करने में समाप्त हुआ और बुन्देलखंड का इससे कोई भला हुआ नहीं। वहां छोटे-छोटे यूनिट्स लगे हुए थे निगम ने उन सारे यूनिट्स को समाप्त करके अपने हाथ में ले लिया। सरकारी क्षेत्र में जो होता है वही हुआ। जो पहले छोटे उद्योग अपने पैरों पर खड़े हुए थे और रोजी रोटी कमा रहे थे वे समाप्त हो गये और वे सारे के सारे घाटे में चले गये और उनका दीवाला पिट गया। आज वहां पर यह हालत हो गयी है कि सिवा झांसी के जहां कुछ कल कारखाने लगे हुए हैं पूरा का पूरा बुन्देलखंड क्षेत्र पिछड़ा हुआ है।

कालपी नगरी जो पुरानी ऐतिहासिक नगरी है और भगवान वेद व्यास की जन्म भूमि है और वहां 57 के गदर की जननी महारानी लक्ष्मी बाई भी आ कर रुकी थीं और अंग्रेजों से दूसरा युद्ध वहां हुआ था उस नगरी की एक-एक ईंट उसकी गाथा गाती है उस कालपी नगरी के साथ एक कहानी और जुड़ी हुई है। वह कहानी कागज की कालपी की पुरानी कहानी है और आज से नहीं कई सदियों से वहां का कागज मशहूर चला आ रहा है लेकिन वहां के दस्तकारों को, कागज की इस इंडस्ट्री को कोई भी प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। हमारे क्षेत्र कालपी में जो कागज बनता है वह देश का 1/5 वां हिस्सा है जिसे कालपी नगर ही बनाता है और हाथ से प्रदेश में जो कागज बनता है उसका दो तिहाई कालपी में ही बनता है। लेकिन उसको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। कई तरह का कागज जैसे फाइल पेपर, ड्राइंग पेपर, बोर्ड पेपर, वाटर मार्क तथा डिप्लोमा पेपर बजाय, इसके कि मिलों से खरीदा जाय उसे कालपी के कुटीर उद्योगों से ही सरकार को खरीदना चाहिये जिस हाथ के उद्योग से हजारों आदमी रोटी रोजी पा रहे है। इस तरह के सारे कागज को इन उद्योगों के लिये सुरक्षित रखा जाय। उनके पास आज धन का अभाव हो रहा है। उन्हें संरक्षण नहीं मिल रहा है, इसके लिये उनको बैंक से सस्ते दर पर कर्ज दिलाया जाय। उनका बना हुआ समान कहां ले जाया जाय, कौन खरीदें इसके लिये सरकार यह व्यवस्था करे वह स्वयं उसे खरीदे वह कागज वहां की गोदामों में पड़ा है।

श्री अधिष्ठाता --

आपका समय पूरा हो गया।

(श्री हर प्रताप सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शंकर सिंह --

मुझे एक मिनट और दें दें। श्रीमन, आप जानते है कि कालपी में हैन्डलूम का सामान बहुत अच्छा बनता है। सरकार की तरफ़ से कोई उसके लिये प्रोत्साहन नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ आप बैठें।

श्री शंकर सिंह --

वहां पर ऊन का काम होता है और स्वेटर आदि बनते हैं। मेरा अनुरोध है कि वहां पर एक उद्योग कम्प्लेक्स बनाया जाय ताकि लोगों को मदद मिल सके।

श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहबाद)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उद्योग मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसका अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। बहुत थोड़े समय के अन्दर हमारे उद्योग मंत्री जी ने यह बजट रखा है, हमारी समझ में यह बहुत अच्छा और प्रगति के रास्ते पर ले जाने वाला बजट है। इतने कम समय में इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता था। आगे जैसा कि हमारी सरकार का विचार है उससे देश आगे बढ़ेगा हमारे जो विरोध में पंडित जी बैठे हुये है उन्होंने बहुत कुछ काल्पनिक बातें कहीं और बड़े तर्कपूर्ण ढंग से की। अभी एक दफ़े उन्होंने कहा हरियाणा में भी कांग्रेस सरकार थी। लेकिन जब इतने बड़े प्रदेश को कांग्रेस ने बेच खाया तब कुछ नहीं कहा, हरियाणा तो इसका दसवां हिस्सा है।

श्री श्यामधर मिश्र ---

मैंने कहा वहां भी उस वक्त कांग्रेस सरकार थी और आज जनता सरकार है।

श्री अधिष्ठाता---

आप जारी रखे। साइड ट्रेक न करें।

श्री हर प्रताप सिंह ---

हम चाहते हैं कि विरोध करें तो अच्छी बात को कहें और हमे सजग करते रहें। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि बार-बार यह हमारी बात में अवरोध पैदा करते हैं और ऐसी बात कहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं।

मान्यवर, हमारा एरिया प्रतापपुर, फ़ूलपुर है, जहां से प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू चुनाव लड़ करते थे। वहां पर एक इंडस्ट्रियल कालोनी है जो कि बहुत पुरानी है जिसे कांग्रेस सरकार ने बनाया और 3 प्रतिशत पर लोगों को लोन दे रखा है और 9 यूनिट वहां पर हैं ऐसे भी लोग हैं जिनको 60-60 और 70-70 हजार रुपया दिया गया है और वह उसे लेकर दूसरा रोजगार करते हैं वह सारे यूनिट बन्द पड़े हैं। जब सरकार से पूछा जाता है कि वह कर्ज वसूल क्यों नहीं होता है तो कहा जाता है कि कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है, उनका कोई जमानतदार नहीं मिलता है। इस बात का आज तक सरकार ने कोई ख्याल नहीं किया। हमारे उद्योग मन्त्री जी ने वहां जाकर देखा था। वह वैसे ही पड़े हुए हैं। हमारे यहां एक खाद का कारखाना हड्डी से बनाने के लिये प्लान में रखा था। उसमें रोजगार दफ्तर के एक बड़े अधिकारी इलाहाबाद के हैं उनकी बीबी के नाम पर कर दिया गया जिसमें करीब दो लाख रुपये आज तक पड़ा हुआ है और वह वसूल नहीं हो पाता है। तहसीलदार साहब से हमने पूछा कि क्या कारण है कि इतना रुपया पड़ा हुआ है जिसको कि 12 साल से भी ज्यादा हो गये हैं तो कहा कि इसमें जमानतदार का कोई पता नहीं है और जो सिक्योरिटी है उसका भी पता नहीं है, मैं इसमें क्या करूं। एक और नाम से उन्होंने उसे कर दिया है। मैं नहीं जानता कि क्यों नहीं उनको पकड़ा जाता है। यह सरकार की कमजोरी है। बताया गया कि ऊपर से आता है कि कागज वापस कर दो। तो ऐसी हालत है। मैं चाहता हूं कि उद्योग मंत्री जी इसको देखें जो वहां पर कारखाना पड़ा हुआ है उसको चलाया जाय और अगर इसमें कुछ नहीं हो सकता है तो सायकिलों की इस वक्त बड़ी खपत है, अतः उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए वहां पर सायकिल का एक कारखाना सरकार की तरफ़ से लगाया जाए। वे सरकारी कारखानें हैं, जो खाली पड़े हैं। फ़ूलपुर में हमारे यहां फ़र्टिलाइजर का एक बड़ा कारखाना खोला गया है, जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उसमें सब बाहर बाहर के लोग-लेबर, ठेकेदार व नौकर रखे जा रहे हैं। शायद ही एक परसेंट वहां स्थानीय लोग हों। मैंने इनके लिए प्रयास किया, लेकिन आज तक सफ़लता नहीं मिली। मैं चाहता हूं कि इस ओर अवश्य ध्यान दिया जाये।

फ़ूलपुर, जो एक टाउन एरिया है, वहां तहसील है, थाना है, दो-दो इन्टर कालेज हैं, किन्तु वहां की हालत बड़ी गम्भीर हैं, वहां अस्पताल इतने बदतर हालत में है कि कुछ कहने को नहीं। उसमें मरीज के रहने और डाक्टर के रहने का कोई ठिकाना नहीं है। हमने पिछले कई सालों से लिख-लिख कर दिया, लेकिन सरकार का उधर ध्यान नहीं गया और यह कहा गया कि वहां पर तो विरोध पक्ष जीतता रहा है। अब स्थिति बदली है, अतः मैं चाहता हूं कि जनता सरकार इन सब बातों की तरफ़ ध्यान दे। सरकार को पूरे देश पर ध्यान देना चाहिए, वह क्षेत्र चाहे विरोध पक्ष का हो या सत्ता पक्ष का हो। से तो हर आदमी की समस्या देखनी चाहिये। समस्या तहसील की हो या जिले की हो, वह सरकार की समस्या है, व्यक्ति की नहीं, इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान उधर आकर्षित करना चाहता हूं, साथ ही साथ इस बजट का मैं अनुमोदन करता हूं, आपके माध्यम से।

श्री अधिष्ठाता--

अब श्री सुन्दरलाल दीक्षित बोलेंगे। लेकिन 10 मिनट से ज्यादा नहीं और मैं यह भी चाहूंगा कि इनके बीच में व्यवधान न डालें।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, इस सदन में जो अनुदान संबंधी कटौती का प्रस्ताव पेश है, मैं उसका समर्थन करता हूं। उद्योग मंत्री जी, आज 30 साल की दुहाई दी जा रही है, मैं न मित्रों को बताना चाहता हूं कि 30 साल के दरम्यान उद्योग धंधे निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लगाए गए, किन्तु सार्वजनिक क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में उनकी उपेक्षा की गयी। हमने जनता से वायदा किया था, लोकनायक जय प्रकाश नारायण के आह्वान पर कि उद्योग जो 30 वर्षों से पूंजीपतियों के हाथों में हैं, निजी क्षेत्रों में है, उन्हें समाप्त करके गवर्नमेंट क्षेत्रों में हम उनका विस्तार करेंगे। इसीलिये देश में बड़े पैमाने पर शासन का परिवर्तन किया गया था और जनता ने आशा की थी कि अब इस दिशा में कुछ होगा। (व्यवधान) भाषणों से, लेक्चर और तकरीर से और मोटर पर चढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको आज ठोस काम करना होगा।

उत्तर प्रदेश इतना पिछड़ा हुआ प्रदेश है, फिर भी पिछले 30 सालों में यहां का पिछड़ापन दूर नहीं किया गया, इसीलिए यह भयावह स्थिति हो गयी है। आज उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की हालत यह है कि करोड़ों लोग बेकारी के शिकार हैं, पढ़े लिखे और बेपढ़े रोजगार की तलाश में मध्य प्रदेश आदि पड़ोसी प्रदेश में बसते जा रहे हैं, अपना घर छोड़कर। उनके आगे रोजी रोटी की समस्या है। यहां जो थोड़ा बहुत उद्योग धन्धा है वह भी धनी-मानी लोगों के हाथ में है।

मजदूर कांग्रेस के राज्य में भी तड़प रहा था और आज भी तड़प रहा है। उसके बोनस का सवाल है, उसके बच्चों की तालीम का सवाल है। जिस तरीके से इमर्जेंसी में, माननीय उद्योग मंत्रीजी जानते हैं, स्वयं भुक्त भोगी हैं, मजदूरों के बोनस के मामले को लेकर या विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया गया, 18 महीने की इमर्जेंसी के बाद आप नयी जिन्दगी लाइये, नयी रोशनी देने का आप काम करें। कानपुर की मिलें बन्द हैं। गाजियाबाद और मेरठ में बोनस के मामले को लेकर मजदूरों पर प्रहार किया जा रहा है। आपकी एक भी मजदूर विरोधी नीति नहीं चलने दूंगा, सदन के बीच मैं ऐलान करता हूं। मैं उस गुरु का चेला हूं जिसने कहा है कि मजदूरों पर प्रहार करने वाले, लोगों का दमन करने वाले, ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा करने वाले को, स्वयं जनतंत्र का तकाजा है एक क्षमा भी।

श्री अधिष्ठाता--

दीक्षित जी, आपकी आवाज चेयर को साफ नहीं होती।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

मैं आपको बता देना चाहता हूं आप देहाती क्षेत्रों में छोटे-छोटे उद्योग धंधे, लघु और कुटीर उद्योग ग्राम पंचायत के स्तर पर लागू करने की दिशा में काम करें और घोषणा करें कि जो लोग छोटे-छोटे उद्योग धंधे धनाभाव के कारण नहीं लगा पा रहे हैं, उनको आप बैंकों के माध्यम से आप सहायता दिलायेंगे। जिलों में गांव वालों के उद्योग नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुन्दर लाल दीक्षित]

के बराबर हैं। उनमें अगर कोई किसान या पढ़ा-लिखा नौजवान, ग्रेजुएट है और अपनी बेकारी दूर करने के लिए उद्योग लगाना चाहता है उसके लिए ऋण की कोई व्यवस्था नहीं है। आपने ऐलान किया घोषणा-पत्र में कि आप बेकारी दूर करने के लिये काम देंगे, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, पंडित अटल बिहारी बाजपेई की वह बात न भूलें। माननीय मंत्री आप नहीं भूलेंगे, आप बड़े सूझबूझ के आदमी हैं। स्थिति बड़ी भयावह हो गयी है।

आज मजदूरों की हड़ताल पर रोक लगा दी गई है, चाहे पूर्वी क्षेत्र में हो या पश्चिमी चाहे लखनऊ में हो या कानपुर में, आप तो इमर्जेंसी की स्थिति को बदलेंगे या वैसी ही स्थिति बनाये रखेंगे। लेकिन हाहाकार मचा हुआ है। पुलिस द्वारा दमन करवा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि देश की आज बदलती हुई परिस्थितियों में जिसके लिये आपने वादा किया था, वह पूरा करें। बाराबंकी जनपद, जहां पर स्वर्गीय रफी अहमद किदवाई, डा0 राम मनोहर लोहिया और राम सेवक यादव ने जन्म लिया है वहां पर एक बहुत बड़े पूंजीपति की सोमइया मिल है, जहां पर मूल निवासियों को, पढ़े-लिखे लोगों को नौकरी में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। बाराबंकी में सूती मिल खुली हुई है। उसका प्रशिक्षण रायबरेली में हो रहा है। आज बाराबंकी जिले के पढ़े लिखे लोगों, मजदूरों को इन मिलों में कोई स्थान नहीं दिया जा रहा है। जब मैं सोशलिस्ट पार्टी में था तो एस0 के0 सोमइया का घेराव किया था। बाराबंकी के पढ़े-लिखे लोगों और मजदूरों को इन प्रतिष्ठानों में विशेषरूप से काम करने का अवसर दिया जाय, यह मैंने मांग की थी। लेकिन नहीं दिया गया।

श्रीमन्, आज मैं बाराबंकी जनपद के अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करता हूं।

जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं चुनाव जीत कर आया हूं वह बाराबंकी जिले का हैदरगढ़ क्षेत्र है। वहां पर किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है और आग्रह करता हूं कि वे क्षेत्र में कोई एक भारी उद्योग खोलें जिससे यहां पर जो नवयुवक और मजदूर बेकार पड़े हुए हैं उनको रोजगार मिल सके और वे अपनी रोटी रोजी कमा सकें और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें। इस चीज की नितान्त आवश्यकता है इसे मंत्री जी विचार करें और शीघ्र ही अमल में लावें। जनता पार्टी की सरकार से बड़ी आशायें हैं और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ी आशायें हैं और आप अपने वायदों को पूरा करने के लिये वचनबद्ध भी है। आप जनता सरकार को दिये गये वायदों को झुठलाने का प्रयास न करें नहीं तो वही हालत आपकी भी होगी जो यहां पर बैठे हुए लोगों की हुई है।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठ जाये तो अच्छा होगा।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

यह मुझे आपसे कहना है कि हमारा यह जनपद उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जनपद है और गरीबी और बेरोजगारी की समस्या है यहां पर बड़ा जटिल समस्या है। इसको सुलझाने के लिये किसी भारी उद्योग की यहां पर बड़ी आवश्यकता है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी उसको घोषणा इसी सदन में करेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

मैं समझता हूं कि दीक्षित जी के बाद हरीसिंह का भाषण हो जाये।

*श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय उद्योग मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और देवकुमार यादव जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका विरोध करता हूं। यह लोग जो कटौती का प्रस्ताव करते हैं, जिन्होंने देश का निर्माण नहीं किया, जिसके कारण गरीबी फैली।

जो पश्चिमी जिले के लोग कमाते थे वह सारे पुर्विया खा गये। अधिष्ठाता महोदय, हमारा कहना है कि हमारी जान बचाइये और प्रदेश को बांटे। हम प्रदेश का बंटवारा चाहते हैं। यह काम नहीं करना चाहते हैं और यह सारा रुपया खा गये। 10 वर्ष की स्थिति आप देख लीजिये। इसीलिये माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है। ये सिवाय कल-कारखानों में हड़ताल कराने के और कोई काम नहीं करते हैं। अधिष्ठाता महोदय, हमने शुरू से देखा है, हमें छोटे-छोटे उद्योग दिलावें, जैसा कि हरियाना और पंजाब में है और महाराष्ट्र में है, लेकिन इस प्रान्त ने घरेलू उद्योग-धन्धों में कोई उन्नति नहीं की है। क्योंकि यहां जितने भी अधिकारी हैं, सब सरमायेदार नियुक्त हुए हैं जो उद्योग-धंधे स्थापित नहीं होने देना चाहते।

श्रीमन्, मुझे बहुत खुशी है अब जो नये उद्योग मंत्री हुए हैं, वह ऐसे उद्योग मंत्री हैं, मेरे दूसरे साथी जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं, मुझे आशा है कि गांवों में छोटे-छोटे उद्योग-धंधों की स्थापना अवश्य करेंगे। परन्तु हुआ क्या? यह जो हमारे नेता सामने बैठे हैं। जो मिलों से चन्दा उगाहते हैं ये सरमायेदार कौन कम हैं। मैं मिश्रा जी से पूंछता हूं कि ये करोड़ों रुपया....

श्री अधिष्ठाता—

आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री हरी सिंह—

आप धैर्य से सुनिये। जिनके लिये बड़े-बड़े उद्योग-धंधे लगे.. (व्यवधान) इस तरह से प्रदेश में गरीबी फैल जायगी। आज आप हरिजनों के हिमायती बन रहे हैं। भूमिहीनों को जमीन देकर आपने किसानों और मजदूरों को लड़ा दिया। वह जो जमीन सरकारी थी वह न दे करके...। और कहते हैं कि हम 10 साल के अन्दर... (व्यवधान)

जहां तक मेरा अनुमान है कि औद्योगिक उन्नति जो हुई वह पूज्य पंत जी के जमाने में, डा0 सम्पूर्णनन्द जी के जमाने में चौधरी चरण सिंह के जमान में, श्री चन्द्र भानु गुप्त के जमाने में और माननीया सुचेता कृपालानी जी के जमाने में हुई। आपने कोई भी उद्योग कायम नहीं किया क्योंकि आपको फुर्सत ही कहां थी चंदा मांगने से। आज आप उन्हीं बड़े मिल-मालिकों से चंदा लेते हैं और उन्हीं को गाली देते हैं। आज कोई भी व्यापारी भ्रष्टाचारी नहीं है अगर है कोई तो ये जो अपने को सेवक कहते हैं चाहे उधर के हों, मैं आपके लोगों को ही नहीं कहता। हमारी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं। यदि आप चंदा न मांगने जायें तो भ्रष्टाचार न हो....

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय समाप्त हो रहा है। आप अपनी बात संक्षेप में कहें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरी सिंह--

मैं उद्योग मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह गांवों में जहां छोटे-छोटे उद्योग-धंधे लगायें वहां बड़े-बड़े उद्योग-धंधे लगवाने की भी व्यवस्था करें ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त ।

श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

अधिष्ठाता महोदय, माननीय उद्योग मंत्री जी ने जो अनुदान सदन में प्रस्तुत किया है, उसके विरोध में जो कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है, मान्यवर, मैं इसको सिर्फ एक संसदीय रस्म अदा कहता हूं । मैं सन् 1962 से 1967 तक जब विरोधी दल का सदस्य था और माननीया श्रीमती सुचेता कृपलानी इस सदन की सम्मानित नेता थीं जिनका हम आज भी आदर और सम्मान करते हैं । उस वक्त हम कटौती के प्रस्ताव को पूरी तैयारी के साथ रखते थे । परन्तु मुझे अफसोस है । माननीय मंत्री जी ने जितना विद्वतापूर्ण भाषण दिया है । मैं समझता हूं कि वह कोई कम बात नहीं है । उन्होंने डेढ़ महीने के समय में जबसे उनके हाथ सरकार आई है, यह जो किताब मैं पढ़ रहा हूं, इससे तो मंत्री जी का कोई ताल्लुक नहीं है । यह तो पुरानी सरकार के कार्यकलाप हैं । तो डेढ़ महीने में जो भी बात माननीय मंत्री जी ने उद्योगों की दिशा में आज यहां अपने वक्तव्य में कही है जरा मान्यवर, गंभीरता से सोचें । उधर के सदस्य जब यह कहते हैं कि सरकार की नीति खराब है, तो मुझे हंसी आती है । नीति खराब होने का सवाल नहीं है । सवाल तो यह है कि नीति कार्यान्वित कहां तक होती है ?

श्री श्यामधर मिश्र--

नीति तो खराब न होगी, जब कोई नीति है ही नहीं, तो क्या होगा ?

श्री राधे श्याम शर्मा--

नीति खराब होने का तो प्रश्न इसलिए नहीं उठता कि इस सरकार को, मैं समझता हूं कि पहले 10 दिन सदन चलाने का और 10-12 दिन अब मौका मिला है। तो नीति कहां खराब होगी ? आपकी सरकार ने 30 साल में जो किया था जैसे उद्योग लगाये थे, मेरी मंशा पुरानी सरकार से है जिनके सदस्यों ने आज सदन में कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, वे हैं । तो फिर इस बात को उठाना बिल्कुल गलत बात है । भारतवर्ष के जो उद्योग मंत्री है, मैं समझता हूं कि वे बहुत अक्लमंद आदमी हैं और भारतवर्ष के लोग ही नहीं अपितु दुनिया के लोग उनकी तारीफ करते हैं । जार्ज फरनेन्डीज जी उद्योग का जो नक्शा लाये हैं आप लोगों ने भी और विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने भी मेजे थप-थपाकर उनका स्वागत किया और कहा कि हम सारी चीजें पास करते हैं । आज प्रदेश में भी जो माननीय राम प्रकाश जी उद्योग मंत्री हैं वे जार्ज फरनेन्डीस के मुकाबले के हैं और वे उत्तर प्रदेश को प्रगति की दिशा में ले जाने के लिए बराबर सोच रहे हैं । इस समय उद्योग विभाग दोनों ही काबिल मंत्रियों के हाथ में है, इसको उधर के लोग भी मानेंगे । मैं न तो इस बात को मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में और इस प्रदेश में बड़े उद्योग लगे और न यह मानता हूं कि छोटे उद्योग लगें । दोनों में आपको सामंजस्य करना पड़ेगा । माननीय नेहरू का कहना था कि विज्ञान के कारण आज हम चांद की ओर जा रहे हैं । इसलिए हम यहां पर बड़े उद्योग लगायें। पूज्य गांधी जी का कहना था कि इस पिछड़े हुए मुल्क में हमें छोटे उद्योगों को लगाना चाहिये । तो दोनों के साथ-साथ मैं डाक्टर लोहिया और स्वर्गीय दीन दयाल उपाध्याय को जोड़ता हूं । अगर आप इन सब के विचारों को पढ़ें तो देश और प्रदेश का नक्शा साफ हो जाता है ।

मान्यवर, यों तो उत्तर प्रदेश ही पिछड़ा हुआ प्रदेश है लेकिन इसमें भी बृज का इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ है । आज मथुरा जिले में गर्मी से बड़ी ही दुर्दशा है । मैं प्रार्थना करूंगा मंत्री जी

से और नेता विरोधी दल से कि वे वहां जा कर देखें। वहां पर 12 1/2 लाख लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, वहां पर 3-3 बार गर्की हो गई, फसल चौपट हो गई लोग खानाबदोशों की तरह से घूम रहे हैं, सारा स्वाहा हो गया है। मैं समझता हूं कि सारा उत्तर प्रदेश और सारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है जिसके अन्दर उद्योग-धंधों के लागने की बड़ी आवश्यकता है। जहां पर बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, रा-मैटीरियल उपलब्ध है और टेक्नीकल लोग हैं, वहां पर बड़-बड़ उद्योग लगाये जा सकते हैं और ग्रामीण अंचलों में सुदूर देहातों में भी छोटे-छोटे उद्योग लगाये जायं। जब तक आप दोनों दिशाओं में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक प्रदेश की प्रगति नहीं हो सकती है। इधर-उधर से कहना क्या तुमने किया, क्या हमन किया, जैसा कि अब तक हुआ है, कोई काम नहीं चलने वाला है।

जनता सरकार ने जो बेरोजगारी समाप्त करने की बात कही है, उसके लिए आपका स्वागत करेंगे। इसके लिए आपको 10 वर्ष की अवधि में ज्यादा से ज्यादा काले इतिहास को बदलना होगा और प्रदेश में रोजगार के लिए साधन सम्पन्न करने पड़ेंगे, चाहे आप चमड़े का उद्योग बढ़ायें, चाहे शुगर मिल खोलें, चाहे चूड़ी के उद्योग को बढ़वा दें, चाहे बड़े-बड़े उद्योगों को बढ़ायें या छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दें और जितने भी उद्योग छोट उद्योग हो सकत ह मेरा सुझाव है कि 425 विधान सभा के क्षेत्र हैं, हर एक से एक प्रतिनिधि आया है। हर क्षेत्र में एक-एक छोटा उद्योग खुल सकता है। जिसमें 5–5–7–7 हजार नौजवान जो बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं वह लग सकेंगे। आज हाई स्कूल, इंटरमीडियेट, बी0ए0, एम0ए0 पास घूम रहे हैं, आपके हाथ में यह ताकत नहीं है कि किसी हाई स्कूल पास को चपरासी बना दें। क्योंकि नियम ऐसे बन हुये हैं। तो 425 निर्वाचन क्षेत्रों में एक-एक उद्योग धंधे खोले जायं तो 5 हजार से 10 हजार तक लड़के जो बेरोजगार हैं उनको काम मिल सकेगा और प्रत्येक के साथ 10 आदमी का परिवार होगा जो मैं समझता हूं कि हजारों परिवारों को रोजी मिल सकेगी। मिश्रा जी, मेरी बात को पसन्द कर रहे हैं कम से कम उस क्षेत्र के एक आध लोगों का गुजारा हो सकेगा।

लेकिन जहां मैं बड़े उद्योग खोलने की बात करता हूं कि उसके साथ-साथ उन सुदूर देहातों में जो छोटे-छोटे उद्योग है कहीं पर सिलाई का काम होता है हमारे गरीब क्षेत्र में लोग अंगूठी बनाने का काम करते है, दस्तकारी. का काम करते हैं। तो वह हो सकता है। डलिया बनाने का काम कहीं करघा चलाने का, चरखे चलाने का तो उन क्षेत्रों को उन उद्योगों में प्राथमिकता दी जाय, इससे मैं समझता हूं कि आपके लघु उद्योग हैवी इंडस्ट्रीज छोटी और मध्य की इंडस्ट्रीज में सामन्जस्य होगा। तभी इस प्रदेश के लोगों की बेरोजगारी दूर हो सकती है और तरक्की हो सकती है। अगर यह नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह बात बेकार हो जायगी और मामला साफ नहीं होगा।

श्री श्यामधर मिश्र—

एक प्रश्न पूछ सकता हूं बाद में तो बैठ जायेंगे।

श्री राधेश्याम शर्मा—

आप बीच में नहीं, बाद में पूछिएगा बैठूंगा नहीं।

श्री अधिष्ठाता—

आप बीच में क्रास क्वेश्चन न करें मैं इसको एलाऊ नहीं करने वाला हूं शर्मा जी, आपके 9 मिनट हो गये हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा--

दो ही मिनट में खत्म करता हूं। जहां मैंने प्रदेश और देश की दशा की बात कही है। वहां पर मैं जरा अपने निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में एक सुझाव देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक बैरौंठ गांव है, खादर के पास वहां 500 एकड़ जमीन पड़ी हुई है वन विभाग की या कृषि विभाग की और अगर वहां कोई उदयोग लगा दें तो उससे 5-7 हजार नौजवानों को काम मिल सकता है। इससे सारे प्रदेश की तरक्की होगी। यही बात मैं कहना चाहता हूं।

एक सेकेंड में..... माननीय मिश्र जी कोई सवाल पूछना चाहते थे ?

श्री श्याम धर मिश्र---

श्रीमन--मेरा एक प्रश्न है। माननीय सदस्य ने जो भाषण दिया तो बहुत सुझाव दिये गये, मालूम होता था कि 5वीं और 6ठीं पंचवर्षीय योजना पर बोल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो सुझाव दिया है वह बजट संबंधी सुझाव है तो यह बतावें कि कौन-सी मद बढ़ा दी जाय या काट दी जाय, तब तो विषय हुआ वरना यह तो 5वीं, 6 वीं योजनाओं पर भाषण हुआ ?

श्री राधेश्याम शर्मा---

घटाने वाला काम तो कटौती के प्रस्ताव का काम है और बढ़ाने का काम मंत्री जी का अनुदान मांगने का काम है। जो मंत्री जी ने अनुदान पेश किया है और जितने रुपये का उनका अनुदान है उसका मैंने पूरे तौर से समर्थन किया है। उन्होंने बड़े सोच समझ कर मांगा है। मुझे आप किसी तरह से फंसा नहीं सकते हो। मैं नियमों के आधार पर बात किया करता हूं।

श्री औसान सिंह (जिला इटावा)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का जो अवसर दिया है उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं और आपका हार्दिक अभिनन्दन करता हूं।

मान्यवर, जो विरोधी पक्ष से कटौती का प्रस्ताव आया है उसका मैं घोर विरोध करता हूं। जनता पार्टी ने जो बजट लघु उद्योगों धंधों का पेश किया है यह वास्तव में एक क्रान्तिकारी बजट है।

हमारे मित्र श्यामधर जी को आज कष्ट इसलिये हो रहा है कि इस बजट में सर्वाधिक व्यवस्था गांव के लोगों के लिये है। जिससे इनके ऐशो आराम में कमी आ सकती है। जो लघुउद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे वास्तव म गांव के किसानों की किस्मत जागेगी, गांव के बच्चों की किस्मत जागेगी, गांव की बेकारी दूर होगी। 15 फीसदी लोगों को जरूर कष्ट हो सकता है लेकिन 85 फीसदी जो प्रदेश की जनता ग्रामीण अंचलों में रहती है। उसका निश्चित रूप से भाग्य जागेगा और उसमें खुशहाली आयेगी। इस तरह की व्यवस्था कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे कर उद्योग मंत्री जी ने की है। इसलिये मैं प्रस्तुत लेखा अनुदान का समर्थन करता हूं।

मैं एक ऐसे जनपद से चुनकर आया हूं जो उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जनपद है। वहां कुटीर उद्योगों के नाम पर पिछले 30 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है और हमारे जनपद की बराबर उपेक्षा होती रही है। हैंडलूम का काम यहां सबसे ज्यादा होता है, पावर लूम का काम भी होता है। लेकिन पावर लूम ने हैंडलूम की दशा खराब कर दी है। वहां 80 पावर लूम के कारखाने अवैध रूप से चल रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इन कारखानों की जांच करके दशा सुधारी जाय और इन्हें

विशेष सुविधा प्रदान की जाय और इनका पुनर्गठन किया जाय। अगर यही दशा बनी रही तो हैंडलूम के कारीगर बेकार ही जायेंगे इनके बच्चे भूखों मरने लगेंगे। इसलिये इनकी दशा सुधारी जाय। साथ ही विधूना क्षेत्र को इस बजट में विशेष रूप से शामिल किया जाय। हमारे यहां इटावा जनपद में एक स्पिनिंग मिल है। जो मिश्र के जमाने में हमेशा बन्द पड़ी रही और आज भी उसकी बीमारी की हालत है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस मिल की ओर आकर्षित करना चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि इसकी दशा को सुधारा जाय और जो सहकारी संस्थान इसको चलाने में सक्षम नहीं है उसे हटाकर सरकार उसे अपने हाथ में लेकर उसकी दशा को सुधारे।

हमारा विधूना क्षेत्र जिले का सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहां से 50 मील की दूरी पर इटावा, फर्रुखाबाद कानपुर आदि हैं। इस साल बाढ़ के कारण यहां की दशा बहुत खराब हो गई है। एक जगह 200 परिवार बेघर बार हो गये है। वहां कुटीर उद्योग लगाना नितांत आवश्यक है। वहां हड्डी पीसने का कारखाना लगाया जा सकता है। शोरा बनाने का काम इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। अतः यहां शोरा रिफाइन करने का भी कारखाना लगाया जा सकता है। यहां भेड़ बकरियां सर्वाधिक हैं, लिहाजा कम्बल बनाने का कारखाना भी लगाया जा सकता है। दरी और कालीन बनाने का कारखाना भी इस क्षेत्र में कायम किया जा सकता है। हमारी नितियां जरुर क्रान्तिकारी हैं। और यह निश्चित रूप से ग्रामीण दिशा में क्रांति लायेगी। गांव की बेकारी को दूर करेगी और गांव में खुशहाली लायेगी। जिस तरह से कांग्रेस के शासन से ब्यूरोक्रसी चिपकी रही, आज भी लाल फीताशाही जोरों पर है इसकी मनोवृत्ति अगर हमने नहीं बदली तो हमारी भी योजनायें निश्चित रूप से कागजो पर रह जायेंगी। हमारे विधूना क्षेत्र म 5 लोंगों को खादी ग्राम्य उद्योग से लोन सैंक्शन हुआ था। इसकी फाइल आज से डेढ़-दो वर्ष पहले चलाई गयी थी डेढ़ वर्ष के बाद 6 मई, 1977 को पूरी हुई और जिला ग्राम्य उद्योग अधिकारी के यहां से 5 लोंगों के नाम एक आवश्यक सूचना जारी हुई, यह सूचना मेरे पास है। इस सूचना में यह लिखा हुआ है कि "अति आवश्यक" "तुरन्त," यह पत्र ग्रामोद्योग जिला अधिकारी, इटावा से जारी हुआ है, मई, 11977 में। 250 रुपये के ऋण व 250 रुपये अनुदान का स्वीकृति किया जाता है। इसकी आप शीघ्र पूर्ति करें।

मान्यवर, 5 महीने हो गये इसकी पूर्ति नहीं हो पायी है। इससे संबंधित अधिकारी कुछ रुपया मांग रहे हैं। इसलिये इसकी पूर्ति नहीं हो पाई है। अगर दो दो साल तक फाइलें पूरी नहीं हुई तो निश्चित रूप से ये योजनाये कागजों में बनी रह जायंगी। इस लाल फीताशाही से छुटकारा मिल जाता तो गरीब किसानों को कर्जा मिलने में आसानी हो जाती। मान्यवर, गांव का किसान 2-2 साल तक अपना पैसा खर्च करके जब परेशान हो जायेगा, तो वह निराश होकर चुप चाप बैठ जायगा। सौ-सौ बार ग्रामीण बैंक किसानों को वापस करते हैं। तरह तरह की अड़चने डालते हैं। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इसके लिये एक समय निर्धारित कर दिया जाय कि इतने समय तक फाइल पूरी हो जानी चाहिये। बैंकों से यह कह दिया जाय कि 1 महीने के अन्दर या 15 दिन के अन्दर फाइलें पूरी हो जानी चाहिये। नहीं तो मान्यवर, यह आपकी योजनायें कागजों में ही रह जायेंगी। अन्त में मैं लेखानुदान का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता----

[× × ×]

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)----

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं आपने जो मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। (व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, आप हिन्दी का प्रयोग कीजिये, तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अधिष्ठाता----

किसी तरह से व्यवधान नहीं होना चाहिये।

श्री गुलाब सेहरा :--

जैसा यह परफामेन्स बजट की किताब में दिया गया है, इसमें वह कुछ कह रहे हैं और भाषण में कुछ और कह रहे हैं। मैं एक ही बात कहूंगा कि पिछली उपलब्धियों की बात इस परफामेंस वाले बजट में उन्होंने खुद माना है कि 1975-76 में औद्योगिक तरक्की हुई। 8 से लेकर 10 प्रतिशत उत्पादन की वृद्धि हुई। 1976-77 के एण्ड में 12 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। प्रथम पचवर्षीय योजना से लेकर चौथी पंचवर्षीय योजना तक इस किताब में है और प्रशंसा की गयी पिछली उपलब्धियों की। लेकिन अपने व्यक्तिगत भाषण में उन्होंने अपनी उद्योगनीति को बदलने की बात कही। औद्योगिक नीति को बदलने की बात मेरी समझ में नहीं आयी लेकिन उनके नेता श्री चन्द्र शेखर जी ने औद्योगिक नीति को नहीं बदलने को कहा। यही विचार बाबू जगजीवन राम जी का औद्योगिक नीति के बारे में है।

मान्यवर, सूचना विभाग की ओर से एक पुस्तिका प्रकाशित हुई है, जिसमें जनतापार्टी की उत्तर प्रदेश समग्र क्रांति की दिशा में लिखा है। इसमें 3 चीजों को बड़े जोर शोर से उठाया है। ऐसे उद्योगों की स्थापना की जायेगी जिससे बेरोजगार लोग ज्यादा से ज्यादा काम पर लगायें जायं। आय के स्रोत पैदा करने के लिये लोगों को काम पर लगाया जायगा। पिछले क्षेत्रों का औद्योगीकरण करने के लिये कुछ नयी योजनायें तैयार की जायेंगी। उत्तर प्रदेश समग्र क्रांति की दिशा में, यह 3-4 चीजें दी गई हैं। तो मेरा कहना यह है कि इन बातों की बजट में घोषणा नहीं की गयी है। बजट में बिल्कुल उल्टा किया गया है। अगर आप देखें, मंत्री जी ने एक बात उठायी थी, अब आप देखें कि कितने-कितने रुपये का प्राविधान किया गया है। जो यह बजट पुस्तिका है उसके इस अंश को मैं बता देना चाहता हूं। ब्योरेवार अनुमान, इसमें मंत्री जी ने कहा है। पिछले वर्ष के शासन ने 49 लाख रुपयों का प्राविधान हाथकरघा के लिये किया था। लघु उद्योगों के बारे में। लेकिन इस सरकार ने, जो लघु उद्योग की बात कर रही है, ग्रामीण उद्योगों की बात कर रही है केवल 25 लाख रुपये का प्राविधान किया है। आधा कर दिया है। 24 लाख रुपये कम कर दिया है। अनुसंधान पर बजट में केवल 5 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इसमें और ज्यादा चाहिये। इस तरह से कथनी और करनी में मैं फ़र्क महसूस कर रहा हूं। वैसे 1 करोड़ 20 लाख रुपये लघु उद्योगों के बारे में है। लेकिन 58 जिलों में यह रुपया कितना-कितना लगेगा, लघु उद्योग कितने कारगर होंगे यह तो देखने की बात है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अपने पूरे भाषण में मंत्री जी ने हरिजनों के कोटे के आरक्षण के सम्बन्ध में कोई जिक्र नहीं किया है। एक विशेष बात मैं कहना चाहता हूं। 'राधाकृष्ण कमेटी' बनी थी हरिजनों की तरक्की के लिये। यह कमेटी 1959 में बनी थी। इसमें स्पष्ट उल्लेख था कि हरिजनों को इंडस्ट्रियल कोटा और परमिट दिये जाने चाहिये। जिससे इनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और इन लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा और समाज में

नोट:--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

इनका स्तर जो है वह ऊंचे उठेगा। तो वह बात इसमें नहीं की गई है और विभाग में आरक्षण की बात कही गई है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ निगमों का जिक्र किया गया है। आगरे में लेदर कारपोरेशन है, उसकी कार्यप्रणाली से मैं संतुष्ट नहीं हूं लेकिन एक बात जरूर महसूस करता हूं कि जो बजट में इसके लिये प्राविधान किया गया है, जूता उद्योग जिसमें अनुसूचित जाति के 1लाख व्यक्ति आगरे में लगे हुए हैं, हरिजनों के उत्थान की बात बहुत तेजी के साथ जनता पार्टी के लोग कहते हैं। मंत्री जी ने हरिजनों की तरक्की की बात कही है। पिछले साल जो रुपया रखा गया था, पिछले वर्ष कांग्रेस सरकार ने 23 लाख रुपये का प्राविधान रखा था और हरिजनों के उत्थान करने वाले लोगों की ओर से इस वर्ष केवल 12 लाख रुपया रखा गया है। तो कथनी और करनी में फर्क है। इसी प्रकार से ब्रासवेयर कारपोरेशन, मुरादाबाद की बात मैं कह रहा हूं, पिछले साल कितना रखा गया और इस साल कितना रखा गया? एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं। एक आप का उत्तर प्रदेश निर्यात निगम है। साढ़े 3 करोड़ रुपये की, उम्मीद की गई है कि आगामी वर्ष में निर्यात हो जायगा।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस निर्यात निगम की कार्य प्रणाली इतनी दूषित है कि अगर अन्य प्रान्तों के निर्यात निगम या एक्सपोर्ट हाउसेस की बात करें वह काफ़ी उन्नत है और वहां के जो इंडीविजुअल आदमी हैं उनका 3-3 करोड़ रुपये की सेल हो जाती है। इस निगम की ओर से एक्सपोर्ट के सिलसिले में कोई काम न तो पिछले साल हुआ और न आगामी वर्ष में मुझे उम्मीद है। इसलिये इसमें कम से कम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनसे सलाह ली जाय और स्टेट की तरफ़ से विदेशों में हैन्डीक्रैफ्ट के आर्डर लेने के लिये उनको बाहर भेजा जाय। इसलिये एक्सपोर्ट के मामले में विचार करना चाहिये।

मान्यवर, दूसरी बात उत्तर प्रदेश का राज्य लेदर कारपोरेशन है उसके कोआर्डिनेशन का जिक्र मंत्री जी ने अपने भाषण में नहीं किया है, जो भारत सरकार का नेशनल लेदर कारपोरेशन बना है उसका कोई संबंध है। इस पूरे बजट में, समीक्षा में और जो प्रगति है उसमें मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है, उसके साथ में लेदर कारपोरेशन का संबंध है कि नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं?

मान्यवर, तीसरी बात यह है कि पिछले वर्ष आगरा में इटली की तरह से एक चरम नगर की योजना थी। उसमें छोटे-छोटे जूते के काम करने वालों की बात थी जिसमें रा-मैटेरियल से लेकर वित्तीय सहायता और टेक्निकल असिस्टेन्स देने तक का प्राविधान था लेकिन पूरी समीक्षा में उस चरम नगर का जिक्र नहीं किया गया है। मैं चाहूंगा कि जो योजना का प्रारूप बन चुका है, जमीन भी एक्वायर कर ली गयी है, उसके सिलसिले में मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसको वह देख लें।

मान्यवर, उद्योग विभाग ने विशेष रूप से कुछ चीजों पर कम ध्यान दिया है। ग्रामीण उद्योगों के विकास की बात मंत्री जी ने की लेकिन उस मामले में अभी तक सरकार न तो स्पष्ट है और न किस तरह की सरकार सहायता देगी, किस तरह से फाइनेन्स करेगी, कैसे मार्केटिंग की व्यवस्था होगी, क्या रा-मैटेरियल देगी इन चीजों में कोई नीति स्पष्ट नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि कम से कम मंत्री जी अपने जवाब में यह नीति स्पष्ट करेंगे कि सरकार किस प्रकार की मदद देना चाहती है।

मान्यवर, आगरा में 2-3 इन्डस्ट्री की तरफ उद्योग विभाग का ध्यान नहीं गया है। आगरा के पास तांतपुर और जगनेर जो राजस्थान से लगे हैं वहां मिल स्टोन की इंडस्ट्री लगी

[श्री गुलाब सेहरा]

है। पत्थर इंडस्ट्री में लगभग 10–15 हजार मजदूर लगे रहते हैं। लेकिन उद्योग विभाग ने उसमें कोई सर्वे नहीं किया है। तांतपुर और जगनेर में मिल स्टोन और जालियां बनाने का काम होता है। पत्थर चक्की के पार्ट बनाने के काम आते हैं। चक्की के पार्ट मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान को एक्सपोर्ट होते हैं। इसलिये वहां इसका बड़ा स्कोप है। इस पर ध्यान देना चाहिये।

मान्यवर, दूसरी इंडस्ट्री आगरा में दरी की है। फ़तेहपुर सीकरी में लोग इस धंधे में लगे हुए हैं। उनका शोषण हो रहा है। कताई की बात करते हैं तो वहां ज्वाइन्ट सेक्टर में इंडस्ट्री खोलना चाहिये। यदि वहां न हो सके तो जोन्स मिल में खोली जा सकती है चाहे कोआपरेटिव सेक्टर में हो या ज्वाइन्ट सेक्टर में जिससे जो लोग दरी बनाते हैं उनका शोषण न हो और कच्चा माल तथा मार्केटिंग की सुविधा भी होनी चाहिये क्योंकि उनकी बिक्री की समस्या बहुत बड़ी है।

मान्यवर, फ़िरोजाबाद में ग्लास की इंडस्ट्री होने के बाद आज तक वहां कोई रिसर्च इन्स्टीट्यूट और ट्रेनिंग सेन्टर नहीं खुला है। मजदूर जो काम करते हैं उनकी समस्या है। स्किल्ड लेबर की कमी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए सरकार की ओर से वहां ग्लास फैक्टरी के लिये प्रशिक्षण देने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे जो लेबर कम होता जा रहा है, वह न हो। मेरा निवेदन है कि रिसर्च सेन्टर और ट्रेनिंग सेन्टर की व्यवस्था की जानी चाहिए। अन्त में मैं एक निवेदन और करूंगा कि हमारे यहां डीजल इंजिन की इंडस्ट्री है। छोटे-छोटे पार्टस लोग अपने घरों में और छोटी फैक्टरियों में बनाते हैं और बड़ी फ़ैक्टरियां में उनका असेम्बलिंग होता है। इससे उन छोटे लोगों का बड़ा शोषण किया जाता है। इस ओर भी सरकार को कोई कदम उठाना चाहिये। इसी तरह से निवाड़, तेल और दाल उद्योग की बात है। आपने औद्योगिक नीति को स्पष्ट नहीं किया है और इतना ही नहीं जो बजट में प्राविधान किये हैं उनसे आप की कथनी और करनी का अन्तर जाहिर होता है। इसलिए आप की अस्पष्ट नीति होने के कारण मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश––

आपने मुझे समय दिया, मैं आपका आभारी हूं। लेकिन अपनी बात कहने के पहले मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। जो हमको नियमावली की पुस्तक दी गयी है उसके पृष्ठ 76 अध्याय 20 में लिखा है कि संविधान के उपबन्धों के अधीन सदन का कार्य हिन्दी और देवनागरी लिपि में होगा। लेकिन आपने गुलाब सेहरा को मिस्टर गुलाब सेहरा के नाम से सम्बोधित किया और मुझे भी आपने मिस्टर शतरुद्ध प्रकाश के नाम से बुलाया। या तो आप अपने शब्दों को वापस लें या कार्यवाही से उनको हटवा दें। यह मान्यवर, आपके लिये ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में किसी भी माननीय सदस्य को मिस्टर या मिसेज के नाम से न पुकारा जाय इसलिये मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता––

मैं माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करता हूं और अगर कहीं मिस्टर शब्द लिखा है तो उसे हटा दिया जाय।

श्री शतरुद्ध प्रकाश––

मैं माननीय उद्योग मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट अनुदान का समर्थन करता हूं और इसमें किसी भी तरह की कटौती का विरोध करता हूं। मान्यवर, 1977 में अप्रैल और जून तीन महीनों के अन्दर .....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

अप्रैल और जून भी अंग्रेजी शब्द हैं ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मैं इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं । आप अपनी व्यवस्था दीजियेगा । अंग्रेजी में एक पत्रिका निकलती है 'इंडिया क्वार्टरली' । हम लोगों की कमजोरी है कि हम अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन जिस पीठ पर आप बैठे हैं वहां से अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिये । इस पत्रिका में यह साफ लिखा है कि दुनिया में 50 बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया पर राज्य कर रही है और ये कम्पनियां हिन्दुस्तान में भी अपनी ताकत बढ़ा रही हैं । जो लोग महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी की आर्थिक नीति औद्योगिक नीति बताते हैं मैं उन से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी होते तो इस तरह से कम्पनियों का और उद्योग का उपनिवेश का उदय अपने देश में नहीं हुआ होता । यहां पर उत्पादन के काम में कमी हो रही है उपभोग के कारखाने और उपभोग के उद्योग बड़े पैमाने पर हैं ।जितनी भी कम्पनियां यहां पर चल रही हैं बड़े-बड़े उद्योग चल रहे हैं उन में हिन्दुस्तान के साधारण आदमी को शिरकत करने का मौका नहीं मिल रहा है । जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है वहां उद्योग के मामले में अभी बहुत तरक्की नहीं हो पायी है । पिछले तीस साल से बड़े उद्योगों को झगड़े में फंसा कर पिछली सरकार ने जितनी बड़ी भूल की है आने वाले दिनों में यह स्थिति बहुत स्पष्ट हो जायगी ।

श्रीमन्, मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि 1976 तक पूरे देश में करीब 10 लाख आदमी उद्योग में लगे हुए हैं जबकि प्रति वर्ष 45 लाख लोगों की बेरोजगारी के रूप में फौज सामने आ जाती है । खेती से भी करीब 30 लाख लोग रोजगार प्राप्त करते हैं उद्योगों के रूप में बदल कर के । मान्यवर, इतनी बड़ी तादाद में जो बेरोजगारी की फौज हो रही है बड़े-बड़े कारखाने के जरिये, बड़े-बड़े उद्योगों के जरिये तो किसी भी तरह से बेरोजगारी की समस्या.....

श्री श्याम धर मिश्र--

दस लाख की संख्या कहां से ले आये । सात लाख तो कपड़े के मिलों में लगे हुए हैं । मैं जानना चाहता हूं ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, जो रोजगार उद्योग के जरिये मिल रहा है सरकारी या निजी क्षेत्र में इस सब को मिला कर करीब एक करोड़ से ज्यादा नहीं आता है । सरकारी कर्मचारी और प्रशासन की बात मैं नहीं कर रहा हूं । अभी मैंने सचिवालय के पुस्तकालय में एक किताब देखी, उसका नाम नहीं बताऊंगा जिसमें रिजर्व बैंक की रिपोर्ट भी शामिल है ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि खेती के रोजगार को जोड़ कर देखें, उद्योग के रोजगार को जोड़ कर देखें तो उत्तर प्रदेश का विकास बहुत जल्दी हो सकता है । मान्यवर, जहां तक मेरी राय है उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल है जो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है वह है बनारस और गोरखपुर मण्डल । यहां पर न तो उद्योग को प्राथमिकता दी गयी है, न खेती को । लेकिन मान्यवर, मैं मन्त्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पूर्वांचल के मिर्जापुर जिले में ऐसे खनिज पदार्थ हैं जिनका यदि भू-गर्भीय सर्वेक्षण कराया जाय तो बड़े पैमाने पर पूर्वांचल की आर्थिक

[श्री शतरुद्ध प्रकाश,]

समस्या हल हो सकती है । इसी तरह वाराणसी में वाराणसी की साड़ियों का उद्योग है, बुनकरों के हाथ से बुनी हुई साड़ी, लकड़ी के खिलौने आदि इनको बढ़ावा दिया जाय । बनारस की जरी उद्योग बहुत मशहूर है । यदि इस उद्योग को विकसित किया जाय तो काफी लोगों को रोजगार मिल सकता है और जो वहां का परम्परागत उद्योग है वह भी कायम रह सकता है ।

माननीय मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि बड़े-बड़े उद्योगों को हटा कर छोटे-छोटे उद्योगों को, कुटीर उद्योगों का विकास करने में आने वाले दिनों में बहुत से लोगों को रोजगार मिल पायेगा क्योंकि मान्यवर, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है और इसके क्षेत्रफल के हिसाब से भी यहां पर छोटे-छोटे उद्योग सही साबित होंगे पिछले 30 सालों में और इधर 2, 3 महीनों में हड़तालों तथा सत्याग्रह काफी बड़े पैमाने पर हुए हैं । तीन-चार दिन पहले 'स्वतंत्र भारत' में एक लेख निकला था जिसमें यह बतलाया गया था कि तीन महीनों में जो हड़तालें हुई हैं उनमें 42 लाख श्रमिक दिवस का नुक्सान हुआ है और यदि उसका मूल्य निकाला जाय तो 40करोड़ रुपये के उत्पादन का नुक्सान हुआ है । मैं श्रमिकों को दोष देने के पक्ष में नहीं हूं । बल्कि जो मिल मालिक तथा मिलों का ढांचा रहा है वह इस कदर गैर जनतांत्रिक रहा है जिसके कारण उनमें जबरदस्त असंतोष पैदा हुआ है । इसके लिये मेरा सुझाव है कि कारखानों में, उद्योगों तथा मिलों में श्रमिकों को साझेदारी दिलाई जाय, उनके कार्य संचालन में श्रमिकों को हिस्सेदारी दी जाय ताकि मिलों को चलाने का दायित्व केवल मालिकों के हाथ में न हो बल्कि श्रमिक भी उसमें बराबर की हिस्सेदारी ले सकें ।

इसके अलावा जो प्रदेश का पूर्वांचल है वह बहुत पिछड़ा हुआ है । उत्तर प्रदेश की जहां औसत आय प्रति व्यक्ति प्रति दिन 36 पैसे पड़ती है वहां पूर्वांचल की अलग से औसत आय निकाली जाय तो वह 30 पैसे से भी कम आयेगी । अब जिस क्षेत्र की औसत आय 30 पैसे से भी कम हो उसका सर्वेक्षण कराने के लिये विकास हेतु एक पूर्वांचल विकास परिषद् की स्थापना की जाय और वह परिषद् इसका सर्वेक्षण कराये कि पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास कैसे हो सकता है? उसकी सिफारिशों को सरकार फिर कार्यान्वित करे ।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिये सड़कों को पक्का कराया जाय, बिजली के संकट को दूर किया जाय, कोयले की कमी को दूर किया जाय । कोई भी उद्योग सड़कों, बिजली तथा कोयले के अभाव में नहीं पनप सकता। जब तक उत्तर प्रदेश में बिजली, कोयले की कमी की समस्या का समाधान नहीं होगा और सड़कों को पक्का नहीं कराया जायगा परिवहन की समस्या को हल नहीं किया जायगा तब तक मैं नहीं समझ सकता कि उद्योगों का विकास हो सकेगा । इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री श्यामधर मिश्र--

माननीय सदस्य देखेंगे स्टेटिस्टिकल डायरी, 76 में पृष्ठ 45 पर यह छपा है कि केवल उत्तर प्रदेश में 4 लाख आदमी फैक्टरीज में काम कर रहे हैं जो 5, 6 परसेंट एवरेज है, वर्कर्स का । इस तरह 95 फीसदी और जगहों में हैं । लिहाजा उनके दिये हुए फीगर्स गलत हैं ।

*डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)---

मान्यवर, मैं उद्योग मन्त्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने जो नीति निर्देशक संबंधी वक्तव्य उद्योगों के बारे में दिया, वह सराहनीय है और अपनी उस विचारधारा के आधार पर जो उन्होंने 4, 5 प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं वे निश्चित रूप से सर्वमान्य होंगे । उद्योग मन्त्री ने अपने वक्तव्य में जहां यह स्वीकार किया है कि हरिजनों तथा भूमिहीनों के लिये वह सहकारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समितियां बनाने जा रहे हैं वहां पर मैं उनको यह सुझाव भी दूंगा कि यूथ इन्वाल्वमेंट के नाम पर जो नौजवान टेक्निकल शिक्षा प्राप्त किये हुए हैं अथवा प्राविधिक शिक्षा प्राप्त किये हुए हैं उनके लिये भी इस प्रकार की सहकारी समितियों की व्यवस्था की जाय और जो मानदंड उन्होंने निश्चित किया है उसमें इन नौजवानों को भी सम्मिलित करने की कृपा की जाय और इन नौजवानों को अगर यह सुविधा प्रदान की जायगी तो प्रदेश में जो छात्र असंतोष बढ़ता जा रहा है, वह दूर किया जा सकेगा।

इसके साथ-साथ जहां पर हमारे उद्योग मन्त्री जी ने सुझाव दिये हैं उद्योगों के सम्बन्ध में, वहीं पर मैं इस पुस्तिका की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जहां आपने उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए जिलों की लिस्ट में 39 जिले रक्खे हैं उसमें कानपुर के लिए भी घोषणा करें क्योंकि आप जब कानपुर गये थे तो इस बात को माना था। कानपुर में भी बहुत से भाग अभी पिछड़े हुए हैं उनको भी पिछड़े हुए क्षेत्र में सम्मिलित करना चाहिये और जो प्रस्ताव आप केन्द्र सरकार के पास पिछड़े हुए क्षेत्रों के बारे में पास कर भेजने वाले हैं जिसमें कि 5 प्रकार की सुविधायें मिलती हैं वह कानपुर को भी मिलें, कानपुर उद्योगों के मामले में पिछड़ा है वहां ऐसे हिस्से हैं जिनके बारे में आपको मालूम है। मैं इसमें आपको इतिहास नहीं बताना चाहता हूं। वहां पर चाहे लघु उद्योग हो, चाहे बड़े उद्योग हों या मध्यम उद्योग हों उनके सम्बन्ध में आप को मालूम है। वहां पर तीन-चार सौ यूनिट्स रजिस्टर्ड हैं लेकिन 3, 4 ही चल रहे हैं।

दूसरा सुझाव मेरा जो है उस पर आप जरूर गौर फरमायें। जहां हमारे केन्द्रीय उद्योग मंत्री ने घोषणा की है कि 10 वर्ष के अंदर 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो मैं चाहता था कि इस तरह की कोई बात आप भी कहते कि कितने लोगों को जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दे सकेंगे। इस वक्त हमारे यहां बेरोजगारों की संख्या एक करोड़ से कम नहीं है। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि कुछ लोगों को इसमें लगा कर जानने की कोशिश की जाती कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप रोजगार दे सकेंगे। बेरोजगारी के बारे में आज तमाम चर्चायें होती हैं कितने ही लोग रहने के स्तर से नीचे जीवन बिता रहे हैं। तो इसका एक ब्लू प्रिंट तैयार करके एक मास्टर प्लान इंडस्ट्री के लिए तैयार करते। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां लघु, मध्यम और बड़े सभी उद्योगों की जरूरत है। इसलिए इनमें एक इंटिग्रेशन स्थापित करते हुए एक प्लान बनाने की आवश्यकता है कि किस प्रकार कितने बेरोजगारों को हम इनमें काम दे सकते हैं। जो तमाम बेरोजगार हैं उनको कैसे काम दिया जा सकता है क्योंकि आपका मुख्य उद्देश्य बेरोजगारों को रोजगार देना है। इस दृष्टि से आप एक मास्टर प्लान तैयार करवाते जिससे हम आश्वस्त होते कि 10 लाख या कितने व्यक्तियों को आप रोजगार देंगे।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। जनता पार्टी के घोषणा पत्र में लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कानूनी संरक्षण देने का बचन दिया है। तो यह जो कानूनी संरक्षण प्रदान करने की बात है यह किस प्रकार देंगे इसको भी आप नोट कर लें और जब उत्तर दें तो बता दें कि किस प्रकार का कानूनी संरक्षण प्रदान करेंगे जिससे बड़ी मछली छोटी मछली को न खा जाय।

इसके साथ-साथ आप प्रोडक्टिविटी काउंसिल से तमाम जो यहां की संस्थायें हैं जिनका मुख्य उद्देश्य इस प्रदेश की उत्पादकता को बढ़ाना है उनकी जांच करवायें कि इनकी उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसको भी आप नोट कर लें। मैं अपने भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं कि जो यह कहा गया है कि मांग को घटा कर एक रुपया कर दिया जाय तो

[डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश']

इससे तो उद्योगीकरण होगा नहीं उससे तो आप बाहर जाकर मुझे चाय ही पिला सकेंगे। मैं समझता हूं कि वह परम्परागत बात है जिसको उन्होंने रखा है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाय। आप प्रोडक्टिविटी कांउसिल के माध्यम से इस बात की जांच करायें कि किस तरह से उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है।

श्री अधिष्ठाता--

आप एक मिनट में समाप्त करें।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

मैं कोशिश करूंगा तीन मिनट में समाप्त करूं। मैं तो केवल सुझाव ही दे रहा हूं। हमारी उत्पादकता कम है। चाहे उद्योगों की हो या हमारी हो हमारी भी कम है एम0 एल0 एज0 और एम0 एल0 सीज0 और मिनिस्टरों की भी कम है और सरकार की भी कम है। तो प्रोडक्टिविटी काउंसिल के माध्यम से हमारी उत्पादकता किस प्रकार बढ़ सकती है इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।

इसके साथ-साथ हमारे यहां जो कुछ पूंजी का केन्द्रीयकरण हो रहा है उसकी तरफ भी ध्यान जाना चाहिये। कुछ बड़े-बड़े उद्योग हैं मिर्जापुर में भी मैंने देखा, 1967 में मैं वहां से आया था। जहां बड़े उद्योग हैं उसके सहारे और इंडस्ट्रियल स्टेट कायम हो सकें इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। अगर 4, 5 सौ उद्योग बड़े उद्योग के सहारे लग जायं तो यह बड़ी बात हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है जो उस दिशा में हमें ले जा रही है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

उधर के दो हो गये हैं, अब इधर के सदस्य को आप मौका दें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठिए, मैंने हरपाल शास्त्री को बुला लिया है, उन्हें बोलने दीजिये, सब ठीक चल रहा है।

श्री देव बहादुर सिंह--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है सत्तापक्ष का दो और विरोध पक्ष का एक-एक बोलने की बात है, उधर के दो पूरे हो गये, अब एक इधर का बोलना चाहिये।

(व्यवधान)

*श्री हरिपाल सिंह शास्त्री (जिला बिजनौर)--

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और उद्योग मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है, उसका समर्थन करते हुए मंत्री जी ने जो कहा है कि इस देश में और प्रदेश में जो बेरोजगार हैं, उनको काम मिलना चाहिये, उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं कहना चाहता हूं जैसा पहले भी कहा है कि आप जापान का इतिहास उठाकर देखिए, उन्होंने छोटे उद्योग से ही प्रगति की है। उनसे जब पूछा गया कि इस देश में कैसे लोगों की आमदनी बढ़ती है, तो उन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कुटीर उद्योग में काम करते हैं और इंडस्ट्री लगाते हैं, जिससे उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, जब कि दूसरे व्यापार और धन्धों में लगे हुए लोगों के द्वारा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आमदनी कम होती है । उसी तरह मंत्री जी ने कहा है कि छोटे-छोटे उद्योग धन्धे लगने चाहिये, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

सन् 69 में जब कांग्रेसी सरकार थी यह कानून बनाया गया था कि छोटे-छोटे उद्योग धन्धे स्थापित किये जायें और साथ ही खांडसारी की परम्परा स्थापित की जाए । गन्ने का उत्पादन काफी हो रहा था उसे यूटीलाईज करने के लिए खांडसारी यूनिट्स की व्यवस्था की गयी थी । जब चौधरी चरण सिंह इस प्रदेश के मुख्य मंत्री बने थे 67 से 69 के बीच में उन्होंने इस प्रदेश में गन्ने की समस्या हल करने के लिये फ्री लाइसेंस प्रथा चालू कर दी थी । उन्होंने यह योजना चलाई थी कि कोई भी व्यक्ति किसी फैक्टरी के 10 मील के बाहर अपना क्रशर लगा सकता है उस समय उनके प्रयास से इस प्रदेश में 6 हजार से अधिक क्रेशर्स स्थापित हो गये थे । उनके हटते ही आगे की सरकारों की नीति बदलती रही और उन्होंने इस ओर से अपनी उदासीनता प्रकट की जिससे जो क्रैशर्स की इकाइयां थीं वह निरन्तर घटती चली गई । नतीजा यह हुआ कि ये इकाइयां सन् 75-76 में घट कर 4077 रह गयीं और 76-77 में 3045 रह गयीं और यह बराबर घटती चली जा रही हैं, सन् 77-78 में ये और भी अधिक मात्रा में कम हो जायेंगी । गन्ने का उत्पादन जब कि बढ़ रहा है, इनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये था, सन् 75-76 में गन्ने का उत्पादन 503 लाख टन हुआ था और वह 76-77 में बढ़कर 536 लाख टन हो गया है । क्रैशर्स इकाइयों की संख्या बराबर गिरती चली गई है यह सरकार की दोषपूर्ण नीतियों से हुआ है कि उसने कांग्रेसी सरकार से इन पर चौगुना परचेज टैक्स और पांच गना एक्साइज ड्यूटी कर दिया है । इसका नतीजा यह है कि छोटे-छोटे क्रशर्स अपने आप खत्म होते जा रहे हैं । बड़े हायड्रोलेटिक प्लान्ट तो अवश्य पनपे हैं लेकिन नान-हायड्रोलेटिक प्लान्ट समाप्त होते जा रहे हैं क्योंकि उन पर टैक्स बराबर बढ़ता जा रहा है । गन्ने का कुल उत्पादन का 1/3 भाग बड़ी-बड़ी मिल वाले पेरतें हैं और 2/3 भाग क्रशर्स वाले पेरते हैं । जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल 10-15 प्रतिशत गन्ना ही मिल वाले पेरते हैं और शेष गन्ना छोटे-छोटे प्राइवेट क्रैशर वाले पेरते हैं । अतः पूरे उत्तर प्रदेश में और खास कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये टैक्स इन पर से कम करके या खत्म करके इन छोटी-छोटी इकाइयों को प्रोत्साहन देने की नितान्त आवश्यकता है । सरकार इस पर पूरा ध्यान दे ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं अपने निर्वाचन क्षेत्र की जहां से मैं चुनकर आता हूं यानी जिला बिजनौर के धामपुर की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसके नगीना क्षेत्र में आबनूस की बड़ी पैदावार है अतः उसकी कंघी व छड़ी बनाने के कारखाने उस क्षेत्र में स्थापित किये जाने चाहिये । सरकार इसकी वहां के विकास के लिए व्यवस्था करे ।

(इस समय 3 बज कर 52 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, बिजनौर जिले की समस्या के बारे में मैं यह बतलाना चाहता हूं कि 900 से अधिक क्रैशर्स घट कर 560 रह गये हैं । आज खोई का उचित उपयोग नहीं होता है । अगर खोई का उपयोग गत्ता और पेपर मिलों में किया जाय तो जिला बिजनौर की बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो जायेगी । मैं एक बात की ओर और ध्यान आकिषत करना चाहता हूं । हमारे जिले में शीरा का इतना उत्पादन हो रहा है कि वह 6 रुपये से 12 रुपये तक बिक रहा है और उसका मूल्य दिन पर दिन गिर रहा है । यदि शीरे का सदुपयोग किया जाय और जिला बिजनौर के अन्दर से बेरोजगारी को दूर करने के लिए इस प्रकार के घरेलू उद्योग धंधे स्थापित किये जायं तो वहां की बेरोजगारी दूर हो जायगी । जो नीति उद्योग मंत्री ने अपने

[श्री हरिपाल सिंह शास्त्री]

प्रदेश में छोटे-छोटे उद्योगों को स्थापित करने की घोषित की है मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रदेश में ही नहीं सारे देश में अगर लोगों को काम देना है तो, बेरोजगारी मिटानी है, तो काटेज इंडस्टीज को खोलना पड़ेगा। जो नीति माननीय मंत्री ने इस प्रदेश में छोटे उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए प्रस्तुत की है उसका मैं अभिनन्दन करता हूं और इस प्रदेश की जनता की आशा और विश्वास के साथ उद्योग मंत्री और जनता सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। आपके माध्यम से उद्योग मंत्री की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि यहां छोटे उद्योगों की स्थापना की जायगी तो इस प्रदेश में बेरोजगारी और भुखमरी की स्थिति समाप्त हो जायगी।

श्री अध्यक्ष---

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) अब समय नहीं है। अब देव कुमार जी को बुलाना होगा। चार बज चुका है। आप लोग बैठिये। देखिए चार बज चुका है। पहिले जिन्होंने कटमोशन पेश किया है उनको उत्तर देना है। बाद में माननीय उद्योग मंत्री को उत्तर देना है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

पांच-पांच मिनट दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष---

कितने बजे तक आप चाहते हैं कि सदन चले ?

श्री रियासत हुसैन---

15-20 मिनट बढ़ा लीजिये।

एक सदस्य---

एक घंटा बढ़ा लीजिये।

श्री श्यामधर मिश्र---

माननीय मंत्री जी ने काफ़ी विस्तारपूर्वक बातें कहीं, इसमें एक घंटा समय लग गया। काफ़ी माननीय सदस्य दोनों तरफ़ के बोलना चाहते हैं। इसलिये आवश्यक हो गया है कि 15-20 मिनट नहीं, कम से कम एक घंटे का समय बढ़ा दें, दस और बोल लेंगे और लोगों को संतोष हो जायगा।

*श्री रियासत हुसैन---

माननीय अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा लम्बा समय नहीं लूंगा। सिर्फ़ एक प्वाइंट के आधार पर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करूंगा। मैं यह मानकर चलता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है यह वक्त से पहले कर दिया है। अच्छा होता कि इसको माननीय मंत्री जी केवल इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा मांग लेते और 28 करोड़ की मांग न मांगते। बाकी मांग जो है वह सप्लीमेंटरी, रिवाइज्ड बजट के समय रखते। यह बात इसलिए कह रहा हूं कि उद्योग विषय ऐसा विषय है जो नीति से ताल्लुक रखता है और जनता पार्टी की नीति उद्योग के सिलसिले में अभी तक तय नहीं हो पायी है। केन्द्र में आप

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देखें कि चन्द्र शेखर जी क्या कहते हैं, प्रधान मंत्री जी क्या कहते हैं और जगजीवन बाबू क्या कहते हैं और इसी तरह से गणेश दत्त बाजपेयी क्या कहते हैं और हमारे उद्योग मंत्री जी क्या कहते हैं ? अभी तक उद्योग के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित नहीं हो पायी है। जो किताब छपी है उसमें वही नीति दिखायी पड़ती है जो अभी तक कांग्रेस सरकार की थी। यह कहा जाता था कि टाटा और बिड़ला के प्रतिनिधि मोरार जी हैं और अब वही मोरार जी प्रधान मंत्री बने हुए हैं। आप देखें कि जार्ज फ़र्नान्डीज क्या कहते हैं और नानाजी जी देशमुख क्या कहते हैं ? इस देश की औद्योगिक नीति अभी तक निश्चित नहीं हो पायी है।

(श्री मान सिंह आजाद के खड़े होकर कुछ कहने पर।)

श्री अध्यक्ष--

मान सिंह जी ! बीच में टिप्पणी न करें आप।

श्री रियासत हुसैन--

औद्योगिक नीति की कमी के कारण हमारे प्रदेश की बराबर उपेक्षा हुई है। मैं चाहता हूं कि जब तक यह सरकार अपनी औद्योगिक नीति को निश्चित न कर ले तब तक जो यह अनुदान पेश किया गया है वह समय से पहले है। इस समय तो माननीय मंत्री जी केवल इस्टेब्लिशमेंट से संबंधित खर्चा के अनुदान को पास करा लेते और जब उनकी औद्योगिक नीति तय हो जाती तो उसी के अनुरूप सप्लीमेंटरी बजट जब आता तो इसको पास कराते। यह जो अनुदान पेश किया गया है यह समय से पहले है। इसी प्वाइन्ट को लेकर मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हरिचरण यादव (जिला सुल्तानपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान का प्रस्ताव पेश किया है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और जो विरोध पक्ष की ओर से कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका विरोध करता हूं। उद्योग नीति के विषय में कहा जाता है कि जनता पार्टी की कोई नीति नहीं है, यह कहना बिलकुल निर्मूल है, जनता पार्टी की नीति उद्योगों को प्रोत्साहन देना है। जनता पार्टी गांव के विकास की ओर ध्यान दे रही है, जब यह कहा गया, तो माननीय सदस्य उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। गांव में टाटा, बिड़ला और डालमिया के उत्थान की बात नहीं है, गांवों में भूमिहीन और मजदूरों के उत्थान की बात है। जहां तक कुटीर उद्योग धन्धे खोलने की बात है तो मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इनको प्राथमिकता दी जाये। जो लोग भूमिहीन हैं उनको कुटीर उद्योगों में लगाया जाये। और जमीन अगर बांटनी है तो इस इस प्रकार बंटवारा किया जाये कि एक परिवार के लोग खेती पर निर्भर रह सकें। जो खेती पर निर्भर नहीं कर सकते हैं, उनको उद्योग धन्धों में लगाया जाये। जिससे आशा है कि भूमिहीनों का हित हो सकेगा। कांग्रेस ने भूमिहीनों की बात की। भूमिहीनों को सवा चार बिसवा तक पट्टा दिया। आशा है कि भूमिहीनों को इस संबंध में प्राथमिकता दी जायेगी।

मान्यवर, सुल्तानपुर जनपद में जब कि लोक सभा के चुनाव होने वाले थे, जगदीशपुर इंडस्ट्रियल स्टेट की स्थापना हुई थी और उसका इस पुस्तिका में भी जिक्र है जो हम को मिली हुई है, सूची में दिये गये उद्योगों के लिये पांच लाख रुपये की व्यवस्था की गई है मैं समझता हूं कि कम से कम सुल्तानपुर जिले के उस हिस्से में जो इतना बड़ा स्टेट बन रहा है, उसके लिये कम से कम 15 लाख रुपये के अनुदान की व्यवस्था होनी चाहिये थी जिससे

[श्री हरिचरण यादव]

वहां का पूर्ण रूप से विकास हो सके। पिछली सरकार ने चाहे जिस दृष्टिकोण से यहां का विकास शुरू किया गया था, वह इस पिछड़े इलाके के लिये वरदान ही था, उसे पूरा होना चाहिये।

इसी तरह से सुल्तानपुर जिले के देहात अमेठी और प्रतापगढ़ जिले में पट्टी नामक क्षेत्र में टाट-पट्टी का काम होता है। टाट-पट्टी का काम जिस प्रकार से कालीनों का काम भदोही में होता है उसी प्रकार से अमेठी और प्रतापगढ़ जिले के पट्टी नामक स्थान में भी टाट-पट्टी का कार्य हो सकता है और वहां के जो छोटे-छोटे किसान खेती के बाद 6-6 माह वर्ष में बेकार रहते हैं, वहां काम कर सकते हैं। वे अपने खेतों में सनई बो हैं। उनको सुविधा दी जाये उनकी टाट-पट्टी को खरीदने की सरकार व्यवस्था करे। इन टाट-पट्टियों की खपत पाठशालाओं में हो सकती है। वहां रेलवे लाइन भी है, जिससे तैयार माल बाहर भी भेजा जा सकता है। अतः मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस ओर अवश्य ध्यान देने की कृपा करें।

इसी तरह से मान्यवर, सुल्तानपुर जिले में बंधुवा नामक एक स्थान है जहां बर्तन बनाने का काम होता है जो दूसरे जिलों में भेजे जाते हैं, मैं चाहता हूं कि वहां भी छोटे-छोटे उद्योग धन्धों का विकास हो। इस तरह से इन तमाम छोटे-छोटे उद्योग धन्धों का विकास करने से मेरे विचारों में प्रदेश की आर्थिक उन्नति अवश्य होगी। बड़े-बड़े उद्योगों के पीछे पहले सरकार भागती रही, परिणाम यह हुआ गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी और लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो पाई।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया अब समाप्त करें।

श्री हरिचरण यादव --

इस प्रकार से मैं माननीय उद्योग मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान की मांग का समर्थन करता हूं।

*श्री राजेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर) --

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान पर प्रस्तुत किये गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के खड़ा हुआ हूं। कटौती का प्रस्ताव माननीय देव कुमार जी ने रखा था। मैंने बड़े ध्यान से उनका भाषण सुना। मैं समझता था कि वह कोई बड़ी ही क्रियाशील और सक्रिय सूचना देंगे परन्तु यह जानकर बड़ी निराशा हुई कि वे मात्र आलोचना के लिये आलोचना करते रहे।

उन्होंने एक बात यह कही कि जनता पार्टी के खिलाफ आरोप लगाया कि बिड़ला जी को हिन्डालको को सस्ती दर पर बिजली दी जा रही है और साथ में वह यह भूल गये कि वह करार जो कल तक यही लोग जो उनके साथ बैठकर सरकार चलाते थे, उन्होंने उनके साथ किया था। वह यह भी भूल गये कि जनता पार्टी ने अपनी सरकार के बनने के प्रारम्भिक दिनों में ही हिन्डालको को दी जाने वाली बिजली की मात्रा में तुरन्त कटौती की। वह यह भूल गये कि बोनस के प्रश्न पर जिस पर श्रमिक वर्ग में असंतोष था, वे हड़ताल पर थे, उनको बोनस दिलाने का काम जनता पार्टी की सरकार ने ही किया और उस पर उनकी सरकार पर श्रमिक विरोधी होने का आरोप लगाना, पता नहीं इसके पीछे कौन सी बात उनके दिमाग में काम कर रही है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, अभी मैं माननीय रियासत हुसैन जी के भाषण को सुन रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता पार्टी की नीति स्पष्ट नहीं है। लेकिन इधर से नीति को स्पष्ट किया जा सकता है, तर्क भी दिए जा सकते हैं लेकिन उनको समझने के लिए अक्ल कहां से दी जा सकती है?

इधर से बोलने वाले एक माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया कि यह बजट ऐसा है, जिसमें हरिजनों की चिन्ता नहीं की गई है। मान्यवर, जो इन बातों की आलोचना कर रहे हैं उनके कार्यकलापों का एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं जिसमें एक पैसे के खर्च की जरूरत नहीं थी। मान्यवर, मेरे पास उद्योग विभाग का एक संक्षिप्त विवरण है, जो 1-11-76 तक का है और जिसकी जिम्मेदारी माननीय तिवारी जी की थी। उद्योग निदेशालय में द्वितीय श्रेणी में हरिजनों की संख्या 141 में केवल मात्र 4 थी। प्रथम श्रेणी में तो कोई हरिजन नहीं था। यह बहुत लम्बी सूची है। इस विभाग के अन्तर्गत अनेक निकाय हैं, अनेक कारपोरेशन्स हैं। जो सूचना इस समय यहां पर उपलब्ध है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश टैक्सटाइल कारपोरेशन और खादी बोर्ड को छोड़ कर किसी भी संस्था में अनुसूचित जाति का एक भी आदमी नहीं है। तो जो नीति आज स्पष्ट की गई है वह स्वागत करने योग्य है।

आज की वर्तमान स्थिति में इस बात की बहुत आवश्यकता है कि रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजों के उत्पादन पर जोर दिया जाय जिससे रोजगार भी बढ़ सकें। आज यहां पर जिस औद्योगिक नीति की घोषणा की गई है उसकी बारम्बार प्रशंसा करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि इसके अन्तर्गत वे उत्पादन के क्षेत्रों का भी बंटवारा करने जा रहे हैं। यह बात भी सही है कि अगर हम यह चाहते हैं कि हमारे कुटीर उद्योग धंधे बढ़े, तो उनको संरक्षण मिले तो यह मात्र पैसे की सहायता से नहीं हो पाता है। इससे आज तक भी वे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाये हैं। इस सम्बन्ध में निश्चय ही सरकार को अपनी योजना की घोषणा करनी चाहिए। जैसे कपड़ा है, उसका स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। जिस कपड़े का निर्माण कुटीर उद्योग, जैसे चादरें हैं, तौलिए आदि हैं, वे मात्र निगमों द्वारा न बनाई जायं और जो इस नीति का विरोध करेंगे, उनका लाइसेंस समाप्त कर दिया जाय।

इसके अलावा हमारे गांवों में जो मोची हैं, जो छोटी-छोटी पूंजी से काम करते हैं वे लोग उन लोगों से कम्पीट नहीं कर पाते हैं जो इन्हें फैक्ट्रियों में बनवाते हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि इस क्षेत्र का भी विभाजन किया जाय। इसी प्रकार से साबुन और अन्य उद्योगों का भी बंटवारा हो सकता है।

अब मैं ऋण देने के बारे में भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कम से कम 25-30 प्रतिशत ऋण ऐसे लोगों को दिया जाय जो गरीबी की सीमा के नीचे रह कर अपना जीवन-यापन करते हैं।

अब मैं अपने जिले सीतापुर की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह जो परफार्मेन्स बजट है.....।

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र कुमार---

मान्यवर, इसको मैंने बड़े गौर से देखा लेकिन इसमें सीतापुर का नाम कहीं नहीं दिखाई देता है। जबकि आप वहां जाकर देखें कि हैन्डलूम के अन्दर हजारों यूनिट्स हैं। दरी का निर्माण वहां इतना होता है कि वहां से माल देश और प्रदेश में ही नहीं, विदेशों में भी जाता है। इसलिए मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उस हैण्डलूम के कपड़े के कैलेंडरिंग के लिए एक कारखाना निश्चित रूप से सीतापुर में खोलें। उन्होंने घोषणा की है कि कालीन के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलना है। वहां दरी की क्वालिटी में परिवर्तन नहीं किया जा सका, कच्चा रंग इस्तेमाल होता है। तो वहां यदि प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय तो वह उद्योग विकसित होगा।

इसी के साथ-साथ एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में मेंथा पैदा होता है। हमारे यहां दो-ढाई सौ यूनिट्स उत्पादन करते हैं जिससे हमारे प्रदेश की आवश्यकता पूरी हो रही है और दूसरी जगह भी जाता है।

श्री अध्यक्ष---

राजेन्द्र जी, आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र कुमार---

बरेली कैंफर फैक्टरी को लाइसेंस दे दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको यह ख्याल रखना पड़ेगा कि कोई यूनिटस कम न हो जायं। इसलिए आवश्यक है कि उसका लाइसेंस वापस लेने पर विचार किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

श्री अध्यक्ष जी, उद्योग के लिए जहां धन की जरूरत है वहां संरक्षता तथा अच्छी प्लानिंग की भी जरूरत है। लेकिन मंत्री महोदय ने जो चर्चा की उसमें उन्होंने अधिकतम नीति पर बल दिया। जहां तक नीति का मसला है, यह देखना पड़ता है कि किस स्थान पर हम खड़े हैं और हमारा निशाना कौन सा होगा। अच्छा निशाना हो, उसके पहले जिस स्थान पर हम खड़े हैं वह देखना होगा कि इस स्थान हमारा क्या है। कौन नहीं जानता कि यह युग जा जा रहा है, हम जिस चौराहे पर खड़े हैं वहां मशीनरी युग को छोड़कर हम टेक्नीकी युग में आ गये हैं, तो हमें भारी उद्योगों के बारे में अवश्य सोचना पड़ेगा। हमारे उद्योग को जो रूप दिया गया है इन 30 सालों के अन्दर उसको हमें पहले विचारना पड़ेगा कि उसको छोड़ना है तो किसी तरीके से छोड़ना है। अब मंत्री महोदय ने भारी उद्योग को माइनस करने की बात कहीं और जो प्राविधान किया है उसमें 22 करोड़ के करीब प्लान्ड योजना के अन्दर खर्चे की कमी की और भारी उद्योग में भारी कमी की बात वह कर रहे हैं।

मैं आपसे बात रखना चाहता हूं। सीमेंट का उद्योग है। इसकी आवश्यकता हर उद्योग में पड़ेगी, चाहे ग्रामीण उद्योग को चलाया जाय या कोई भी उद्योग हो। इसके लिए जो पहले कारखाने चल रहे हैं उनके लिए चुनार गई घाट पर जो कारखाना है उसमें 12 लाख व्यय किया गया और 2.70 लाख का प्राविधान किया गया। तो यह बताना है कि जो जनता की भी, उद्योग की भी और सब की जरूरियात हैं उसकी तरफ भी हमारे उद्योग का ध्यान जाना आवश्यक है और उनकी कलम-दवात उस तरफ क्या काम कर रही है यह हमें देखना है। इसी तरह यह भी था कि देहरादून और ऋषिकेश की तरफ सीमेंट बनाने की योजना है वह आपने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसमें नहीं दिखाई और इसके मुताल्लिक क्या विचार कर रहे हैं। क्योंकि यह जरूरत की चीज है, इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया।

अब जो इंडस्ट्रियल कम्पलेक्स लगाये इस प्रदेश में वह इसलिए लगाये कि तमाम कारखानेदारों की जरूरियात को, कच्चे माल की सब दिक्कतों को हम हल कर सकें। उन कम्पलेक्स के अन्दर उद्योग मंत्री ने जरा भी ध्यान नहीं दिया कि उनकी अवस्था क्या जा रही है। मेरठ को लीजिये। मेरठ में स्पोर्ट्स कम्पलेक्स है। यह जो खेल-कूद का सामान बनाने का भारतवर्ष को तकसीम होने के बाद जो शानदार उद्योग मेरठ में आया है, जालंधर में आया है और एक्सपोर्ट का काम भी करता है, जिसके जरिये रुपया कमाता है, उस उद्योग के बारे में मंत्री जी ने रत्ती भर भी विचार प्रकट नहीं किया कि उसकी अवस्था को सुधारने के लिए, उन छोटे-छोटे कर्मचारियों को, उन हरिजन व्यक्तियों को फुटबाल आदि चमड़े का काम कर रहे हैं, उनकी हालत बेहतर बनाने के लिए वह क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। तो किस आधार पर और किस नीति के अन्तर्गत वह ग्रामोद्योग में जाना चाहते हैं।

ग्रामोद्योग में गांधी जी ने खादी को प्रोत्साहन दिया था। उस जमाने में 6 पैसे की कमाई होती थी। लोगों ने चर्चा की। जब वह चर्चा गांधी जी के पास पहुंची तो उन्होंने महसूस किया कि 6 पैसे से इन्सान, जबकि 1 रुपये का 16 सेर अनाज मिलता था, अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता है। 5 आने की जरूरत थी। सन् 36 के लखनऊ के सेशन में गांधीजी ने 6 पैसे को 3 आने जबर्दस्ती किया। आज हमें ग्रामोद्योग की बात लगती तो बहुत अच्छी है लेकिन ग्रामोद्योग लगाने के बाद उसकी मार्केटिंग कैसे होगी, उसको माल कैसे पहुंचेगा, इसकी कोई बात मंत्री महोदय ने नहीं सोची। अगर ग्रामों में उद्योग लगा दिये तो उनकी सुरक्षा कैसे हो, उनके मार्केटिंग का सिस्टम आप क्या करने जा रहे हैं, इस ओर उन्होंने कुछ नहीं सोचा। 100 उद्योग लगने के बाद 10 रह जाते हैं और 90 मायनस हो जाते हैं। क्यों? इसलिये कि डिस्ट्रिक्ट लेबिल के आफिसर्स ने कभी उन इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं हैरान हूं कि बंगाल की गवर्नमेंट ने, जिसको हम सी0पी0आई0एम0 की गवर्नमेंट कहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स का आह्वान किया है कि आप आइये और वहां इंडस्ट्री लगाइये। मुझे आफसोस है कि उद्योग मंत्री ने प्रदेश के पिछड़ेपन की तरफ ध्यान न देकर....

श्री अध्यक्ष--

सेठी जी, कृपया अब समाप्त कीजिये।

श्री अजीत सिंह सेठी--

केवल नीति की बात कही है। तो "न यार मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे" वाली हमारी हालत हो रही है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद दूं कि आपने आज मुझे इस उद्योग के बजट पर बोलने का समय दिया है। माननीय उद्योग मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसके समर्थन में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं और कटौती का जो प्रस्ताव है उसका विरोध

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्खी सिंह]

करता हूं । यहां बड़ी चर्चा चल रही है जनता पार्टी की नीति की । उधर के लोग जनता पार्टी की नीति की आलोचना करते हैं और तो उन पर कुछ है नहीं । देश और विदेश को पता है कि आलोचना वही कर सकता है जो स्वयं बिल्कुल साफ हो । साफ कपड़े वाला दूसरे के कपड़े को गन्दा बता सकता है । सफाई तो उनकी है नहीं, गन्दगी है । आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं । हम भी पुराने लोग हैं । अगर नीति साफ होती, अगर गांधी जी की नीति पर ये लोग चलते तो हमको शर्मिन्दा होना नहीं पड़ता इस जनता के सामने, दुनिया के सामने और इनकी यह बेजार हालत जो हुई है दुनिया में यह न हुई होती ।

श्रीमन्, मैं अपने उद्योग मंत्री जी को बहुत धन्यवाद ही दूं क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज इसमें रखी है जो गांधी जी कहा करते थे, डाक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे, माननीय जय प्रकाश जी ने भी कहा है और हमारे माननीय नेता चौधरी चरण सिंह जी का स्वप्न पूरा हो रहा है कि गांवों में छोटे-छोटे उद्योग धंधे जब तक नहीं खुलेंगे तब तक स्वराज्य की झलक आने वाली नहीं है । श्रीमन्, मैं मंत्रीजी को बताना चाहता हूं, यह तो मैं नहीं कहता कि मथुरा में कोई उद्योग धंधा, कोई मिल नहीं है, जब मैं पहले चुन कर आया था, तब तो मैं कहा करता था कि वहां कोई मिल नहीं है, सिर्फ राधा फैक्ट्री, कृष्ण फक्ट्री थी । इन्हीं दो फैक्टरियों पर 50 फीसदी जनता जिन्दा रहती थी । अब तो वहां कन्द्रीय सरकार ने तेल शोधक कारखाना भी बनाया है और बना रहा है । मेरे क्षत्र में एक चीनी मिल भी बन रही है ।

श्री श्यामधर मिश्र--

वह नहीं चाहिये, विकेन्द्रित चाहिये, गुड़ चाहिये ।

श्री लक्खी सिंह--

मेरा सुझाव है वहां पर चीनी मिल तब तक नहीं चल सकती है, जब तक कि गन्ने से लेकर मिल तक के लिये सड़क न हो । । सड़क है नहीं और किसान गन्ना कैसे लायगा ? उद्योग तब ही चल सकता हैं जब उद्योग के पूरे-पूरे साधन हों ।श्रीमन्, वैसे मथुरा जिला और मथुरा जिला में छाता तहसील जहां से मैं चुन कर आता हूं, वह बिल्कुल पानी से घिरा हुआ है, । श्रीमन्, गन्ने की फसल भी वहां मारी गयी । मेरी समझ में नहीं आता । वह तो कहते हैं कि अब की मिल चालू हो जायगी । गन्न की मिल, चीनी की मिल चालू हो जायगी । लेकिन अभी हमें उम्मीद नहीं है कि वह चल जायगी । श्रीमन्, उसकी तरफ ज्यादा देखना है और भाई राधे श्याम जी ने कहा था कि 425 क्षेत्र हैं, श्रीमन्, हम सभी चुन कर आते हैं, उधर के भाई भी चुन कर आये हैं, आप भी चुन कर आये हैं ।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्री अध्यक्ष--

लक्खी सिंह जी, थोड़ा इधर भी देख लीजिये ।

श्री लक्खी सिंह--

मान्यवर, हर एम0 एल0 ए0 के क्षेत्र में और गांव-गांव में उद्योग धंधे चलाये जांय, तभी यह बेकारी, बेरोजगारी, भुखमरी दूर हो सकती है और गरीब लोगों को वहां रोजगार मिल सकता है । श्रीमन्, मैं एक बार फिर यह जो अनुदान की मांग की है उद्योग मंत्री जी ने इसका समर्थन करते हुये आपको धनन्वाद देता हूं कि हमारे क्षेत्र की तरफ ध्यान दें ।

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

उद्योग मंत्री (श्री राम प्रकाश)--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों की भावनाओं का विचार करते हुये मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन का कार्य 1 घंटा के लिये बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सदन का समय आज 1 घटा बढ़ा दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

1977-78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये-मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 23-लेखन सामग्री और मुद्रण, अनुदान संख्या 56-उद्योग ,अनुदान संख्या 57-ग्राम्य एवं, लघु उद्योग अनुदान संख्या 58-खानें एवं खनिज, अनुदान संख्या 77-विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 93-ऋण और अग्रिम-उद्योग (क्रमागत)--

श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से, इस सदन में उद्योग मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत मांग के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, उद्योग मन्त्री जी ने सर्व प्रथम अपने भाषण में 30 वर्ष के उस नियोजन की चर्चा किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश पिछड़ा का पिछड़ा रह गया । मैं उसमें एक शब्द और जोड़ देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश तो पिछड़ा रह गया परन्तु उत्तर प्रदेश के कुछ परिवारों का विकास हो गया, जिसके संबंध में आप सभी की जानकारी है ।

मान्यवर, मैं यह बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन का सारा कारण राजनीतिक है । यदि आज भी हमारे उद्योग मंत्री जी देखें कि जो कच्चे माल के लाइसेंस लेने वाले हैं वास्तव में उनकी फैक्टरी है या नहीं? वह लाइसेंस ले लेते हैं और कच्चे माल को व्यापारियों के पास बेंच देते हैं । पिछले 30 वर्षों में प्रदेश की सरकार ने यही किया है । यही कारण है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा रह गया । इस संबंध में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बनारस में जो ग्लास फैक्ट्री है उस संबंध में जो सूचना आपके पास आई है वह सत्य नहीं है। अगर वह पुराने मालिकों को दे दी गई, मैं वहां का रहने वाला हूं मुझको जानकारी है । वहां 5 सौ मजदूर बेकार जायेंगे अगर फैक्ट्री को पुराने मालिकों को दे दिया गया । पुराने मालिक फैक्ट्री को नहीं चला पायेंगे । इसलिये मेरा सुझाव है कि हमारा उद्योग विभाग उस ग्लास फैक्ट्री को चलाये । वहां छोटी-छोटी बोतलें बनती हैं तो दवा के और अन्य कामों में प्रयोग में आती हैं ।

मान्यवर, मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि वाराणसी में चकिया तहसील है जहां पर सर्वेक्षण हुआ है, जांच हुई है वहां पर अल्यूमिनियम और सीमेंट बनाने वाला पत्थर है । मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वहां पर उद्योग खोला जाय । क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बिड़ला जैसे बड़े पूंजीपति उद्योगों पर हावी होकर जनता का शोषण करें । मान्यवर, मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि भदोही का जो कालीन उद्योग है उस संबंध में गंभीरतापूर्वक सोचें । आज वहां जो यह उद्योग विकास पर है तो कुछ लोगों का ही विकास हो रहा है । जो काम करने वाले हैं, हजारों लाखों मजदूर हैं जो हरिजन हैं उनकी दशा बिगड़ती जा रही है। इसलिये

[श्री श्याम देव---]

मेरा निवेदन है कि कालीन उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाय और वह पूंजीपतियों के हाथ में न दिया जाय और सहकारी समितियां बनाकर कालीन उद्योग को बढ़ावा दिया जाय ।

मैं बनारस के संबंध में और बता दूं । बनारस में साड़ी उद्योग है, वह विश्वविख्यात है । वहां पर जरी का काम भी होता है । आपको मालूम होगा कि सोने पर नियंत्रण होने के बाद वहां लाखों लोग, छोटे मजदूर बेकार हो गयें हैं । इनके सामने बड़ी समस्यायें हैं इस ओर मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करें । इसी के साथ-साथ मैं मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बनारस में साहू एक फैक्टरी है जहां पर खाद बनाई जाती है । मैं दुख के साथ आपका और सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि पुरानी सरकार नें साजिश करके वहां 21 मजदूरों को निकाल दिया । मैं कहना चाहता हूं कि 21 मजदूरों का परिवार भूखों मर रहा है । तो जहां उद्योगों को बढ़ाने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ़ हमारी औद्योगिक इकाइयों के मजदूरों के हितों की भी रक्षा करें जो इन उद्योगों में काम कर रहें हैं ।

मैं उद्योग मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मेरे पास लिस्ट है कि जितने उद्योग विभाग में एप्वाइंटमेंट्स हो रहे हैं, जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं इमरजेंसी में उसमें हरिजनों का कोटा पूरा नहीं हुआ है । जनता पार्टी की सरकार हरिजनों का कोटा पूरा करें । मैं बहुत आभारी हूं उद्योग मंत्री जी का कि 5 हजार ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत इस प्रदेश के विकास करने की बात सोची है मैं चाहूंगा कि ग्रामीण योजनायें खेती से जोड़ दी जांय । पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो खेतिहर मजदूर हैं । उनके लिये रोजी रोटी नहीं है । कुंवार के महीने में तीन-तीन दिन चूल्हा नहीं जलता दूसरी तरफ़ लोग उद्योगों को लगाकर बड़े होते जा रहे हैं । हरिजन और पिछड़े लोग पिछड़े रहे हैं । मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 30 वर्षों तक नौकरशाही ने उस पक्ष को बदनाम किया है, अब भी नौहकरशाही का रवैया वैसा ही है । मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों का विकास किया जाय ।

श्री देव बहादुर सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने उद्योग मंत्री जी के अनुदान पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, इस जनता पार्टी की सरकार ने अब तक अपनी औद्योगिक नीति, श्रम नीति की घोषणा नहीं की है । जिसके परिणाम-स्वरूप औद्योगिक तथा श्रम क्षेत्र में अशान्ति एवं अनिश्चितता का वातावरण व्याप्त है । जिसके कारण हड़ताल, तालाबन्दी हो रही है । इसका असर उत्पादन पर पड़ रहा है । और जो उत्पादन है उसमें रोज कमी होती जा रही है । इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि जल्दी से जल्दी मंत्री जी अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा करें । आपस में विवाद है और कहा जाता है कि 1956 में भारत सरकार ने जो औद्योगिक नीति निर्धारित की थी वही नीति आज भी रहे । कुछ मंत्री कहते हैं कि नये सिरे से औद्योगिक नीति देश और प्रदेश में लागू हो । इसलिये आप जो भी लागू करना चाहते हैं उसको अविलम्ब लागू करें जिससे अनिश्चितता का वातारण समाप्त हो और उद्योगों का कार्य चल सके ।

मंत्रीजी ने कहा है कि हम ग्रामीण अंचल में लघु उद्योग और छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना करेंगे जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके । तो इसको हम भी चाहते हैं और आप भी चाहते हैं । तो आप यह बता दें कि कब से आप इस योजना को लागू करना चाहते हैं ? और इससे कितने लोगों को प्रति वर्ष रोजगार मिलेगा तथा कितनी इन्कम पर कैपिटा होगी । यह बता दें ? पिछली सरकार जो थी उसने इस प्रदेश को औद्योगिक रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिये काफी मेहनत किया । इसमें देख लें कि जो 16 योजनायें जैसे आर्टीफिशिल लिम्ब योजना, जो छोटे-छोटे कारखाने हैं इस प्रदेश में उनका जाल बिछाने की

योजना, बुनकरों की योजना जो चलाया था और उनको छूट तथा कच्चा माल दिया गया यह सारी व्यवस्थायें हमारी सरकार ने किया है, लेकिन आप अपनी योजना नहीं बताना चाहते हैं। आज स्थिति यह है कि सूत नहीं मिल रहा है। जब तक सूत नहीं मिलेगा तब तक बुनकरों की हालत ठीक नहीं होगी। उनके करघे बन्द हैं। इसलिये मंत्री जी सूत की व्यवस्था करेंगे जिससे करघे चल सकें।

मान्यवर, पर्वतीय अंचल के बारे में मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो वित्तीय संस्थायें थीं उनमें ऐसी ऋण वितरण की व्यवस्था की गयी थी कि जिससे वहां उद्योग लग सकें। जो पुस्तक मुझे मिली है उसमें 1975-76 में 3 लाख रु0 दिया गया था वितरण के लिये। वह सारा उपयोग हो गया। 1976-77 में जो 3 लाख रु0 दिया गया वह वित्तीय निगम द्वारा वितरित होना था लेकिन उस राशि को निगम ने समर्पित कर दिया और उसे उपयोग नहीं किया गया। यह उदाहरण है कि औद्योगिकरण में कितनी रुचि ली जा रही है उद्योग लगाने के लिये लाइसेन्स नहीं दिये जाते हैं।

पिछड़े जिलों में अनुदान की व्यवस्था की गयी है जिसमें ब्याज में छूट है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि चाहे इस प्रदेश में उद्योग लगे या नहीं लेकिन हम सुझाव आपको देगें। चाहे नीति बने या नहीं, लेकिन सुझाव देगें। हम चाहते हैं कि प्रदेश का विकास हो इसलिये हम सुझाव देना चाहते हैं कि औद्योगीकरण का काम कहां और कैसे करेंगे यह निश्चित करें। आपके अधिकारी इस काम को उस समय तक नहीं कर सकते हैं जबतक आप उन पर कोई दायित्व निश्चित नहीं करेंगे कि कौन अधिकारी कौन उद्योग लगायेगा? इसके लिये उद्योग अधिकारी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गयी। केवल वह रिपोर्ट देता है। यदि आप जांच करायें कि कहां उद्योग लगे हैं, कितने लगे हैं और कहां चल रहे हैं कहां नहीं, तो पायेगें कि उसमें बहुत कमी है। पर्वतीय अंचल में सर्वेक्षण कराया है और इस पुस्तिका में है। अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी में औद्योगिक सर्वेक्षण करवाया गया और क्या-क्या धातु कहां-कहां उपलब्ध है उन पर आधारित उद्योग लगाने की बात है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पर्वतीय अचंल में कौन-कौन सा उद्योग लगाने की उनकी योजना है।

हमारे प्रदेश की मिक्स्ड इकोनोमी है। लालकुआं में 86 करोड़ का एक कागज का कारखाना निजी क्षेत्र में लगाने की बात थी। हमारे यहां यूकेलिप्टस बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। वहां कागज का कारखाना लगाया जा सकता है। सेन्चुअरी मिल वालों ने सर्वेक्षण कराया था। उन्होंने वहां ट्यूबवेल लगाकर पानी का भी इंतजाम कर दिया। लेकिन जब से नई सरकार बनी है। तो सुना है कि वह लालकुआं में लगने वाला कारखाना छोड़ा जा रहा है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह प्रयास करके उस कारखाने को लगवायें। घड़ी के कारखानों की बात कही गयी थी कि पहाड़ में लगाया जायगा लेकिन इस सरकार की वह योजना है या नहीं मंत्री जी इस पर भी प्रकाश डालने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ में इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं अपका आभारी हूं कि आपने मुझे पहली बार यह अवसर दिया। माननीय मंत्री जी द्वारा जो अनुदान प्रस्तावित है, मैं उसका स्वागत करता हूं। प्रत्येक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रणवीर सिंह—]

देश और प्रदेश की खुशहाली के निमित उसमें रहने वाली जनता की खुशहाली और हर दृष्टि से सुरक्षा की दृष्टि से जो भी योजनायें बनायी जाती हैं उनकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहती है। हमारे बुन्देलखंड में जहां चारों ओर गरीबी का माहौल है। वहां 30 साल के प्रशासन में कुछ नही हुआ। वहां का व्यक्ति आज भी भूखों मरता है, पीने को पानी नहीं मिलता। वहां के लिये छोटे-छोटे उद्योगों की अत्यन्त आवश्यकता है। बुन्देलखंड, जहां की गरीबी की कोई सीमा नहीं है वहां कुटीर उद्योग स्थापित करने की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। हमारे यहां बहुत से पशु मरे हुये पड़े रहते हैं और चारों ओर गन्दगी फैलती है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उनके उठाने के लिये लाइसेन्स बाहरी व्यक्ति को न देकर स्थानीय लोंगो को देन चाहिये। इसी तरह वहां अचार और पत्ते का व्यापार होता है। अचार जिसको हम चिरोंजी कहते हैं 30/40 पैसा प्रति किलो बिकती है। धनाढ्य लोग जो अर्से से गरीबों को दबाते आये है वह आज भी उनको दबा रहे हैं और उनका शोषण कर रहे है। इसके लिये भी सुरक्षित व्यवस्था की जानी चाहिये। इस अचार को बनाने के लिये भी वहां छोटे-छोटे कारखाने खोले जाने चाहिये और उनके माध्यम से अचार बनाया जाना चाहिये।

यह अचार तीस चालीस पैसे के हिसाब से बिकती थी वह न बिक कर एक रुपया चालीस पैसा सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर खरीदते। यह सरकार ने 1976-77 में किया था किन्तु दुर्भाग्य से न तो वहां कोई खरीदार ही हुआ और न यह व्यवस्था ही वहां हुई और तीस पैसे में बार-बार वे लोग अचार बेचते रहे।

इसी प्रकार तेंदू पत्तियों का सवाल है। तेंदू की पत्तियों से बीड़ी का उद्योग-धन्धा चलता है। वहां के कुछ लोंगों ने इस उद्योग धन्धे के लिये अनुदान मांगा लेकिन अनुदान नहीं दिया गया। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उनको उद्योग धन्धा चलाने के लिये अनुदान दिया जाय। साथ ही साथ वहां पर इमारती पत्थर भी मिला है। इस पत्थर में एलाय अधिक है लेकिन यह सारा पत्थर, ईश्वरी इन्डस्ट्रीज दिल्ली को चला जाता है। यदि इसके लिये एक फैक्ट्री ललितपुर में बनायी जाय तो बहुत से लोगों को काम मिल सकता है। इसी प्रकार वहां पर टेलकम पाउडर स्प्रे करने वाली दवाइयों की भी फैक्ट्री का निर्माण हो सकता है जिसके लिये कच्चा माल वहां पर उपलब्ध है ताकि वहां पर लोंगों को काम मिल सके। वहां पर कीपर, यूरिनियम की भी ब्बेल्ट है उसके लिये भी सरकार व्यवस्था करे।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त कीजिये।

श्री रणवीर सिंह :—

महोदय, जिन्दगी में पहली बार तो मौका मिला है।

श्री अध्यक्ष :—

इसलिये तो आप को सात मिनट दिये हैं।

श्री रणवीर सिंह :—

इसी प्रकार ललितपुर में और हमीरपुर में भी खनिज पदार्थ पाये जाते हैं मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इसकी व्यवस्था की जाय ताकि वहां पर गरीबों को कुछ न कुछ

काम मिले। इन शब्दों के साथ में मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का स्वागत करता हूं।

(श्री रघुबर दयाल वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष :--

पांच मिनट में समाप्त करना होगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट अनुदान का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

पहला सुझाव यह है कि उत्तर प्रदेश में झूठे प्रतिष्ठानों का चलने का सिलसिला बड़े पैमाने पर विगत तीस वर्षों से चला आया है। मैं चाहूंगा कि इन फर्जी प्रतिष्ठानों के लिये जो कागज पत्रों में चल रहे हैं पर, जमीन में नहीं, सतर्कता समिति का गठन किया जाय जो सारे प्रदेश में घूमकर एक डेढ़ महीने में अपनी रिपोर्ट ले और ऐसे प्रतिष्ठानों को जो अधिकारी चला रहे है, जो उनको कच्चा माल और सरकारी अनुदान ले रहे हैं उन पर मुकदमा चलाया जाय और उन्हें दंडित किया जाय।

इसके बाद में निवेदन करूंगा कि ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यक्रम कैसे शुरू हो इसके लिये जरूरी है कि आपके जिला उद्योग अधिकारी के अन्तर्गत एक समिति बनायी जाय जो यह देखे कि किस गांव में किस प्रकार के उद्योग चलाये जा सकते हैं और किस प्रकार की तकनीकी की वहां आवश्यकता है।

इसके साथ-साथ कच्चे माल को गावों तक पहुंचाने के लिये आप एक कमेटी का निर्माण कर दें। जिसमें आप वहां के लोंगो की राय लेकर कमेटी बनायें जो सही माने में वितरण करे। हमारे यहां चूड़ी को अलंकृत करने के लिये सोना आता है जो कंट्रोल रेट पर दिया जाता है उससे उसे बना हुआ तरल सोना बहुत मंहगा पड़ता है और ब्लैक में लिया हुआ सोना और उससे बना तरल सस्ता पड़ता है। सरकार इस मामले की छानबीन करे। इसके अलावा ग्लास टेक्नोलाजी जो फिरोजाबाद की है उसमें डिजाइनिंग का काम, झाड़ फड़नूस का काम जो है उसे प्रगति देने के लिये कोई नीति निर्धारित की जानी चाहिये। फिरोजाबाद में यह उद्योग 1,500 रुपये की लागत के बाद तीन आदमियों को काम देता है, लेकिन सरकार ने इसकी प्रगति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। फिरोजाबाद में कांच की चूड़ी के व्यवसाय के लिये विशेष व्यवस्था की जाय। इसी तरह से आगरा में मूर्ति कला का काम होता है। इस मूर्ति कला के व्यवसाय में एम्पोरियम वाले मूर्ति कला उद्योग में लगे श्रमिकों का बड़ा शोषण करते। विदेशों में बड़े पैमाने पर मूर्ति कला के अन्तर्गत बनाये गये समान को निर्यात किया जाता है। इस कार्य को गरीब कुम्हार जाति के लोग करते हैं। उनको सरकार ऋण तथा अनुदान देकर प्रोत्साहन दे ताकि एम्पोरियम वालों के शोषण से वे बच सकें। सरकार को इसमें हस्ताक्षेप करना चाहिये। जहां तक कोआपरेटिव सोसाइटीज का सम्बन्ध है श्रमिकों तथा मजदूरों की सहकारी समितियां भी बनाई जायं और उनको सारी सुविधायें दी जायं ताकि उनकी गरीबी दूर हो सके। इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका समर्थन करता हूं और एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव जो विपक्ष ने प्रस्तुत किया है, उनसे मेरा निवेदन है कि वह उसे वापस ले लें । पूज्य बापू ने जो खादी का ग्रामोद्योग चलाया था आज उसका ह्रास हो रहा है । खादी बोर्ड के नाम से जो संस्था बनी हुई है उसके अधिकारी बड़ी अय्याशी कर रहे हैं । वे कूलर के अन्दर रहते हैं, एयर कंडीशंड कमरों में रहते हैं । पूज्य बापू ने गरीबों को लिये खादी का प्रचलन किया था ताकि गरीब आदमी को रोटी मिले और सस्ता वस्त्र भी मिले लेकिन आज खादी के दाम टेरीलीन तथा टेरीकाट के समान हो रहे हैं । खादी उद्योग के नाम पर लोग झूठी संस्थायें बनाये हुए हैं, रुपया लिये हुए हैं । मेरा निवेदन है कि उनकी जांच कराई जाय क्योंकि महात्मा गांधी के नाम पर जो यह सब हो रहा है यह कलंक की बात है और इसके लिए उनको दंडित किया जाय । इसका तत्काल इलाज होना चाहिये । खादी उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाय ताकि इसके अन्तर्गत काम करने वाले जिनको कोरी अथवा जुलाहा कहा जाता है, जो पिछड़े हैं, गरीब हैं और हरिजन कहलाते हैं उनकी गरीबी दूर हो सके और उनका शोषण खत्म हो सके । उद्योग मंत्री से मेरा निवेदन है कि इस ओर उनको विशेष ध्यान देना चाहिये ।

एक चीज मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इलाहाबाद में प्रेस उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है बड़े-बड़े उद्योगों की टाइप मशीनों के लिये रुपया मिलता है । लेकिन उसके अन्तर्गत जो प्रेस का काम सीखे हुये हैं कर्मचारी हैं वे दर-दर मारे-मारे फिरते है । उनको कहीं नौकरी नही मिलती है । तमाम बेकारी फैली है । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद में प्रयाग पत्रिका नाम की एक सहकारी समिति बनी थी जिसने सरकार से लाखों रुपया ले लिये हैं । लेकिन आज वह सहकारी समिति खत्म हो गई है और रुपया खा गये हैं उसकी भी जांच होनी चाहिये । मैं चाहता हूं कि प्रेस व्यवसाय के लिये मंत्री महोदय खास तौर से ध्यान दें और इलाहाबाद में कम से कम एक या दो सहकारी आधार पर गृह उद्योग खुले । मैं उसके साथ यह भी बतलाना चाहता हूं कि हमारे यहां जो हरिजन भाई हैं जो चमड़े का काम करते हैं लेकिन यहां एक बाटा नाम की कम्पनी खुली है जो बड़े मंहगे जूते और चप्पल बेचती है वह कम्पनी विदेशी कम्पनी है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपने उद्योग मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह बहुत बड़ा व्यवसाय है और बाटा के नाम पर लूट हो रही है । हमारे जैसे गरीब लोग टूटे चम्पल पहनते हैं और बाटा के जूते और चप्पल नहीं खरीद सकते हैं । आप देखेंगे कि बाटा को इतना बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है । मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कोकाकोला कम्पनी को बंद कर दिया गया है उसी तरह से बाटा को भी बंद कर देना चाहिये ताकि छोटे उद्योग पनप सकें । हमारे यहां जूते और चप्पल का काम करने वाले हजारों हरिजन कर्मचारी हैं, आगरा और कानपुर की बात मैं नहीं जानता लेकिन हमारे यहां वह भूखों मर रहे हैं उनकी हालत दयनीय है ।

इलाहाबाद में नैनी में केन्द्र सकार की ओर से तमाम उद्योग पब्लिक सेक्टर में खुले हैं मगर प्रदेश सरकार की तरफ़ से इलाहाबाद में कोई कारखाना नहीं खुला है । आप देखेंगे हमारे यहां आई० टी० आई० पोलिटेक्नीक और मोतीलाल इंजीनियरिंग कालेज से तमाम विद्यार्थी निकलते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया समाप्त करें ।

बाबा रामअधार यादव---

वहां के तमाम विद्यार्थी आज बेकार घूम रहे हैं कारीगरी सीख कर डिप्लोमा और डिग्री लेकर । मोतीलाल इंजीनियरिंग कालेज में बहुत-सी संस्थायें खुली हैं जो कच्चा माल ले लेती हैं लेकिन उसको चोरबाजार में बेंच डालते हैं । तो मैं चाहूंगा कि उसको भी देखने की जरूरत है ।

श्री अध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत कसरत करने के बाद बोलने का मौका दिया । यह जो चर्चा का विषय है उस पर मुझे कुछ सुझाव ही देने हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है । मान्यवर, बड़ी खुशी की बात है कि उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है और उनको ग्रामीण अंचलों में ले जाया जा रहा है । अगर इस प्रदेश को पंजाब बनाया जा सके और उत्तर प्रदेश को जापान या स्विटजरलैन्ड बनाया जा सके तो मुझे बड़ी खुशी होगी । लेकिन इस योजना में जो पिछली चीजें हैं उसको देखने से मालूम होगा कि 70 प्रतिशत ग्रामीण उद्योगों को नौकरशाही ने ध्वस्त कर दिया । तो इस काम को कौन ग्रामीण क्षेत्र में ले जायेगा ? क्या यही नौकरशाही ले जायेगी ? जो बड़े-बड़े मिलमालिकों के आगे दुम दबाते हैं । इन्हीं के कारण छोटी-छोटी इकाइयां ध्वस्त हुई । बड़े उद्योग छोटे उद्योगों को पनपने नहीं देते हैं । अगर आप चाहते हैं कि छोटे उद्योगों का विकास हो तो बड़े उद्योगों से बचाने के लिये उनकी सीमा निर्धारित करनी होगी । बड़े उद्योगों के रहते हुए छोटे उद्योगों का विकास नहीं हो सकता । उसके लिये उसका क्षेत्र निर्धारित करना होगा ।

मान्यवर, बड़े उद्योगों को तो हर तरह की रियायत और छूटें दी जाती हैं, जबकि छोटे-छोटे उद्योगों पर ऋण का भारी भार है । उनको कर्जा भी नहीं मिल पाता है । बैंक भी छोटे उद्योग धंधे वालों को ऋण देने में हीलाहवाला करते हैं । प्रशासन की जहां तक नीति है, वह छोटे उद्योग-धंधों के प्रति बहुत ही उपेक्षणीय है । डाक्टर तक वहां जाना नहीं चाहते हैं, उद्योगों को वहां ले जाने के लिए संबंधित साधनों को जुटाना मामूली बात नहीं है । इसमें बिजली की जरूरत पड़ेगी, आवागमन के साधनों की जरूरत पड़ेगी और कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी । अच्छा यह है कि कृषि से संबंधित जो चीजें हैं, ग्रामों में उन्हीं चीजों का उद्योगीकरण किया जाये । जो वहां के उत्पादन गेहूं, तिलहन और दालें हैं, उन चीजों के रूप बदलने के उद्योग वहां स्थापित किये जायें, तो इनके द्वारा पैसा ग्रामीण क्षेत्रों को मिल सकता है । हमारे सूबे में 39 जो पिछड़े जिले माने गये हैं, जिसमें 7 जिले अत्यधिक पिछड़े जिले हैं, इनमें 15 प्रतिशत की पूंजी निवेशन में छूट दे दी गई है । लेकिन अभी तक फैजाबाद ही ऐसा मंडल है, जहां तमाम तरीके के उद्योग लगाने की सम्भावनायें हैं । फैजाबाद मंडल में चमड़ा का, कपड़े धोने के पाउडर का कारखाना लग सकता है, चावल की मशीनें लग सकती हैं, लेकिन आज तक जो सम्भावनायें थीं, जो सर्वेक्षण हुआ है, उसके अनुसार, उसका भी इसमें कोई जिक्र नहीं है । उद्योग अधिकारी वहां बैठाए गये हैं,

[श्री मित्र सेन—]

लेकिन उनका जनप्रतिनिधियों से कोई सम्पर्क नहीं है । ऐसी अवस्था में यदि उद्योग धंधों को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाना है, उनका विकेंद्रीकरण करना है, तो आवश्यक है कि.....

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त कीजिए, काफी समय हो गया है ।

श्री मित्रसेन—

अब मैं अपने सुझावों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि उनको हर तरह की रियायत दी जाए, उन पर से परचेज टैक्स हटाया जाए, उन पर एक्साइज ड्यूटी न लगाई जाय, उन पर बिक्री-कर न लगाया जाए, तभी उनका विकास हो सकता है । इसके साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

एक सदस्य—

हमें भी अध्यक्ष जी बोलने का मौका दे दें, काफी देर से खड़ा हो रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—

उनका एक ही बोला और आपके पक्ष के ज्यादा बोल चुके हैं ।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

मान्यवर, उद्योग मंत्री ने जो अनुदान पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव के बारे में माननीय प्रस्तावक महोदय से कहूंगा कि वह इसे वापस ले लें ।

श्री अध्यक्ष—

यह आप फिजूल कोशिश कर रहे हैं ।

श्री बाबू बदरे—

मैं दो-तीन सुझाव मंत्री जी को देना चाहता हूं । पहला यह है कि कच्चा माल जिन लोगों को दिया जाता है, उनकी तरफ़ मंत्री जी और अधिकारियों को ध्यान रखना चाहिये कि वह कच्चे माल को वास्तव में उद्योग में लगा रहे हैं या ब्लैक करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं ? देखा यह गया है कि कुछ लोग फर्जी उद्योगों के नाम से कच्चे माल का परमिट ले लेते हैं और उस कच्चे माल को वास्तव में उद्योग चलाने वालों को बिलैक में बेंचते रहते हैं । इस तरह से वास्तविक रूप से धंधा करने वालों को मंहगा सामान ब्लैक में उनसे खरीदना पड़ता है । मंत्री जी इसे सावधानी से देखेंगे तो मैं समझता हूं कि छोटे-छोटे उद्योग वालों को राहत मिलेगी । मैं कानपुर सूती मिलों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं कि एक के बाद एक बन्द होते चले जा रहे हैं । एक न एक मिल बन्द रहती है । वहां के मालिक यह मजबूरी अपनी दिखाते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है । जैसे कि स्वदेशी मिल के मालिक ने वहां की मशीनें ले जाकर आजमगढ़ में लगा दी हैं और कानपुर के मजदूरों को बेकार किया । अगर हम उद्योग धंधों से बेकारी दूर करना चाहते हैं और हमने कोई कड़ाई से ध्यान न दिया और उत्पादन न करने वाले मालिकों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने में सक्षम नहीं होंगे तो आपकी योजना असफल होती चली जायगी, जैसे तीस साल से असफल होती चली गयी । बड़े-बड़े उद्योगपति उद्योग लगाने के परमिट लेंगे और लगायेंगे नहीं इसलिये कि वहां पर कोई दूसरा न लगा पाये । अगर लगे तो हमारे परिवार का उद्योग लगे । इस तरफ़ माननीय मंत्री जी को काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा तब उनकी मंशा पूरी हो पायेगी । शिकोहाबाद में बल्ब फैक्टरी है । नगरपा-

लिकाओं को बल्ब सप्लाई करती है । माननीय मंत्री निर्देश करें महापालिकाओं के लिए जो बल्ब बन कर आयें, उनके अन्दर महापालिका लिख दिया जाय । तो लाखों रुपये की जो चोरी होती है वह बच जायगी और सरकार को फायदा होगा।

दूसरा सुझाव मैं मंत्री जी को यह देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने उद्योग-धंधे के नाम पर कर्जा लिया है सरकार से उनका अपना कोई उद्योग धंधा नहीं लगा, उन लोगों के खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्यवाही मंत्री जी को करनी होगी तब जाकर हमारी योजना जो बजट में किसानों और गरीबों की, गांवों की तरक्की के लिए बनायी गयी है, सफल होगी । अगर उसी तरह से जिस तरह से तीस साल से उद्योग धंधों को देखा गया है, मंत्री बदल सकते हैं, लेकिन अधिकारी और काम करने वाले वही हैं । अगर उस प्रणाली को न बदला गया । अगर उन अधिकारियों से अपनी मंशा के मुताबिक काम करवाने में सक्षम न हुए तो आपकी सारी योजना सारा वायदा जो जनता के सामने किया है सब का सब असफल हो जायगा । कांग्रेस के लोग सुझाव दे देंगे । जानकार लोग हैं । आपको बता देंगे । अधिकारी जो है इन्हीं के रास्ते पर चलेगा । इसलिए अधिकारियों को अपने रास्ते पर चलाने के लिए मंत्री जी प्रयास करें ।

श्री अध्यक्ष—

कृपया समाप्त कीजिये ।

श्री बाबू बदरे—

धन्यवाद ।

(श्री नारायण सिंह भैंसोरा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री पुरुषोत्तम दास (जिला मिर्जापुर)—

तीन में से एक का चल रहा है या एक और दो का चल रहा है ? सिर्फ़ हम लोग बैठने आये हैं या कुछ कहने भी आये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए । अभी एक हुआ है।

*श्री नारायण सिंह भैंसोरा (जिला पिथौरागढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उद्योग मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि विगत तीस वर्षों के शासन काल में जैसा कि सरकारी आंकड़ों में दिया गया है, उत्तर प्रदेश के 39 जिले पिछड़े और अविकसित दिखाये गये हैं, इन तीस वर्षों में 39 जिले जो पिछड़े और अविकसित रह गये, अगर पिछली सरकार की नीतियों का कार्यान्वयन का जो ढंग रहा है, तौर तरीका रहा है, जो कार्यक्रम रहा है, यदि ऐसा ही इस प्रदेश में उद्योगों का विकास हुआ और उद्योगों को चलाया गया तो न जाने कितनी सदियां बीत जायंगी और इस प्रदेश की गरीब भूखी, नंगी और पीड़ित जनता कराहती रह जायगी, रोटी और रोजी के लिये लेकिन मुझे विश्वास है कि जनता पार्टी की सरकार इस ओर कटिबद्ध

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण सिंह भैंसोरा]

है । मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय उद्योग मंत्री जी उन गलतियों की ओर ध्यान दें जिनको पिछली सरकार ने किया है । ग्रामीणों को रोजी देने के लिए माननीय मंत्री जी प्रयास करेंगे । मुझे आशा है कि इन 39 जिलों में अधिकांश जिले ग्रामीण उद्योगों से भरपूर हो जावेंगे और अपनी समृद्धि को बढ़ा सकेंगे ।

मैं माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान पर्वतीय अंचल की ओर ले जाना चाहता हूं । पिथौरागढ़ में 50 परिवार बनराजी जाति के हैं । वह काष्टकला का काम करते हैं । उनको पिछली सरकार ने जमीन दिया था जो केवल नाममात्र के लिए थी । इन लोगों ने उस जमीन को छोड़ दिया है और अपने व्यवसाय करने लगे हैं । इन परिवारों को अगर लकड़ी सुलभ हो जाये तो ये लोग अपने व्यवसाय में उन्नति कर सकते हैं । इस प्रकार से अनुवाल जाति के लोग हैं, जो हरिजन हैं । भोटिया जाति के लोग जब तिब्बत चीन में नहीं गया था तब भेड़ बकरियों का व्यापार करते थे तो ये अनुवाल जाति के लोग उन्हीं के साथ रहते थे जब से तिब्बत से व्यवसाय समाप्त हो गया है तब से ये बेकार हो गये हैं और उनको कोई सरकार की तरफ़ से सुविधा भी नहीं मिली है । इस प्रकार के कोई दो ढाई सौ परिवार होंगे । इनके पास कोई साधन नहीं है और रोटी के लिए मारे-मारे फ़िरते रहते हैं । पिछली सरकार ने इन लोगों को कुछ जमीन दी लेकिन उसकी इतनी कम मात्रा थी कि इनकी गरीबी ज्यों की त्यों बनी हुयी है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इन लोगों के लिए कोई योजना बनायी जाये । बैंक से ऋण लेने की जो व्यवस्था है उसमें बड़ी कठिनाई होती है और गरीब लोगों को ऋण मिल नहीं पाता है । डीडीहाट, धारचूल्हा और मुन्सियारा में कालीन प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है लेकिन यहां पर कोई उद्योगशाला नहीं है और न कोई प्रशिक्षक ही है, कच्चा माल भी नहीं है । इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान जाना बहुत जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया समाप्त कीजिये ।

श्री नारायण सिंह भैंसोरा—

अन्त में मैं, अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मुझे आशा है कि इन सीमांत जिलों में उद्योगों की स्थापना की जावेगी ।

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर अधिक विवाद नहीं चल सकता है । अब देवकुमार जी बोलेंगे और फिर मंत्री जी बोलेंगे । अब संभव नहीं है कि और कोई बोले ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये । आपकी पार्टी के दो आदमी बोल चुके हैं ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

आप स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मैं भाषण नहीं दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप बैठ जाइये । आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये । अब बहस समाप्त हुई । माननीय नेता विरोधी दल, श्री तिवारी जी आप कृपया अपने दल के वक्ताओं की सूची बना कर दीजिये । इसी प्रकार से माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी से भी कहूंगा कि आप भी सूची बना कर दें ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री भगवतीसिंह जी, आप बैठ जाइये । हर एक विवाद पर आपको अवसर नहीं दिया जा सकता । आप बैठ जाइये ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मान्यवर, मैं भाषण नहीं दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय नहीं है । आप दूसरे अनुदान पर बोलें तो आपकी पार्टी को एक अवसर मिल चुका है । प्रत्येक अनुदान पर बोलने का प्रयास न करें ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न है या नहीं, वह मैं जानता हूं ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मान्यवर, मैं आपके कमरे में लैफ्ट राइट नहीं करूंगा । मैं एक दल का अकेला सदस्य हूं प्रदेश में तो आप हमें नियमावली दे दें कि हर कटौती के बाद, कितनी कटौतियों के बाद, कितने मिनट के बाद, कितने सेकेण्ड मुझे बोलने के लिये मिलेंगे । मान्यवर, मेरा जिला लघु उद्योगों का सेन्टर है. . . ।

श्री अध्यक्ष—

आप केवल अकेले सदस्य हैं इसलिये प्रत्येक विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती । समय का विभाजन कुछ सदस्यों की संख्या के आधार पर और आप देखें माननीय नेता विरोधी दल. . . आप बैठ जाइये ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, आधा मिनट दे दिया जाये । एक सेकेण्ड दिया जाये । उससे ज्यादा समय नहीं लूंगा । आप मुझे सदन से निकाल भी दें, मैं बोलूंगा । मैं बोलूंगा । आप मुझे आधा सेकेण्ड दे दें. . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये । आप अपना स्थान ग्रहण कर लें ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह हिस्सा प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाय ।

यह गलत बात है मुझे आप लोग बराबर.. यह प्रोसीडिंग का भाग नहीं होगा ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

जिस अध्यक्ष को यह पता नहीं मैं कौन हूं आप तो सीधे सी० बी० आई० के मालूम होते हैं । (व्यवधान)..(अध्यक्ष द्वारा मार्शल को बुलाये जाने पर)

श्री अध्यक्ष—

श्री भगवती सिंह का आचरण निन्दनीय है । मैं इसकी भर्त्सना करता हूं । आपको ध्यान रखना चाहिए । आप नेता विरोधी दल से मिल कर अपना समय निश्चित कर लें । इस प्रकार से बार-बार आपको अनुमति नहीं दी जायेगी ।

उद्योग मंत्री (श्री राम प्रकाश)—

मैं इंगित करता हूं ...

श्री अध्यक्ष—

आप नहीं । मैं इंगित करता हूं ।

श्री राम प्रकाश—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि तीन दिन के लिये श्री भगवती प्रसाद सिंह को सदन से निष्काषित कर दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष—

आपसे मैंने कहा कि इस प्रकार से समय का विभाजन ... जब समय समाप्त हो गया है । तो आप लोग शांत रहिये । मैं श्री भगवती प्रसाद सिंह को पुनः चेतावनी देता हूं । आप कृपया बैठ जायं । मैं फिर इंगित करूंगा । आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री राम प्रकाश—

मैं माननीय भगवती प्रसाद सिंह को निलंबित करने के प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय भगवती प्रसाद सिंह को निलंबित करने का प्रस्ताव वापस लिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री भगवती प्रसाद सिंह के खड़े होकर बराबर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

यह सदन का अपमान है और इसलिए मैं फिर आपको इंगित करता हूं ।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम प्रकाश---

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय भगवती प्रसाद सिंह को 3 दिन के लिए सदन से निलंबित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि श्री भगवती प्रसाद सिंह को 3 दिन के लिए सदन से निलंबित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(श्री भगवती प्रसाद सिंह सदन के बाहर चले गये)

श्री अध्यक्ष---

यह निलंबन प्रथमतः 3 दिन के लिए होता है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

जब आप चले गये तो आपने जो व्यवस्था दी थी कि 2 सत्ता पक्ष से और 1 विरोध पक्ष से बोलेंगे, उस व्यवस्था का अनुपालन नहीं किया गया और वह 3 और 1 कर दिया गया इसलिये यह सारी गड़बड़ी हुई अन्यथा सबको समय मिल गया होता ।

श्री अध्यक्ष---

जब माननीय श्याम धर मिश्र जी ने मेरा ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था तो मैंने यह निश्चय नहीं किया था कि 2 और 1 बोलेंगे । मैंने यह व्यवस्था दी थी कि विरोध पक्ष को पर्याप्त समय दिया जायगा । मैंने सदैव इस बात की कोशिश की लेकिन माननीय भगवती प्रसाद सिंह जो अपने दल के अकेले सदस्य हैं, उनको 2 मर्तबा बोलने का अवसर दिया । किसी अकेले सदस्य को प्रत्येक बार समय दिया जाय, यह बड़ा कठिन है । इसलिए मैं नेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि जितने विरोध पक्ष के लोग हैं उनसे विचार-विमर्श करके उनकी सूची दे दें, उसका ध्यान रखा जायगा । अगर मेरा ध्यान इस ओर आकृष्ट करते तो मैं ध्यान रखता ।

श्री देव बहादुर सिंह---

मान्यवर, वे मार्कसिस्ट कम्युनिस्ट हैं, वे अपने को विरोध पक्ष में नहीं मानते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

वे विरोध पक्ष में ही बैठते हैं और बराबर आपका ही साथ देते हैं ।

1977-78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 23--लेखन सामग्री और मुद्रण, अनुदान संख्या 56-- उद्योग, अनुदान संख्या 57-ग्राम्य एवं लघु उद्योग, अनुदान संख्या 58-खानें एवं खनिज, अनुदान संख्या 77-विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 93-ऋण और अग्रिम उद्योग--(क्रमागत)

श्री देव कुमार---

मान्यवर, मैं दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों का बड़ा कृतज्ञ हूं जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव के संबंध में अपने सुझाव रखे हैं । मान्यवर, मैं इस सदन का ज्यादा वक्त नहीं लेना

[श्री देव कुमार—]

चाहूंगा लेकिन माननीय राजेंद्रकुमार जी ने एक बात कही कि मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए सदन के सामने यह कहा था कि बिरला जी को हिन्डैल्को के संबंध में विशेष रियायतें दी गयीं बिजली के संबंध में और जनता सरकार ने उनकी बिजली में कटौती के कुछ आदेश दिये लेकिन बाद में उनको बिजली दे दी गई । उन्होंने यह भी कहा था कि ये रियायतें कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई थीं जिनको हम समर्थन देते रहे हैं, हमारी दोस्ती रही है । यह बात सही है लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि यह मुहायदा माननीय सी० बी० गुप्ता ने वर्ष 1959 में किया था जो न केवल इस प्रदेश के बल्कि सारे देश के नेता हैं और आपकी पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं । हमको उम्मीद यही है कि जनता पार्टी ने जो औद्योगिक नीति बनाई है वह इस मुल्क में टाटा, बिरला और गोयन्का के लिए नहीं बल्कि देश के और प्रदेश के गरीबों और मेहनत कशों के लिए होगी जिससे हमारी खुशहाली बढ़ेगी ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का ध्यान खास तौर से मैं हथकरघा उद्योग, छोटे उद्योगों, कांच, चमड़ा और पावरलूम वगैरह की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं और निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी उनकी समस्याओं के संबंध में कोई सदन में घोषणा करें। इस वक्त जो स्थिति है वह भयंकर है । पावरलूप और हैंडलूम्स में लगे हुए बुनकरों को सूत नहीं मिलता, कच्चा माल नहीं मिलता और उनके माल की कोई खपत नहीं होती, बिक्री नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक दशा बहुत खराब हो रही है । मैंने कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए निवेदन किया था कि उनको कच्चा माल देने की गारन्टी या दायित्व सरकार अपने हाथ में ले ले और जो माल ऐसे उद्योगों द्वारा बनाया जाता है उसको बड़े उद्योगों के जरिये बनाने को मना कर दिया जाय । साथ ही जो माल बन जाता है उसकी खरीद और बिक्री की जिम्मेदारी भी सरकार को वहन करनी चाहिये । इसके लिए मेरा आग्रह है कि कोई निगम या कमीशन जिस रूप से चाहें इनकी समस्या के समाधान के लिए व्यवस्था करना जरूरी है । क्योंकि यह हमारा महत्वपूर्ण उद्योग है जिसमें लगे हुए लाखों की तादाद में गरीबों की जिन्दगी मौत का सवाल है, इसलिये मंत्री जी इस पर अवश्य प्रकाश डालें ।

दूसरा सवाल कानपुर की मिलों के संबंध में है, बहुत सी सिक मिल्स हैं और आप भी महसूस करते हैं कि.....

श्री अध्यक्ष—

देवकुमार जी आपको उत्तर देने का अधिकार है, कोई नई बात न कहिये । जो आपके लिये प्रश्न उपस्थित किये गये हैं, कृपया उनके उत्तर देने तक सीमित रखिये ।

श्री देव कुमार—

मान्यवर, मैंने कटौती के प्रस्ताव में कहा था कि स्पष्ट तौर से बतावें कि सरकार की क्या नीति है सिल्क मिल्स के बारे में । हमारी मांग थी कि सिक मिल्स को सरकार अधिगृहीत कर ले, क्योंकि उनमें लगे हुए तमाम श्रमिक लोग, टेक्नोक्रैट्स बहुत बेरोजगारी की जिन्दगी बसर कर रहे हैं । इसी प्रकार से कानपुर की मिलें जब चाहती हैं तालाबन्दी, छटनी वगैरह कर लेती हैं तो सरकार की इसमें क्या नीति है, इसकी घोषणा मंत्री जी करें तो मैं अनुगृहीत हूंगा ।

एक आखिरी बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं । जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा, मैंने कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए निवेदन किया कि जनता पार्टी की क्या उद्योग नीति है, सारी जनता जानना चाहती है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि निश्चित नहीं है, कोई समिति विचार करेगी लेकिन 6 महीने तक तो जनता सस्पेंस में नहीं रह सकती ।

रियासत हुसैन जी ने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा था कि आप इतनी बड़ी धनराशि तब मांगिये जब आपकी औद्योगिक नीति कोई मुकम्मिल तरीके से निश्चित हो जाय । करोड़ों की तादाद में आप रुपया लेकर क्या करेंगे ? इसमें पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देंगे, प्राइवेट सेक्टर को या कोआपरेटिव सेक्टर को ? किस औद्योगिक नीति के आधार पर आप इस प्रदेश के औद्योगीकरण को क्या दिशा देना चाहते हैं, यह निश्चित नहीं है । इसलिये मान्यवर, अगर मंत्री जी इस स्थिति में हों तो वह स्पष्टीकरण करें । इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा कटौती का प्रस्ताव माननीय सदन स्वीकार करेगा ।

श्री राम प्रकाश—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बड़ी गम्भीरतापूर्वक सुझाव रखे हैं और अधिकांश लोगों ने अपने-अपने क्षेत्रों के संबंध में उद्योगों को बढ़ाने की दृष्टि से रचनात्मक सुझाव भी प्रस्तुत किये हैं । मैं श्रीमन्, यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मैंने सबके विचार नोट कर लिये हैं और जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जायगी ।

श्रीमन्, जो नीति विषयक प्रश्न उठाये गये उस संबंध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं । ऐसा जो प्रश्न उठाया जाता है कि जनता पार्टी की कोई नीति नहीं है, मैं समझता हूं यह केवल नीति को न समझने का परिणाम है । नीति तो बहुत स्पष्ट है । मैंने पहले भी यह कहा था कि हमारी नीति बहुत स्पष्ट है । लेकिन उस नीति को कार्यान्वित करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय करने होते हैं और वह समय-समय पर किये जाते हैं, कोई एक ही दिन में नहीं होते । लेकिन नीति मैं स्पष्ट करना चाहता हूं । हमारी नीति यह है कि सारे देश के औद्योगीकरण का आधार कुटीर और छोटे उद्योगों को बनाया जाय । पहली बात । और इन कुटीर और छोटे उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बड़े उद्योग लगाये जायं । देश का औद्योगीकरण, देश का विकास, गरीबी और बेकारी को दूर करने का प्रयास इनका आधार छोटे-छोटे ग्रामीण उद्योग और विद्युत से चलने वाले या बिना विद्युत से चलने वाले ऐसे देशव्यापी फैले हुए उद्योग होंगे । इनके आधार पर ही अर्थ नियोजन का आधार बनाया जायगा और उसके बाद जो बाकी उद्योग होंगे वह इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये होंगे ।

जहां मैं इस नीति की घोषणा कर रहा हूं वहां कुछ बातें स्पष्ट करना आवश्यक हैं । जैसे, एक नीति यह हो सकती है कि निजी क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाय, बड़े-बड़े उद्योग लगाये जायं, जो जहां उद्योग लगाना चाहे उसके लिये उसको सुविधा दी जाय जैसा कि कुछ पश्चिम के देशों में होता है । तो यह नीति इस सरकार की नहीं है । एक दूसरी नीति कुछ सरकारों में चलती है कि सभी उद्योग सरकारी क्षेत्र में लगाये जायं और सरकार द्वारा औद्योगीकरण का एकाधिकार प्राप्त कर लिया जाय । तो यह नीति भी इस सरकार की नहीं है । यह दोनों नीतियां सही नहीं हैं । एक में एकाधिकार पूंजीपतियों के हाथ में आता है जो जनता का शोषण करते हैं और दूसरी में एकाधिकार शासन के हाथ में आता है जो लोकतंत्र का गला घोंट देता है । इसलिये एक तीसरी नीति बनाना चाहते हैं जिसको महात्मा गांधी ने कहा था कि शक्ति का विकेन्द्रीकरण हो, मोनोपली का निवारण हो और इस शक्ति के विकेन्द्रीकरण के लिये जो छोटे उद्योग लगाये जायेंगे, जो आर्थिक दृष्टि से विकेंद्रित व्यवस्था बनायी जायगी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ बड़े उद्योगों की आवश्यकता पड़ेगी, उन इंडस्ट्रीज को जो रा–मैटीरियल का उत्पादन करते हैं, उनकी

[श्री राम प्रकाश–]

आवश्यकता होगी । वह निजी क्षेत्र में लग सकते हैं, सरकारी क्षेत्र में लग सकते हैं । इसके बारे में जनता पार्टी की सरकार में कोई प्रेजुडिस नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र होने में कोई बुराई नहीं है । लेकिन सरकारी क्षेत्र का उद्देश्य क्या है ?

श्री अध्यक्ष––

माननीय मंत्री जी नेता विरोधी दल प्रश्न करना चाहते हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी––

अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं । चूंकि नीति की बात है, मैं समझता हूं कि केंद्रीय नीति और प्रदेश की नीति एक है, कोई अलग-अलग नहीं है । तो क्या यह सही नहीं है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक में यह निश्चित किया गया था कि सन् 56 में जो इंडस्ट्रियल पालिसी देश की थी वह ठीक है और उसके बाद फ़िर दोबारा मीटिंग जो हुई तीन दिन की उसमें कोई भी पालिसी तय नहीं की गयी, कहा गया कि बाद को तय करेंगे ?

श्री राम प्रकाश––

श्रीमन्, यह तो केन्द्र का विषय है कि उन्होंने क्या नीति तय की, लेकिन अनौपचारिक बैठकों के बारे में मैं यहां पर कुछ कहूं, यह ठीक नहीं है । मुझे भी केन्द्र की जानकारी है और उसी आधार पर जो केन्द्र की नीति है उसी का मैं प्रतिपादन कर रहा हूं ।

श्रीमन्, जहां तक सरकारी क्षेत्र का विषय है मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र का उद्देश्य मजदूरों की सहायता करना है, गरीब जनता की स्थिति को सुधारना है, अगर सरकारी क्षेत्र अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाता तो केवल चूंकि सरकारी क्षेत्र है इसलिये हमें उसमें कोई आकर्षण नहीं है । जहां-जहां मजदूरों और कारीगरों का शोषण हो रहा है जैसे कालीन उद्योग में हो रहा है । चर्म उद्योग में हो रहा है, लखनऊ के चिकन उद्योग में हो रहा है और भी अन्य क्षेत्र में जहां पर निजी क्षेत्र में काम करने वाले व्यापारी अपना एकाधिकार समझते हैं। मजदूरों का मुनाफा हड़प जाते हैं। वहां हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि शासन उस क्षेत्र में प्रवेश करे, एक्सपोर्ट करे और कारीगरों और मजदूरों को जो वेतन मिलता है उससे दुगना ढाई गुना वेतन उनको दिलवायें। लेकिन हम इसलिये उस क्षेत्र में नहीं जाना आवश्यक समझते कि सरकारी क्षेत्र में जाने के बाद बहुत बड़े घाटे हो रहे हैं। इसलिये यह देखना पड़ता है कि सरकारी क्षेत्र ठीक तरह से काम करें। अगर वह ठीक तरह से काम करता है तो उसे बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है। निजी क्षेत्र के बारे में यह कहना चाहूंगा कि यदि उसके द्वारा किसी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ता है और सरकार भी उस क्षेत्र में जाने में असमर्थ है क्योंकि उसके पास पूंजी नियोजन के लिये पर्याप्त नहीं है तो निजी क्षेत्र को रोकना नहीं चाहियें। जैसे पूर्व क्षेत्र में सरकार की कोई योजना नहीं बनती और निजी क्षेत्र में काम करने वाला कहता है कि अल्कोहल का उपयोग करके कारखाना लगायेंगे और जो रा-मैटिरियल होगा उसके आधार पर 500 छोटे उद्योग लग सकते हैं । मैं उसका स्वागत करूंगा। हमारी सरकार की नीति छोटे उद्योगों को तैयार करने की है और उनको प्रोत्साहन देने की है। छोटे मजदूरों के वेतन में बढ़ोत्तरी हो इस कसौटी पर जो कुछ भी आवश्यक होगा वह हम करेंगे । यह हमारी नीति है । इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिये ।

दूसरी बात यह उठायी गयी कि बजट में जो आकड़ें दिये हैं वह हमारी घोषणा से मेल नहीं खाते। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि बजट विस्तार में होता है और अगर

उसका अध्ययन करें तो जो शंकायें हैं उनका निवारण हो जायगा। कर्घा उद्योग में बताया गया कि रुपया कम कर दिया। जो यह पुस्तिका है इसमें पृष्ठ 7 पर देखें तो बहुत पैसा रखा है। केवल 49 लाख नहीं है। 76–77 में पूरा खर्च है 2 करोड़ 63 लाख। जबकि 77–78 में यह बढ़कर 5 करोड़ 28 लाख हो गया है। माननीय सदस्य ने किसी एक मद को देख लिया होगा। रुपये की कमी नहीं की गयी है। एक बात और कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जो नायाडा अथोरिटी बनी थी वह प्लानिंग कमीशन की अनुमति के बिना बनायी गयी थी और 20 करोड़ का बजट रखा था। लेकिन प्लानिंग कमीशन ने उसको एप्रूव नहीं किया। इसलिये इस वर्ष के बजट में उसके लिये प्रावीजन नहीं कर पाये। जब प्लानिंग कमीशन से वह एप्रूव हो जायगा तो उसके लिये आवश्यक धनराशि दे दी जायगी यही एक अन्तर है जो विशेष रूप से दिखाई पड़ता है अन्यथा उद्योग के लिये जो प्रावीजन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अगर पूरे बजट को देखें तो छोटे उद्योगों के लिये नये-नये प्राविधान किये गये हैं।

एक प्रश्न यह उठाया गया कि हरिजनों के उद्योग की बात नहीं कही गयी है। तो मैंने तो ऐसी पहले घोषणा की कि सरकार ने औद्योगिक नीति बनाई है। जिन लोगों के पास भूमि नहीं है। जिन लोगों के पास सम्पत्ति नहीं है, बल्कि बैंक में पैसा नहीं है। उनको भी उद्योगों का मालिक बनाना चाहते हैं। इसलिये मैंने एक योजना प्रस्तुत की थी जो विशेषकर भूमिहीनों के लिये है। जिसे अंतोदय उद्योग का नाम दिया है। इसके अन्तर्गत 15–20 लोगों की एक सहकारी समिति बनायी जायगी जिसमें एक लाख से 10 लाख रुपया लगाया जायगा। यह समिति उद्योग विभाग के अधिकारियों के नियंत्रण में रहेगी। तब तक रहेगी जब तक मुनाफा न होने लगे। मुनाफा होन के बाद यह समिति हरिजनों में हस्तांतरित कर दी जायगी। तो इस तरह व्यवस्था हरिजनों के बारे में की गई है। लेकिन शायद यह बात समझे नहीं है, इसलिये कह दिया। एक प्रश्न और उठाया गया कि बेकारी का निवारण कैसे होगा? सरकार सजग है कि बेकारी का निवारण कैसे किया जाय। बेकारी के जो आकड़े उपलब्ध हैं उनको छोड़े देता हूं तो मैं समझता हूं कि अपने प्रदेश में 10 करोड़ की पापुलेशन है। तो करीब-करीब दो ढ़ाई करोड़ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको कार्य करना चाहिये। इनको कैसे काम दिया, प्रति वर्ष पापुलेशन बढ़ती जा रही है। जो बढ़ोत्तरी होगी उनको काम कैसे दिया जाय इसकी प्लानिंग करना है। तो मैंने इसलिये कहा था कि योजना बन रही है। थोड़े दिनों के बाद स्पष्ट विचार आयेगा कि जो बेकारी की समस्या है उसके निवारण के लिये 10 वर्षों में किस प्रकार से काम करेंगे कि इसको दूर किया जाय। जैसे हैन्डूलम क उद्योग में 15 लाख लोग लग हुये हैं। इसमें कम से कम 10 लाख लोग ऐसे होंगे जिन्हें अपना वेतन पूरा नहीं मिलता। तो पहले इनको सक्षम बनाने के लिये, इनको ठीक वेतन दें, उसके बाद इस उद्योग में 20 लाख लोग भी हो सकते हैं। ऐसे ही अनेक क्षेत्रों में लोग लगे हुये है, काम में लगे हुये हैं, इनको कैसे उठाया जाय इस बारे में विचार करना है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मान लीजिये कि 1 करोड़ की पूंजी हमारे पास पूंजी-नियोजन के लिये है। अगर बड़े उद्योग लगायेंगे तो 1 लाख रुपये पर एक आदमी को काम मिलेगा, हो सकता है कि दो को भी मिल जाय। 1 लाख पर एक आदमी को मिलेगा। तो एक करोड़ रुपये से 100 आदमियों को काम मिलेगा। इससे बेकारी दूर नहीं हो सकती। बड़े उद्योग बेकारी के निवारण का साधन नहीं हैं। बड़े उद्योगों

[श्री राम प्रकाश--]

को छोटे उद्योगों की सहायता का साधन होना चाहिये। तो बड़े उद्योगों को खोलकर बेकारी की समस्या को दूर नही किया जा सकता। छोटे उद्योंगों में 10 हजार रुपये के इन्वेस्टमेंट पर एक आदमी को काम मिलता है। इसलिये जहां पूंजी की कमी है वहां प्रदेश के बड़े उद्योंगों से बेकारी का निवारण नहीं हो सकता, इसलिये बेकारी का निवारण करने के लिये यह नीति हमने निर्धारित की है।

श्रीमन्, यह विषय भी उठाया गया कि छोटे उद्योगों को कैसे संरक्षण दिया जाय। मैंने इस बारे में पहले भी निवेदन किया था कि हम चाहते हैं कि जो सामान कुटीर उद्योग बनाते हैं। वह छोटे उद्योग न बनायें। जो सामान छोटे उद्योग बनाते है वह बड़े उद्योग न बनायें। इसी प्रकार क्षेत्रों का विभाजन कर दिया जाय तो संघर्ष नहीं होगा और इनको संरक्षण मिलेगा। लेकिन समस्या क्या है कि पिछले समय में बड़े-बड़े उद्योगों को लगा दिया गया है। टूथ पेस्ट के बड़े उद्योग लगा दिये गये। बाटा जैसी कम्पनियों को प्रोत्साहन दिया गया जो छा गई। यह सारी समस्यायें हैं कि इनका कैसे निवारण करे। जो ऐसे बड़े पुराने उद्योग है। जो छोटे उद्योगों की प्रतिद्वंद्विता में आ रहे हैं और उपभोक्ता वस्तुओं को तैयार कर रहे हैं। उनको इस क्षेत्र से कैसे हटाया जाय यह सवाल है। जो उद्योग लग चुके हैं। हम उनको नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहते। हम इस पर विचार कर रहे हैं। हम नीति की घोषणा कर दें, नीति बन जाय, लेकिन बड़े उद्योग जो उपभोक्ता वस्तुयें तैयार करते हैं। उन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली। बहुत अपने पुरानी इंडस्ट्रियल केपेसिटी बढ़ा रहे हैं।

इसलिये संरक्षण देने के लिये इस नीति का बड़ी कड़ाई से पालन करना होगा कि जो कुटीर उद्योग के सामान बनाते हैं वह सुरक्षित रहें, छोटे उद्योग सुरक्षित रहें और बड़े उद्योग इन दोनों की सहायता के लिये कच्चा माल बनाने या एक्सपोर्ट में सहायता करें। श्रीमन्, जहां तक सहायता का सवाल है, ऋण देने का सवाल है तो वह सरकार कर सकती है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

जो बहुउद्देशीय कम्पनियां हैं, जिनकी संख्या 50 है। उनकी हर कम्पनी का बजट हिन्दुस्तान के सालाना बजट से ज्यादा होता है। ऐसे जो उद्योग हैं वह छोटे उद्योगों को मार रहे हैं जैसा कि मंत्रीजी ने बताया कि बाटा कम्पनी। तो मैं जानना चाहता हूं कि इन बहुउद्देशीय कम्पनी को कम प्रोत्साहन देने के लिये या उनको समाप्त करने के लिये और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये क्या सरकार की कोई नीति बनने जा रही है?

श्री राम प्रकाश--

श्रीमन्, यह तो केन्द्र का प्रश्न है। विदेशी कम्पनियों के बारे में केन्द्र सरकार जैसी नीति तय करेगी, वैसा होगा।

तो श्रीमन्, जो प्रश्न उठाये गये उनका संक्षेप में मैंने उत्तर दिया है और जो सुझाव माननीय सदस्यों ने रखे हैं मैं उसके अनुसार विचार करूंगा। मै निवेदन करूंगा कि छोटे उद्योगों के प्रोत्साहन का जो विषय है उसमें सरकारी क्षेत्र यह नहीं है कि छोटे-छोटे उद्योग निजी क्षेत्र में लगेंगे। स्थानीय आधार पर गांव के रहने वाले जो हैं उनको इसमें आना होगा। तो माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि अपने अपने विधान सभा क्षेत्र में अध्ययन करें और हमारी तथा विभाग की सहायता करें इस प्रकार का वातावरण बनाने में आप लोग मदद दे कि छोटे-छोटे लोग उद्योग लगायें। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि 15 ग्राम सभाओं को मिलाकर उनके बीच में एक रूरल ग्रोथ सेन्टर हम खोलना चाहते हैं जो धीरे-धीरे विकसित होंगे।

ग्रामीण उद्योग वही होंगे जहां कच्चा माल उपलब्ध हो सकेगा । इसलिये माननीय सदस्य सुझाव देंगे कि किस कच्चे माल का उपयोग किस उद्योग में और कहां हो सकता है । मैं अभी मिर्जापुर में गया था तो वहां लाख का उद्योग होता था, लेकिन अब वहां यह उद्योग नहीं रहा । इस तरह परम्परागत उद्योग पुराने काल में समाप्त हो गये लेकिन अब हम उनको जाग्रत कर सकते हैं कि कहां कितना माल उपलब्ध है और वहां कितने उद्योग लगाये जा सकते हैं । इसके लिए भूमिहीन मजदूर और किसान सामने आयें । इसमें मैं निवेदन करना चाहता था कि भूमिहीनों को एक सहकारी आधार पर उद्योगों को चलाना होगा । इसके लिए एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा युवक हो और जिसमें काम करने की क्षमता हो, यदि वह टेक्निकल आदमी हो तो और अच्छा है, वह उद्योग विभाग की सहायता करेगा और बाद में उसको मैनेजमेंट सौंप सकेंगे । इस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा ।

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)--

मुझे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष--

अब समय नहीं है। आप बैठें । व्यवधान न करें।

श्री राम प्रकाश--

इसी सुझाव के अनुसार मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा और यदि कोई सुझाव रह गये हों तो माननीय सदस्य लिखकर भेज दें उन पर भी विचार कर लिया जायेगा । इसी अनुरोध के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपने कटौती के प्रस्ताव वापस ले लेंगे ।

श्री देव कुमार--

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि हिन्डालको और चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण को लेकर इस प्रदेश में मांग बहुत दिनों से चल रही है।

श्री अध्यक्ष--

आप अपने कटमोशन वापस लेते हैं कि नहीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23--लेखन-सामग्री और मुद्रण-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23-लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,22,43,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56—उद्योग—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56—उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,22,23,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57—ग्राम एवं लघु उद्योग-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57—ग्राम्य एवं लघु उद्योग केअन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,11,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58—खानें तथा खनिज-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58—खानें एवं खनिज के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 34,26,500 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77—विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 77-विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को अतिक्रमित करते हुए 14,16,77,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 93-ऋण और अग्रिम-उद्योग सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 93-ऋण और अग्रिम-उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,41,72,500 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

जितनी सूचनायें प्राप्त हुई हैं इनमें से सर्व श्री सोहन वीर सिंह तोमर, श्री मोहन सिंह, श्री अरुण कुमार एवं श्री जगदीश सिंह की सूचनायें मैंने स्वीकार की है। यह है "इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण छात्रों द्वारा उपकुलपति का उनके निवास स्थान पर घेराव तथा आमरण अनशन।"

माननीय शिक्षा मंत्री जी इस पर वक्तव्य देना कब संभव होगा ?

शिक्षा उप मंत्री (श्रीमती मालती शर्मा)--

समय दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

आप समय मांगिये, कब आप दे सकेंगी ?

श्रीमती मालती शर्मा--

एक सप्ताह का समय दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

ऐसा है, उचित होगा आप 26 तारीख को इस में वक्तव्य दे दें।

श्रीमती मालती शर्मा--

ठीक है।

श्री अध्यक्ष---

श्री गनेशी लाल जी ने एक सूचना दी थी कि दिनांक 13-9-77 को लगभग 3 बजे एक हरिजन बालक जो ग्राम शाहब नगर का रहने वाला था, की सीतापुर नगर गांव के पास बिजली के ढीले तार से टकराने के कारण मृत्यु । इसी प्रकार का एक प्रश्न जो श्री राजेंद्र कुमार जी ने रखा था और माननीय विद्युत मंत्री जी ने वक्तव्य दिया था । मैंने केवल इसको वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है और उद्योग मंत्री जी से कहूंगा कि वह इसे विद्युत मंत्री जी तक पहुंचा दें जिस पर वह अपना वक्तव्य दें ।

श्री ब्रह्‌दत्त द्विवेदी और श्री श्रीनारायण जी ने कहा है कि बोर्ड आफ़ हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडिएड एजूकेशन उत्तर प्रदेश के 76-77 के सवा लाख परीक्षार्थियों के परीक्षाफल का घोषित न होना और 77-78 के परीक्षाफार्मों का उपलब्ध न होना । यह बड़ा आवश्यक है कि अभी तक परीक्षाफल निकला नहीं और परीक्षा फार्म की तारीख समाप्त होने वाली है । यह मैंने स्वीकृत नहीं किया है लेकिन शिक्षा मंत्री जी इसके संबंध में एक वक्तव्य दे दें । इस पर वक्तव्य आप सोमवार को ही दे दीजिये 26 तारीख को।

एक सदस्य---

मान्यवर, मैंने शाहजहांपुर का दिया था ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने जो स्वीकार किये हैं, बतला दिये हैं । इस पर आप मुझ से बात कर लें उसके बाद देखेंगे ।

उद्योग मंत्री जी विद्युत वाले प्रश्न पर जो श्री गनेशी लाल जी का था उस पर 24 तारीख को ही वक्तव्य दे दीजिये । या 24 को संभव न हो तो 26 को दे दीजिये ।

कई सदस्य---

26 को तो बहुत हो गये।

श्री अध्यक्ष---

24 को कैसा रहेगा?

उद्योग मंत्री (श्री राम प्रकाश)---

24 को रख लीजिये।

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी के सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों में हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

शिक्षा उपमंत्री (श्रीमती मालती शर्मा)---

मान्यवर, शासन को विभिन्न माध्यमों से, अर्थात् झांसी की जनता, छात्र संघों, सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा समाचार-पत्रों, बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, झांसी में व्याप्त अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, परीक्षाओं में धांधलियों तथा शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों में पक्षपात किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है । यह सूचना भी मिली है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों ने 23 अगस्त, 1977 को एक दिन का सामूहिक अवकाश लिया तथा उन्होंने क्रमिक अनशन भी किया । इन सभी सूचनाओं पर विचार करके शासन द्वारा यह निर्णय किया गया है कि विश्वविद्यालय में हुई कथित अनियमितताओं की जांच कराई जाय । तदनुसार दिनांक 17 सितम्बर, 1977 को शासन द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 8 की उपधारा (1)

के अन्तर्गत श्री कृष्ण किशोर, आयुक्त, झांसी मंडल, झांसी द्वारा जांच किये जाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं । ये तीन मास के अन्दर जांच पूरी करके अपनी सिफारिशें शासन को प्रस्तुत करेंगे ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)---

विश्वविद्यालय में जांच अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के संबंध में शासन का ध्यान जुलाई में ही दिलाया गया था । बुन्देलखंड के अधिकांश विधायकों ने भी कुलपति के विरुद्ध मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था और शासन को उनके विरुद्ध एक ज्ञापन भी दिया । इसके बावजूद कोई कार्यवाही न होने पर 23 अगस्त से शिक्षकों ने आन्दोलन प्रारम्भ किया । मैंने नियम 51 के अन्तर्गत 13 सितम्बर को नोटिस दिया था और आज यह वक्तव्य दिया जा रहा है । 17 सितम्बर को जांच के आदेश दिये गये । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब 13 तारीख को नियम 51 के अन्तर्गत प्रश्न स्वीकृत हो गया तो फिर भी समूचे बुन्देलखंड में शिक्षकों का आन्दोलन क्यों फैलने दिया गया और उनको हड़ताल करने पर मजबूर किया गया और 13 से 17 के बीच जांच आदेश न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती मालती शर्मा---

शासन के पास तमाम प्रकार की सूचनायें जब एकत्रित हो गयीं उनके उपलब्ध होने के पश्चात् ही जांच के आदेश दे दिये गये ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त---

मेरा प्रश्न यह था कि शासन का ध्यान बहुत पहले जुलाई से ही आकर्षित कर दिया गया था । विधायकों ने भी ध्यान आकर्षित किया, फिर नियम 51 के अन्तर्गत 13 सितम्बर को सूचना देने के बाद 17 को जांच के आदेश दे दिये गये तो इतनी देर क्यों लगाई गयी जांच आदेश देने में दूसरी अनियमितताओं के संदर्भ में कुछ कार्यवाही न होने के कारण अध्यापकों को आन्दोलन के लिये प्रेरित होना पड़ा तो इसके लिए उनका विक्टेमाइजेशन नहीं होगा और हड़ताल के दौरान उनका वेतन भी नहीं काटा जायगा क्या सरकार इस बात का आश्वासन देने को तैयार है ?

श्री अध्यक्ष---

पहले प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री ने दे दिया है । दूसरे प्रश्न का उत्तर शिक्षा मंत्री जी दे दें ?

श्रीमती मालती शर्मा---

यदि शिक्षकों की ओर से कोई इस प्रकार का प्रार्थना-पत्र आयेगा कि हड़ताल के दौरान का वेतन उनको दिया जाय और न काटा जाय तो शासन उस पर विचार करेगा ।

श्री अध्यक्ष---

15 मिनट सदन का समय बढ़ाया जाता है ।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)---

मेरी निजी जानकारी है कि बुन्देलखंड विश्वविद्यालय के अन्तर्गत महाविद्यालयों के शिक्षकों की मांगों का जहां तक संबंध है उनमें एक मांग यह थी कि पं0 जवाहरलाल नेहरू डिग्री कालेज के शिक्षकों के 1 लाख 10 हजार रुपये प्राविडेंट फंड में जमा नहीं किये गये । पिछली मैनजमेंट कमेटी के जरिये, इसलिये वह अनशन और हड़ताल में थे । मैं मंत्री जी से

[श्री देवकुमार ---]

जानना चाहता हूं कि वह 1 लाख 10 हजार रुपये पी0एफ0 में जमा कराने के संबंध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्रीमती मालती शर्मा --

मान्यवर, यदि उचित जानकारी माननीय सदस्य की है तो वह लिख कर दे दें, इसकी जांच करा ली जायेगी ।

श्री अध्यक्ष ---

यह जानकारी आपको उन्होंने दे दी है, आप इसकी स्वयं जांच करा लें ।

श्री देव कुमार ---

यह बहुत अहम सवाल है यह निजी जानकारी है ।

श्री अध्यक्ष ---

यह मैंने कह दिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर) ---

मान्यवर, जब गम्भीर आरोप विभिन्न सूत्रों से शासन को मिले हैं और मेरी जानकारी के अनुसार उन सब के लिए वहां के उपकुलपति जिम्मेदार हैं क्या यह सही है कि उनका सेवा काल समाप्त हो रहा था बजाय उनको दंडित करने के उनकी सेवा में विस्तार किया गया है यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती मालती शर्मा --

मान्यवर, इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार --

क्या उनको एक्सटेंशन दिया गया है?

श्री अध्यक्ष----

आपका जो प्रश्न है कि उनके खिलाफ आरोप हैं उसका उत्तर दे दिया कि कमिश्नर द्वारा उच्चस्तरीय जांच करा रहे हैं। अब आपका प्रश्न केवल यह है कि उपकुलपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा था उनको फिर से एक्सटेंशन दे दिया गया । तो क्या उनको एक्सटेंशन दिया गया?

श्रीमती मालती शर्मा---

मान्यवर, अग्रिम आदेश तक उनको अपने पद पर बने रहने का आदेश दिया गया है।

श्री राजेंद्र कुमार- -

जवाब नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष- -

उत्तर हो गया है । जवाब स्पष्ट है जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक उनको नहीं हटाया जायेगा।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)- -

मान्यवर, यह बताया जाय कि जो टर्म आफ रिफरेंस आयोग को दिये गये हैं वह क्या हैं? क्या कुलपति के खिलाफ जो शिकायतें हैं उनकी भी जांच की जायेगी । दूसरा यह भी

बताया जाय कि क्या टर्म्स आफ रिफरेंस हैं ? यह भी बताया जाय कि शिकायतें कब आई ?

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक सदस्य एक बार चार सवाल पूछ सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

ठीक है एक मर्तबा एक ही प्रश्न पूछना चाहिये । एक प्रश्न से ज्यादा नहीं करना चाहिये ।

श्रीमती मालती शर्मा---

मान्यवर, लगभग 75 शिकायती पत्र शासन को विभिन्न श्रोतों से प्राप्त हुए और सभी शिकायती पत्र जुलाई और सितम्बर के बीच प्राप्त हुए ।

श्री श्याम धर मिश्र---

टर्म्स आफ रिफरेंस क्या हैं ? इसका जवाब नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष---

उनका मंत्री जी, एक प्रश्न यह भी था कि जांच के लिए टर्म्स आफ रेफरेंस क्या हैं ? क्या उसमें उपकुलपति के विरुद्ध जांच भी सम्मिलित हैं ?

श्रीमती मालती शर्मा---

मान्यवर, जो 75 शिकायती पत्र हैं उन सभी की जांच के लिये कमिश्नर नियुक्त हुआ हैं, उनको सब जांच करने के लिये दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष---

उसमें एक बात यह भी पूछी गई हैं कि उपकुलपति के विरुद्ध जांच भी सम्मिलित है ?

श्रीमती मालती शर्मा---

जी हां ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की भी जांच करायेंगे कि चूंकि वह उपकुलपति मायनारिटी कम्युनिटी के है इसलिये यह सारे षड़यंत्र उनको हटाने के लिये रचे जा रहे हैं ?

श्रीमती मालती शर्मा---

जितने भी आक्षेप आये हैं उन सब की जांच हो रही है कमिश्नर के द्वारा और उसमें इस प्रकार की कोई भावना नहीं है।

श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)---

मंत्री जी ने बताया है अपने वक्तव्य में कि उनके ऊपर जो इल्जामात हैं, उसमें जो नियुक्तियों में पक्षपात हुआ है, वह भी है, तो क्या मंत्री जी बतायेंगी कि किस पक्ष की कितनी नियक्तियां हुई हैं दोनों पक्षों की वह अलग अलग बता दें ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो इसमें है नहीं। क्या मंत्री जी इसकी जानकारी दे सकेंगी।

श्रीमती मालती शर्मा--

किसी विशेष कम्युनिटी के लिए मुझे कोई जानकारी नहीं है। यदि सदस्य को हो तो लिख कर दे दें, मैं देख लूंगी।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगी कि जून, 1977 के पूर्व भी कोई शिकायत शासन के पास कुलपति के विरुद्ध आई थी ?

श्रीमती मालती शर्मा--

मान्यवर, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, माननीय सदस्य चाहते हैं तो जानकारी करा ली जायेगी।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी, जो उन्होंने कहा है कि छात्र संघों की ओर शिकायतें आई थीं, तो छात्रसंघ तो उस समय थे नहीं, तो किन छात्रसंघों की ओर से शिकायतें आई हैं ? और क्योंकि अभीतक छात्रसंघों का निर्माण नहीं हो पाया है तो क्या वह इनके निर्माण की योजना तत्काल बनायेंगी ?

श्री अध्यक्ष--

आपका दूसरा प्रश्न नहीं पैदा होता है, इसमें।

श्रीमती मालती शर्मा--

किसी विशेष छात्र संघ का कोई उल्लेख नहीं है, यदि माननीय सदस्य को किसी विशेष छात्र संघ की जानकारी हो तो वह हमें दे दें।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगी कि जांच के टर्म्स आफ रेफरेंस क्या-क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष--

इसमें टर्म्स आफ रेफरेंस क्या हैं, क्या आप इसको कृपा करके बता सकेंगी ?

श्रीमती मालती शर्मा--

इसके लिये मुझे विभाग से जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी।

एक सदस्य--

यह क्या जवाब हुआ।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया कि उनकी जानकारी नहीं है इसमें थोड़ा आपकी सहानुभूति होनी चाहिए।

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि कुलपति महोदय का कार्यकाल समाप्त हो गया और कितने समय का उनको एक्सटेंशन दिया गया है ?

श्रीमती मालती शर्मा--

इनका कार्यकाल 25 अगस्त, 1977 तक के लिये था। शिकायती पत्रों में यह भी मांग की गयी थी कि उनका कार्यकाल आगे न बढ़ाया जाय। किन्तु अग्रिम कार्यवाही तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मुझे बड़ा दुःख है, शिक्षा विभाग की ओर से जैसे उत्तर आज प्रातः काल दिये गये, वैसे इस समय भी दिये जा रहे हैं। ये इतने अपर्याप्त हैं कि इनपर क्या कहूं। यदि यह महिला शिक्षा मंत्री का पहला दिन न होता, तो मैं कहता कि शिक्षा मंत्री जी जो उप मंत्री हैं, उनके विभाग का परिवर्तन कम से कम किया जाय तो मैं आग्रह करूंगा कि यह हो नहीं सकता कि श्रीमन्, आपको भी शासन का काफी अनुभव है, जब पत्रावली माननीय मंत्रीजी के पास हो तो अधिनियम 73 के अनुसार जो आदेश जारी हुए हैं, वह उनकी पत्रावली में न हो? और उसमें टर्म्स आफ रेफरेंस लिखे होगें?

श्री अध्यक्ष--

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि माननीय उपमंत्री आज पहले मर्तवा सदन में आई हैं और उन्होंने पर्याप्त कोशिश की है और दुर्भाग्य से... (व्यवधान)..आप लोग बीच में कोई न बोलें। माननीय शिक्षा मंत्री जी अस्वस्थ, हैं, उन्होंने बताया भी। मैं उद्योगमंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वह इसे जरा देखें, विभाग की भी जिम्मेदारी है कि उनको समय से फाइलें दी जायं पत्रावली देर से दी गई है।

तो इसलिये माननीय उपमंत्री जी की भी कठिनाई थी। उस पर माननीय नेता विरोधी दल को सहानुभूति होनी चाहिए। आगे मैं समझता हूं कि पर्याप्त समय से उसको देख कर आयेंगी और इस वक्त वह देख लें जहां पर अधिनियम के अनुसार जो जांच का आदेश दिया गया है उसमें टर्म्स आफ रेफरेंस होंगे। अगर आप देख सकें तो कृपया देख लें। उसमें टर्म्स आफ रेफरेंस होगा।

श्रीमती मालती शर्मा--

मान्यवर, मैं पढ़कर सुनाये देती हूं। "चूंकि बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय के प्रशासन और धन के दुरुपयोग से सम्बन्धित मामलों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा पदीयस्थिति और प्राधिकार का दुरुपयोग करने, भाई-भतीजावाद, पक्षपात, वित्तीय अनियमितायें और विधि के उपबन्धों का उल्लंघन किये जाने के संबंध में गम्भीर आरोप लगाये गये हैं;

2--अतएव, अब, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974) के साथ पठित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10,1973) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते हैं कि श्री कृष्ण किशोर आयुक्त, झांसी डिवीजन, झांसी उक्त विश्वविद्यालय का जिसमें उसके भवन, कार्यालय, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और उसकी अन्य संस्थायें भी सम्मिलित हैं, निरीक्षण करेंगे और विश्वविद्यालय के, इसमें आगे बताये गये कार्य-कलापों की जांच करेंगे;

3--उक्त आयुक्त--

(1) विगत दो वर्षों से विश्वविद्यालय में व्याप्त असंतोष और आन्दोलन की स्थिति की जांच करेंगे और उस पर रिपोर्ट देंगे और स्थिति को सुधारने और विश्वविद्यालय म

[श्रीमती मालती शर्मा---]

अनुशासन के सामान्य वातावरण और प्रशासन में सुधार करने के लिए ऐसी सिफारिश करेंगे जो आवश्यक और समीचीन समझी जायं । रिपोर्ट मोटे तौर पर निम्नलिखित विषयों और उनके कारणों से संबंधित होगी---

(1) भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और स्वीकृत पदों पर कार्यालय कर्मचारिवर्ग की तदर्थ नियुक्तियां, करने की शिकायतें;

(2) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संचालन और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन में की गयी अनियमिततायें;

(3) प्रवेश के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित नियमों के उल्लंघन में विभिन्न कक्षाओं-विशिष्टतः बी० एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश करने और अपने कृपापात्रों के प्रवेश के लिए बी०एड० कक्षाओं में अतिरिक्त स्थानों के अनुमोदन के संबंध में की गयी अनियमिततायें;

(4) अध्यापकों को उत्पीड़ित करने की शिकायतें;

(5) अध्ययन बोर्ड की सिफारिशों की पूर्णतया अवहेलना करके अपने कृपापात्रों को परीक्षक प्रश्न पत्र बनाने वालों सारणीयक (टेबुलेटर) संशोधक के आदि के रूप में नियुक्त करना;

(6) विश्वविद्यालय कर्मचारिवर्ग में व्याप्त भ्रष्टाचार और कदाचार की शिकायतें;

(7) ऐसे परीक्षार्थियों के साथ पक्षपात करना जो परीक्षा में अनुचित उपायों का प्रयोग करते हुये पकड़े गये थे."

श्री अध्यक्ष---

अब समय समाप्त हो गया । अब हम उठते हैं ।

श्रीमती मालती शर्मा :---

मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगी कि एक मिनट का समय बोलने के लिये दें ।

श्री अध्यक्ष---

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 15 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ:
21 सितम्बर, 1977 ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 307 पर)

उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की सार्वजनिक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियरों से सम्बन्धित मांगों तथा उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण

मांगें	की गई कार्यवाही
1—85 दिन की हड़ताल अवधि का वेतन	1—शासन ने यह निर्णय लिया था कि हड़ताल अवधि की अनधिकृत अनुपस्थिति का वेतन न दिया जाय तथा उस अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये न की जाय अनुशासन के दृष्टिकोण से इस निर्णय को बदलने का कोई औचित्य नहीं पाया गया ।
2—जूनियर इंजीनियरों के वेतन में असंगतियों को दूर किया जाना।	2—(i) सामान्य ग्रेड—उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1971—73) की संस्तुति पर रु0 175—300 से बढ़ाकर रु0 300—500 निर्धारित किया गया था। केवल जूनियर इंजीनियरों को केन्द्र के समान वेतन देने का औचित्य नहीं पाया गया ।
	(ii) सलेक्शन ग्रेड—वेतन आयोग ने स्थायी पदों के 10 प्रति0 की वेतनक्रम 400—600 रु0 के सलक्शन ग्रेड में लेने की संस्तुति की थी। शासन ने इसके बजाय जूनियर इंजीयनियरों के कुल पदों (स्थायी व अस्थायी) के 20 प्रतिशत को वेतन क्रम रु0 400—750 का सलक्शन ग्रेड स्वीकृत कर दिया है ।
3—जूनियर इंजीनियर्स की अभियन्ता संवर्ग के पदों पर (i) प्रोन्नति कोटे में वृद्धि एवं (ii) उनका संरक्षण।	3—(i) सहायक अभियन्ताओं के पद पर वर्तमान 25 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाना तकनीकी दृष्टिकोण से तथा कार्यहित में उचित नहीं समझा गया ।
	(ii) अवर अभियन्ता की प्रथम प्रोन्नति सहायक अभियन्ता के पद में निर्धारित 25 प्रतिशत पदों पर की जाती है । सहायक अभियन्ता के पद से उच्च पदों यथा अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता तथा अन्य उच्चतर पदों पर क्रमानुसार संवर्गवार प्रोन्नतियां की जाती हैं । अतः प्रथम प्रोन्नति के पश्चात् कोई आरक्षण अपेक्षित नहीं है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मांगें	की गई कार्यवाही
4--पदनाम परिवर्तन	4--सार्वजनिक निर्माण विभाग में ओवरसियरों का नाम "जूनियर इंजीनियर" कर दिया गया है।
5--प्रवरण श्रेणी (सलेक्शन ग्रेड) के पदों का सृजन एवं उनकी पूर्ति।	5--शासन के जूनियर इंजीनियर्स के अस्थायी एवं स्थायी पदों के 20 प्रतिशत के हिसाब से 470 जूनियर इंजीनियर्स तथा 45 सगणकों को वेतनक्रम रु0 400-750 का सेलक्शन ग्रेड स्वीकृत कर दिया है तथा उपरोक्त में से 9 पदों को भरा जाना अवशेष है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 309 पर)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, शिक्षक भवन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ द्वारा 7 अगस्त, 1977 को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन में उल्लिखित मांगें

1--समान शिक्षा समान अवसर का मार्ग प्रशस्त करने हेतु सरकारी और गैरसरकारी स्कूल का भेद-भाव समाप्त कर अविलम्ब माध्यमकि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाय।

2--शिक्षा को समवर्ती सूची से न हटाया जाय।

3--केन्द्रीय अनिवार्य जमा योजना का पैसा भविष्य निर्वाह निधि में न जमा कर नगद भुगतान किया जाय तथा सभी कटौतियां तत्काल बन्द की जाय।

4--शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये 200 प्रतिमास को अविलम्ब अन्तरिम सहायता प्रदान की जाय।

5--अधिवर्ष 60 रखते हुए ग्रेच्युटी सहित, पेंशन समानता प्रदान की जाये, इस योजना में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया जाय और यह योजना 20 जून, 1974 से ही लागू की जाय।

6--समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धांत के अनुसार सभी स्तर के शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय वेतनमान निर्धारित किये जायं।

7--नये वेतनमान में वेतन निर्धारित के फलस्वरूप बकाया धनराशि के भुगतान की तुरन्त व्यवस्था की जाय।

8--अल्प संख्यक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा सुरक्षा अन्य विद्यालयों के शिक्षकों की भांति सुनिश्चित की जाय।

9--शिक्षकों के लिये चिकित्सा एवं आवासीय सुविधा तुरन्त स्वीकार की जाय।

10--मानक या समायोजन योजना के आधार पर किसी भी विद्यालय के शिक्षकों को फालतू घोषित कर उनकी सेवा न समाप्त की जाय।

11--1 अप्रैल, 1975 को विधान सभा में की गई घोषणा के अनुसार सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाया जाय।

12--सी0 पी0 एड0 रिफरेशर रामपुर तथा सी0 पी0 ए0 योग्यता वाले स्नातक वेतनमान दिया जाय। बी0 ए0 बी0 टी0 सी0 अथवा जे0 टी0 सी0 शिक्षक को एल0टी0 वेतनक्रम मे लाने के लिये 5 वर्ष का प्रतिबन्ध हटाया जाय।

13--जिला परिषदों का सी0 पी0 टैक्स तत्काल समाप्त किया जाय।

14--सीमान्त जनपदों के अराजकीय सहायता प्राप्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को एक नवम्बर, 1972 से अन्य राजकीय शिक्षकों एवं कर्मचारियों की भांति 25 प्रतिशत विशेष वेतन के रूप में उन्हें तत्काल प्रदान किया जाय।

15--शिक्षकों एवं सभी स्तर के कर्मचारियों के सदस्यों को विश्वविद्यालय स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय।

16—संगीत प्रवीण एम0 काम0 अर्थशास्त्र प्रवक्ता पद हेतु अर्हता प्रदान कर तथा इण्टर कक्षाओं में क्राफ्ट पढ़ाने वाले उक्त योग्यता धारी सभी शिक्षकों को अविलम्ब प्रवक्ता वेतन क्रम प्रदान किया जाय।

17—माध्यमिक शिक्षा परिषद् में माध्यमिक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व 60 प्रतिशत किया जाय।

18—शिक्षकों के चयन हेतु शिक्षा सेवा आयोग गठित किया जाय।

19—सरकारी विद्यालयों की भांति गैर सरकारी विद्यालयों में भी प्रधानाचार्य पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्राविधान किया जाय।

20—एच0 टाइप जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों का वही वेतनमान प्रदान किया जाय जो इसी स्तर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में दिया जाता है।

21—जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों को हाईस्कूल की मान्यता प्राप्त होने पर उसी प्रकार पदोन्नति की जाय जिस प्रकार इण्टरमीडिएट होनेपर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापकों को दी जाती है।

22—प्रधानाचार्य पद की नियुक्ति में गुणांक आकलन में एन0सी0सी0 अधिकारियों की भांति पी0 एस0 डी0 तथा छात्रावास अधीक्षकों को भी प्रशासकीय अनुभव का गुणांक प्रदान किया जाय।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, 2 पुराना विधायक निवास, लखनऊ द्वारा 9 अगस्त, 1977 को प्रस्तुत कियेगये ज्ञापन में उल्लिखित मांगें

1—व्यक्तिगत प्रबन्धकीय व्यवस्था समाप्त कर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाय।

2—शिक्षा के संविधान की समवर्ती सूची से न हटाया जाय।

3—शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय वेतनमान निर्धारित किये जायं तथा अन्तरिम अवधि में 150 रु0 तदर्थ बढ़ोत्तरी की जाय।

4—मानक एवम् समायोजन के नाम पर की जाने वाली छटनी बन्द की जाय।

5—समझौता के अनुसार पेंशन समानताओं को 30, जून, 1974 तथा उसके पश्चात् अवकाश ग्रहण करने वाले शिक्षकों पर लागू किया जाय तथा ग्रेच्युटी भी दी जाय इसके पूर्व अवकाश ग्रहण किये हुए शिक्षकों को भी इसी दर से पेंशन दी जाय।

6—शिक्षकों के लिए वेतन आयोग द्वारा स्वीकृति सेलेक्शन ग्रेड के आदेश तुरन्त निर्गत किये जाय।

7—वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय समस्त अवशेषों को तुरन्त भुगतान किया जाय

8—अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत शिक्षकों के वेतन से की गयी कटौतियों को नगद रूप में भुगतान किया जाय तथा यह योजना समाप्त की जाय। उन विद्यालयों के अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय जिन्होंने इस मद में काटे गये धन को नियमानुसार जमा नहीं किया है।

9—उपभोक्ताकारी मूल्य सूचकांक के दोष दूर कर महंगाई भत्ते को मूल्य स्तर की वास्तविक वृद्धि से सम्बद्ध किया जाय।

10--मनमाने ढंग से विद्यालयों को अल्पसंख्यक घोषित करने की प्रक्रिया समाप्त की जाय । इस प्रकार अब तक की गयी घोषणाओं को निरस्त किया जाय तथा वास्तविक अल्पसंख्यक विद्यालयों के कर्मचारियों पर अन्य विद्यालयों के समान सेवा दशाएं लागू की जायं ।

11--20 मई, 1977 तक कार्यरत सभी शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की तदर्थ नियुक्तियां नियमित मानी जायं तथा जूनियर हाई स्कूल होने वाले विद्यालयों के अर्हता सम्पन्न प्रधानाध्यापकों को पदोन्नति का अवसर दिया जाय ।

12--शिक्षकों, प्रधानाचार्यों तथा शिक्षा अधिकारियों के चयन हेतु एक शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया जाय ।

13--व्यायाम, आशुलिपि, सिलाई, कामर्श तथा क्राफ्ट-टेक्निकल शिक्षकों का वेतन-मान तुरन्त संशोधित किया जाय तथा विज्ञान प्रदर्शकों की काटी गयी वृद्धियों तथा सेवा अवधि का लाभ दिया जाय ।

14--समस्त असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर अविलम्ब लाया जाय ।

15--शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर किया जाय तथा जनपद मंडल एवं प्रदेश स्तर पर शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की संयुक्त परामर्शदात्री समितियां बनायी जाय ।

16--शिक्षकों का कार्यभार कम किया जाय ।

17--कार्यरत अनुभवी शिक्षकों को प्रधानाचार्य पद पर प्रोन्नति के अवसर प्रदान किये जायं ।

18--शिक्षकों के लिए निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की जाय ।

19--वर्ष 1972 के बाद अनुदान सूची पर लाये गये विद्यालयों के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों को वेतन निर्धारण भी अन्य शिक्षकों की भांति सेवा काल के आधार पर अर्जित वेतन वृद्धियों को सम्मिलित करके किया जाय ।

20--लघु माध्यमिक विद्यालयों के समकक्षीय अध्यापकों को समान वेतन दिये जायं ।

21--शिक्षक पात्रों के लिए सभी स्तर पर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय ।

22--जिला परिषदों के सम्पत्ति कर से शिक्षकों को मुक्त किया जाय ।

23--अप्रैल, 1971 से पूर्व का अध्यापकों के देय वेतन का भुगतान किया जाय ।

24--राज्य कर्मचारियों की भांति शिक्षकों के लिए आवासीय एवं पर्वतीय, सीमांत भत्ता दिया जाय ।

25--लिपिक एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को पेंशन एवं भविष्य निधि की सुविधा प्रदान की जाय तथा उनको सेवा दशा को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की परिधि में लेकर सेवा सुरक्षा प्रदान की जाय ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 310 पर।)

माध्यमिक विद्यालयों में गैर-शिक्षक कर्मचारियों के सम्बध में माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ, उत्तर प्रदेश द्वारा 8 अगस्त, 1977 को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन में उल्लिखित मांगे।

1--सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर भविष्य निधि, पेंशन एवं ग्रेच्युटी योजना अविलम्ब लागू की जाय।

2--समस्त स्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी जिला विद्यालय निरीक्षक/मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका की अनुमति प्राप्त किये बिना सेवा से न निकाला जाय।

3--आवश्यक अर्हता रखने पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लिपिक पद पर तथा प्रधान लिपिक/सहायक लिपिक को प्रधान लिपिकों/लिपिकों शिक्षकों के पद पर प्रोन्नति करने का प्राविधान किया जाय।

4--प्रधान लिपिक का पद पूर्ववत रखा जाय तथा रु0 300-500 का वेतनक्रम अविलम्ब प्रदान किया जाय।

5--जहां पर 900 व इससे अधिक छात्र संख्या पर एक वरिष्ठ लेखा लिपिक का पद प्रदान किया जाय और 230-380 का वेतनक्रम दिया जाय।

6--पुस्तकालयों में सेवारत पुस्तकालयाध्यक्षों को लिपिकों के मानक से अलग रखते हुये 250-425 वेतनक्रम दिया जाय।

7--चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में से दफ्तरों तथा लैब सहायकों को अलग मान कर 195-225 का वेतनक्रम प्रदान किया जाय।

8--लिपिकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शहरों में आवास एवं नगर भत्ता तथा नगदीकरण सुविधा अविलम्ब प्रदान की जाय।

9--वर्ष के मध्य में सेवानिवृत्त होने वाले लिपिकों एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को सत्रान्त तक का स्वतः सेवाविस्तरण सुविधा अविलम्ब प्रदान किया जाय।

10--बोर्ड परीक्षा केन्द्रों पर नियमानुसार एक लिपकि तथा दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही केवल लगाये जाय, शेष लिपिक वर्ग को अध्यापकों की भांति कक्ष निरीक्षक का कार्य दिया जाय तथा परीक्षा में कार्यरत अन्य चतुर्थ श्रेणी कार्मचारियों को कम से कम 3 रुपया प्रति मीटिंग दिया जाय तथा सम्बन्धित लिपिक को परिश्रमिक प्रदान किया जाय और टेबुलेशन कार्य 10 वर्ष की सेवा अनुभव पूर्ण होने पर लिपिकों को प्राप्त किया जाय।

11--प्रदेश में नगरपालिकाओं एवं जिला परिषदों द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों को तृतीय एवं चतर्थ श्रेणी को अंशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को लिपिकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समान वेतनक्रम व महंगाई भत्ता 1 अगस्त, 1972 से प्रदान किया जाय।

नत्थी 'घ'

(देखिये आतरांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 316 पर।)

क्रम-सं0	मार्ग का नाम	जनपद फैजाबाद में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत लम्बाई (कि0 मी0 में) कुल	कुल लम्बाई में से लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र की योजना में स्वीकृत लम्बाई (कि0 मी0 में)	क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत अधूरे कार्य को पूरा कराने के लिये स्वीकृत लम्बाई (कि0 मी0)
1	2	3	4	5
(1)	सुचितागम-दौलपुर मार्ग	5.68	4.00	1.68
(2)	मुबारकगंज चौराहा से पिलखाता मार्ग	2.28	..	2.28
(3)	तास्त हैदरगंज—कूड़ेभार मार्ग	15.00	4.00	11.00
(4)	बाला पंकोली—सरायवोर रिहपुर मार्ग	6.50	..	6.50
(5)	माया बाजार—महबूबगंज मार्ग	12.825	..	12.825
(6)	बसखारो टाडा—मार्ग	7.10	..	7.10
(7)	टांडा—बस्खारी मार्ग	7.10	..	7.10
(8)	महरुवा—मयधानो मार्ग	7.10	..	7.10
(9)	कुमारगंज—खण्डासा मार्ग	10.10	..	10.10
	योग ..	73.685	8.00	65.685

संसद विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पृष्ठ 317 पर।)

तालिका

वर्ष	व्यय की धनराशि
	रु0 पै0
1954-55	6,238.07
1955-56	7,828.09
1956-57	4,279.36
1957-58	4,451.97
1958-59	2,944.65 44.00
1959-60	1,719.67
1960-61	1,875.50
1961-62	2,400.00 250.00
1962-63	2,000.00 136.00
1963-64	शून्य
1964-65	शून्य
1965-66	शून्य
1966-67	200.00
1967-68	600.00
1968-69	शून्य
1969-70	शून्य
1970-71	शून्य
1971-72	शून्य
1972-73	शून्य
1973-74	100.00
1974-75	शून्य
1975-76	शून्य
1976-77	शून्य

पी0एस0यू0पी0-ए0 पी0 47 वि0 सभा-31-1-78-(3277)-1978-843 (प्रो0)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा